खण्ड-455, अंक-2
मंगलवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1927
(19 जुलाई, 2005 ई0)

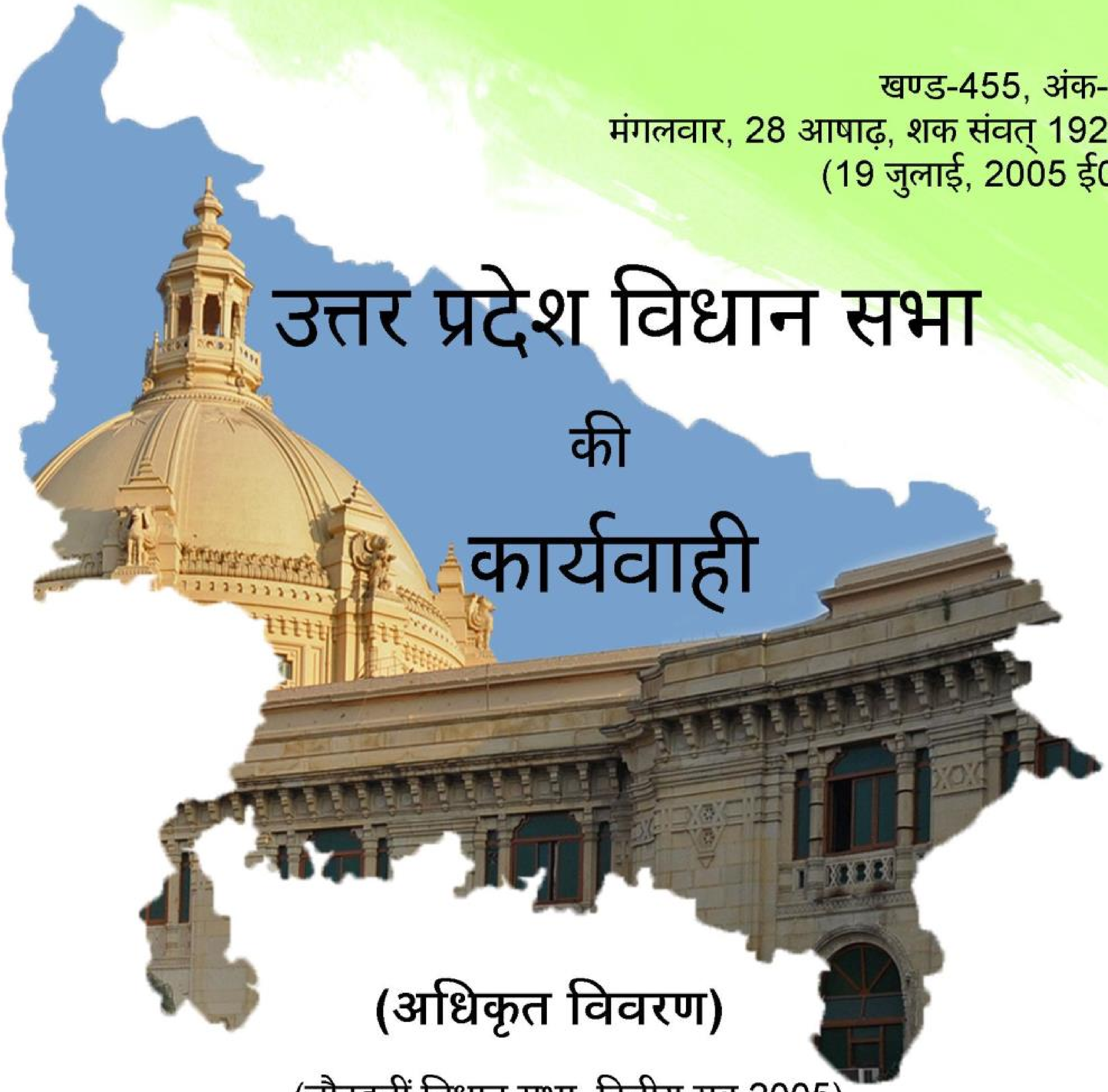

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
वाराणसी उत्तरी से उपचुनाव में निर्वाचित श्रीमती राबिया बेगम सदस्य विधान सभा द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नकाल स्थगित करके मद संख्या-9 "अयोध्या में दिनांक 5 जुलाई, 2005 को घटित घटना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य" लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	1-2
प्रश्नोत्तर	1-47
अयोध्या में दिनांक 5 जुलाई, 2005 को घटित आतंकवादी घटना के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	47-83
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	83-84
जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर को बन्द किये जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में टोंस नदी के शेखूपुर घाट पर सेतु निर्माण तथा पैदल मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन चौराहे से पलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर लिंक ड्रेन, सदारपुर आदि ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85-86
कानपुर की लवकुश गंगा बैराज योजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद शाहजहांपुर के सरदार पटेल इण्टर कालेज में जीव विज्ञान विषय की मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	86-87
जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तमकुहीराज के खड़न्जों एवं पिच की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत इटैली नाले पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौसगंज, मेहदीघाट आदि मार्गों को विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद हरदोई के बिलग्राम कस्बे में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद मऊ के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों को सही चकों का आवंटन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88-89

विषय	पृष्ठ-संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	89
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6-सन् 2005) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	89
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7-सन् 2005) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	90
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	90
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	90
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	90
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	90
एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	91
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	91
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	91
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	91
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	91-92
श्री एच0 पी0 शुक्ला, थानाध्यक्ष-बखापट्टी, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में सदन को सूचना	92
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	92-93
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुरादाबाद के बसपा विधायकों द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए क्षेत्र विकास निधि के प्रस्तावों पर धन अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	94-95
माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए एक सुनिश्चित और समयबद्ध योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दि0 18 मार्च, 2005 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ...	95
प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग एवं घ की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने, उत्पादित धान से अधिक धान क्रय, बी0 पी0 एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों तथा शिक्षकों की भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	95-96
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	96-97
विधायक निवास के कक्ष संख्या 60 में पानी न आने का प्रकरण ...	97
नत्थियां	98-101

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
श्री अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभाणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चित्तरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माया प्रसाद,श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया बेगम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामशंकर पाल, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर

शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- (1) श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री,
(2) श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री व
(3) श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपास्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाराणसी उत्तरी से उप चुनाव में निर्वाचित श्रीमती राबिया बेगम, सदस्य, विधान सभा द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष-

सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य को शपथ दिलाऊंगा।

(श्रीमती राबिया बेगम, माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण की)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

प्रश्नकाल स्थगित करके मद संख्या-9 "अयोध्या में दिनांक 5 जुलाई, 2005 को घटित घटना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य" लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि प्रश्नकाल को स्थगित करके अयोध्या में दिनांक 5-7-2005 को घटित घटना के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, हम लोगों ने इसी विषय पर नियम-311 में नोटिस दी है। मै चाहता हूं कि पहले इस पर पूरी चर्चा हो, सबके विचार आ जांय और तब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर दें। पहले उत्तर देने से बाकी सदन की भावनाओं का उन्हें संज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो मेरा यह अनुरोध है कि आप यह अवसर दें कि मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य बाद में पढ़ें और हम लोगों की आप पहले बात सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम-311 के अन्तर्गत अयोध्या में आतंकवादी हमलों के सिलसिले में एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है प्रमोद जी, संसदीय कार्य-मंत्री का प्रस्ताव आ गया, मैंने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य पढ़ेंगे, उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल चर्चा प्रारम्भ करेंगे और आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं। जब तक पूरी बात सुन न ली जाय, तब तक वक्तव्य का क्या मतलब ?

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बाढ़ वाली सूचना है। आप नियम-56 में बोलियेगा।

श्री लालजी टण्डन-

हम कहना चाहते हैं कि अगर वह सुनेंगे नहीं तो उनको मालूम कहां होगा, क्या है ? जो जानकारी हमारे पास हो सकती है, हो सकता है, उनके पास अधिक हो सकती है या हमारे पास अधिक हो सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, हम माननीय नेता विरोधी दल से सहमत हैं। आप बता दें कि कितने घन्टे की चर्चा होगी। हम तो सदन की भावनाओं का आदर करते हैं।

(नेता विरोधी दल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन जब चाहें, अपनी बात सदन में रख सकते हैं। यह उनका अधिकार है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किसी तकनीकी कारण से अगर नेता विरोधी दल चाहते हैं तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है और जिस तरह के हालात वहां गुजरे, उनसे कैसे निपटा गया। यह सदन आज ही बैठा है, कल सदन नहीं रह सका, निधन के कारण उठ गय था। आज पहला दिन है इसलिए नेता सदन की यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वह अपना पक्ष रखें और बतायें कि सरकार ने क्या किया है ? उसके बाद जो कमियां हों, उन पर आप अपनी राय फरमायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, क्या प्रश्न-पहर स्थगित हो गया है ?

श्री अध्यक्ष-

हां।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर नियम-311 का नोटिस है तो नेता विरोधी दल की ओर से.....

श्री अध्यक्ष-

अभी इस पर आप चर्चा कर लीजिएगा।

प्रश्न यह है कि प्रश्न-पहर स्थगित कर पहले नेता सदन अपना वक्तव्य दें, क्या इस प्रस्ताव से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननय सदस्य, अब आप कृपया बैठ जाएं। नियम-311 स्थगित कर दिया गया है। जब नेता सदन खड़े हैं और चर्चा कराने के लिए तैयार हैं तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से अतिरिक्त अन्य कार्य कराने के सम्बन्ध में जानकारी

*1-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य कराये जाने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को बदलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जनहित के कार्य लिये जाते हैं किन्तु शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 29-12-2000 में अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों को करने को व्यवस्था होने एवं शिक्षण कार्य न प्रभावित होने के कारण।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं को नकल विहीन कराये जाने की योजना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं को नकल विहीन कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं की वर्तमान व्यवस्था नकल रोकने के लिये पर्याप्त है।

कोई प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार की कारगर कार्य योजना

*3-डा0 अजय कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु क्या सरकार कोई कारगर कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.30 है।

प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिए सभी के लिए शिक्षा योजनान्तर्गत प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन/राज्य साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रम का क्रियाक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 15-35 वय वर्ग के निरक्षरों को मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जनपदों को आच्छादित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की योजना की जानकारी

*4-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू हैं।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों कक्षा-1 से 5 तक व कक्षा-6 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु पाठ्य पुस्तकें बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा विहीत की जाती है तथा समय-समय पर पाठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन भी बेसिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त किया जाता है तथा वही पाठ्यक्रम प्रदेश के समस्त परिषदीय/मान्यता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूलों में लागू किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में ली जाने वाली फीस

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के निजी प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में बच्चों से कितनी फीस प्रति माह लेना अनुमन्य है ? क्या यह सही है कि निजी प्रबन्ध तंत्र के स्कूलों में मनमानी फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी स्कूलों में ली जाने वाली फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

कक्षा 1-8 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है लेकिन प्रदेश के हिन्दी माध्यम के निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिमाह अधिकतम 15/- रुपये फीस लिया जाना निर्धारित है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले निजी प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 14-12-1995 में यह व्यवस्था है कि ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों से शिक्षण शुल्क कुल इतना वसूला जायेगा, जो अध्यापकों, एक लिपिक, एक चपरासी तथा एक आया (मेड-सर्वेन्ट) के वेतन भुगतान तथा अध्यापक कर्मचारी कल्याण योजना में प्रबन्धकीय अंशदान का व्यय भार वहन करने के लिए पर्याप्त हो साथ ही विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने हेतु कार्य योजना

*6-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन स्वयं सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता है।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

राजकीय महाविद्यालयों की रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।

शिक्षण कार्य में गतिरोध न होने देने के दृष्टिगत वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सम्बिन्धत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा/मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं। वर्णित स्थिति में शासन स्तर से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

अवर्षण एवं सूखा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तालाबों को भरने व चेक डैम बनाने पर विचार

*7-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर्षण एवं सूखा की स्थिति को देखते हुए नहरों के पानी को अगल-बगल के ग्रामों में स्थित तालाबों को भरने तथा जगह-जगह चेक डैम बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

अवर्षण एवं सूखा की सम्भावना के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के पानी को अगल-बगल के ग्रामों में स्थित तालाबों को प्रतिवर्ष भरा जाता है।

जगह-जगह चेक डैम बनाये जाने का जहां तक प्रश्न है, सिंचाई विभाग में धन की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार चेक डैम बनाये जाते हैं।

चेक डैम बनाने का कार्य अन्य विभागों यथा लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, भूमि एवं जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग आदि के द्वारा भी किया जाता है।

बांधों के अनुरक्षण के लिए धनराशि का आवंटन किये जाने की मांग

*8-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के बड़े बांधों जैसे जरगो, अहरौरा व डोगिया के अनुरक्षण के लिए पिछले पांच वर्षों से कोई धनराशि आवंटित न होने के कारण डैमों की

क्षमता घटती जा रही है ? क्या यह भी सही है कि पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई के एक मात्र साधन डैम ही हैं ? यदि हां, तो इन डैमों के अनुरक्षण के लिए सरकार धन दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

पिछले पांच वर्षों में अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु धन आवंटन प्रति वर्ष किया गया है, अतएव इस कारण डैमों की क्षमता घटने का प्रश्न नहीं उठता।

डैम के अतिरिक्त लघु पम्प नहर, ट्यूबवेल एवं छोटी-छोटी बंधियों द्वारा भी जनपद में सिंचाई की जाती है।

बांधों के अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष धन आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

इण्टरमीडिएट के प्रमाण-पत्रों में गलत फोटो लगने से छात्रों को हुई असुविधा

1-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2003 की परीक्षा से इण्टरमीडिएट के प्रमाण-पत्र में छात्र की फोटो लगाने का निर्णय लिया था ? क्या इस नई व्यवस्था से प्रदेश के हजारों छात्रों के नाम तो थे, परन्तु फोटो किसी और की छपी थी, जिसके कारण प्रदेश के हजारों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को ठीक करने हेतु शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद में प्रमाण-पत्रों में कितनी त्रुटियां वर्ष 2003 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में पायी गयीं तथा कितने छात्रों ने इसे ठीक करने हेतु आवेदन किया तथा कितने को सही प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये ? क्या त्रुटि करने वालों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। कतिपय प्रमाण-पत्रों में ही इस प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आयी है।

जी हां।

473 प्रमाण-पत्रों में त्रुटि प्रकाश में आयी।

473 छात्र।

428 प्रमाण-पत्र।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

परशुराम धाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोहनाग सलेमपुर, जनपद देवरिया के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन की सतर्कता जांच

2-श्री देवनारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परशुराम धाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहनाग सलेमपुर जनपद-देवरिया के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा करीब रु0 80 लाख राजकोष से छात्रवृत्ति/फर्जी

नियुक्तियों तथा वेतन भुगतान किये जाने की सतर्कता जांच सं0-अ0/अनु0-2-खुली-72/2001 पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो कब तथा उसमें दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सतर्कता जांच आख्या दिनांक 15-7-2005 को विभाग में प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ?

जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी के तत्कालीन प्राचार्य व प्रवक्ता द्वारा अपने निकट संबंधी को बी0टी0सी0 में प्रवेश परीक्षा में चयन व प्रशिक्षण कराये जाने की जांच

3-श्री विवेक बंसल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी के तत्कालीन प्राचार्य व एक प्रवक्ता द्वारा बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2001 में क्रमशः अपने पुत्र व पुत्रवधू को अपने पद का दुरुपयोग कर प्रशिक्षण प्राप्त कराया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त दोनों प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश निरस्त करते हुए प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

तत्कालीन प्राचार्य के पुत्र को एवं वहीं पर कार्यरत प्रवक्ता श्रीमती चन्द्रावती की पुत्रवधू को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में चयन होने के आधार पर प्रशिक्षण कराया गया है।

चयन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन पर सतर्कता विभाग में जांच प्रचलित है।

सतर्कता जांच प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर में राजकीय बालक एवं बालिका इण्टर कालेज में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य के पद व उन पर नियुक्ति की जानकारी

4-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कितने राजकीय बालक एवं बालिका इण्टर कालेज ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों पर प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

05 राजकीय बालिका इण्टर कालेज में प्रधानाचार्या के पद रिक्त हैं।

प्रधानाचार्यों के पदों पर लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद के माध्यम से पदोन्नति द्वारा चयन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारी संगणकों की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की मांग

5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 अभियन्ता सेवा सिंचाई विभाग समूह ''ख'' सेवा नियमावली, 1993 निर्गत होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारी संगणकों की सहायक अभियन्ता के पद पर वर्ष 1994 में पदोन्नति हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसके बाद से अब तक संगणकों की सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1994 में पदोन्नति हुई थी।

जी हां।

संगत सेवा नियमावली, 1993 के प्रस्तर-5(2)-(चार) में आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

श्रम मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त नक्श नवीस का प्रमाण-पत्र समाविष्ट किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विचार

6-श्री चन्द्र किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0 प्र0 ने उ0प्र0 अभियन्ता सेवा सिंचाई विभाग समूह ''ख'' सेवा नियमावली, 1993 की परिशिष्ट ''ख'' के क्रमांक-6 के बाद क्रमांक-7 पर श्रम मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रों के व्यवसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय सेवा योजना, राष्ट्रीय परिषद् भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीस का प्रमाण-पत्र समाविष्ट किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सेवा नियमावली में उक्त समाविष्ट होगा ? यदि होगा, तो कब तक ? यदि नहीं होगा, तो क्यों ? उक्त सेवा नियमावली के संशोधन/समाविष्ट की प्रक्रिया में समय लगने की दशा में संगणकों की सहायक अभियन्ता पद पर तत्काल पदोन्नति कराये जाने हेतु सरकार कोई कार्यकारी आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन (उ0प्र0) के पत्र पर प्रमुख अभि0 सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 24-6-05 द्वारा शासन को आख्या उपलब्ध कराई गयी है।

निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर द्वारा क्रीड़ा फण्ड का दुरुपयोग

7-श्री मस्तराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान (उ0प्र0 सरकार के अधीन) सूटरगंज, कानपुर द्वारा छात्रों से क्रीड़ा फण्ड इत्यादि के अन्तर्गत प्राप्त

शुल्क पी0एल0ए0 में जमा न करके स्टेट बैंक ग्वालटोली, कानपुर में जमा करके वर्ष 1997 से प्रति वर्ष लाखों रुपये का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया, ग्वालटोली शाखा, कानपुर में जमा की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक बेसिक शिक्षा व दो अन्य शिक्षा निदेशकों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच

विषयक-पत्र

8-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक बेसिक शिक्षा तथा दो अन्य शिक्षा निदेशकों द्वारा की गई करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक श्री राम शरण दास, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 के पत्र दि0 17-2-2005 पर मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा दि0 24-2-2005 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण शासन में विचारधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम करेला तथा ग्राम उदई शाहपुर व ग्राम नरहरपुर में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की मांग

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड, पट्टी के ग्राम करेला में उपलब्ध ग्राम सभा की भूमि पर तथा ब्लाक आसपुर देवसरा के ग्राम उदई शाहपुर एवं ब्लाक मंगरौरा के ग्राम नरहरपुर में क्या राजकीय हाई स्कूल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में नये राजकीय विद्यालयों की स्थापना की कोई सामान्य नीति/योजना नहीं है और न ही इसके लिये कोई आय-व्ययक प्राविधान है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पहले से ही चार राजकीय महाविद्यालय जनपद में संचालित हैं।

यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में हैण्डपम्प की व्यवस्था

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 कपूरथला कामर्शियल काम्प्लेक्स प्रगति केन्द्र 11 फ्लोर, अलीगंज, लखनऊ द्वरा परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद्, लखनऊ के आदेश सं0-नि0का0/एस0एस0ए0/पेयजल/207-91/03-04, दि0 16-6-03 के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितने और किन-किन विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में से कितने कार्य कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या लगाये गये हैण्डपम्पों का स्थलीय भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27 हैण्डपम्प लगाये जाने का कार्य यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0 को दिया गया था। विद्यालयों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को उपलब्ध करायी गयी किन्तु संस्था द्वारा कोई हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में लेक्चररों को लक्ष्य सीनियर लेक्चरर ग्रेड का वेतनमान

12-श्री मस्तराम-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त संस्थान में शासनादेशों के अन्तर्गत आने वाले कुछ लेक्चररों को अर्हता पूर्ण होने पर क्या उनको सीनियर लेक्चरर ग्रेड का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के सन्दर्भ में विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के चौथे मंगलवार हेतु श्री मस्त राम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के क्रम में राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर के लेक्चररों को सीनियर लेक्चरर ग्रेड का वेतनमान देने हेतु चयन समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवदत्त शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलान, जनपद शाहजहांपुर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान की मांग

13-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री देवदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलान, जनपद शाहजहांपुर जिन्होंने अपना नाम सेवानिवृत्ति के पश्चात्

देवदत्त द्विवेदी अभिलेखों में अंकित करा दिया है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के बिल बाउचर्स (लगभग रु0 3,10,000.00) का भुगतान अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा नवम्बर, 2003 में प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा अभिलेखों में इनका नाम श्री देवदत्त शर्मा है, जबकि बिल बाउचर्स श्री देवदत्त द्विवेदी के नाम से बने हैं जिसके कारण भुगतान अवरुद्ध है।

निदेशक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर द्वारा समूह 'ग' की भर्तियों में की गई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की जांच

14-श्री छेदी राम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अनीता निष्काम, निदेशक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान (उ0 प्र0 सरकार का संस्थान) कानपुर द्वारा वर्ष 1999 एवं 2001-2002 में समूह ''ग'' की भर्तियों में की गई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निदेशक, आर0 पी0 सिंह, एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर द्वारा जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बब्बन सिंह, सेवानिवृत्त मु0 लि0 न0 ख0-2, इलाहाबाद की वेतन विसंगति को दूर करने संबंधी प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

15-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बब्बन सिंह, सेवानिवृत्त मु0 लि0 न0 ख0-2, इलाहाबाद की वेतन विसंगति को दूर करने संबंधी प्रार्थना-पत्र दि0 2 मार्च, 05 एवं तत्सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 2 मार्च, 05 सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, दुबहड़, बलिया के विरुद्ध जांच पर कृत कार्यवाही

16-श्री राम करन आर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-28 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच पूर्ण हो

गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

श्री रामकृत सिंह यादव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, दुबहड़, बलिया के विरुद्ध जांच के फलस्वरूप उनकी वर्ष 2004-2005 की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 28-6-2005 को निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के निर्माण की जांच

17-श्री राम करन आर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के संबंध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रकरण की जांच करा ली गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं। जांच की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में विगत 05 वर्षों में निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के निर्माण की जांच की जा रही है। कार्य अधिक होने के कारण समय लग रहा है।

जांच की कार्यवाही गतिमान होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में समग्र ग्राम बेला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

18-श्री राजेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड-लखीमपुर में वर्ष 2004-05 में समग्र ग्राम बेला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समग्र ग्राम बेला पूर्व माध्यमिक विद्यालय नैनेपारा विकास खण्ड बेहजम से 1.9 कि0मी0 दूर होने के कारण सेवित है।

जिला हरदोई में खुदाई गई ड्रेन से सोहिलामऊ मनिकापुर के बीच में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक की सफाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

19-श्री मस्त राम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मनिकापुर मजरे मीरनगर अजिगवां, तहसील-सण्डीला, जिला-हरदोई में सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में खुदाई गई ड्रेन से सोहिलामऊ मनिकापुर के बीच में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक की सफाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। ड्रेन से सिंचाई नहीं की जाती है अपितु जल निकासी होती है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई कराया जाना सम्भव होता है। प्रश्नगत ड्रेन ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्तानुसार।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा प्रधानाध्यापिका व अन्य की सेवा समाप्त करने का प्रकरण

20-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 शिक्षा स0 (1) बेसिक शिक्षा अनुभाग शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0सा(1) बेसिक/890/98, दिनांक 11-9-98 एवं पत्रांक सामान्य बेसिक/3376/98-99, दिनांक 17-2-98 के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया ने पत्रांक 9वि/210492-93/98-99, दि0 8-3-99 के द्वारा श्रीमती दमयन्ती यादव, प्रधानाध्यापिका, श्रीमती दुलहिन राजधारी कु0 कन्या जू0 हा0 स्कूल, अहिरौली लाला देवरिया की सेवायें समाप्त कर दी थीं ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि श्रीमती दमयन्ती यादव को 16-2-2005 में पत्र संख्या वे0स0/13339-41/2004-05 के द्वारा 1992 से लेकर 2004 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

निदेशालय के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के पत्र दिनांक 08-03-1999 द्वारा प्रश्नगत प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति का अनुमोदन निरस्त कर दिया गया था। परन्तु संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) के आदेश दिनांक 24-07-1999 द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त इनकी सेवाएं जारी रखी गयीं।

श्रीमती दमयन्ती यादव को जांचोपरान्त ही नियमानुसार देय वेतन का ही भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर स्कूलों में रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

21-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने हेतु क्या शासन ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 91,970 अध्यापकों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जूनियर हाईस्कूलों) में 8,245 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

जी हां।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों को पदोन्नति से भरा जाता है, जिसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं। जनपदों में पदोन्नतियां की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों के लिये 46,189 विशिष्ट बी0 टी0 सी0 हेतु बी0 एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी उनमें से प्रथम बैच में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा इनकी परीक्षा 17 जुलाई, 2005 को करायी जा चुकी है। परीक्षा परिणाम प्राप्त होते ही विद्यालयों में तत्काल तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। 3000 उर्दू शिक्षकों के पदों को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। रेगुलर बी0 टी0 सी0 चयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु 1,17,776 शिक्षा मित्रों के पद सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष 97 हजार शिक्षा मित्रों का चयन है तथा वे प्रशिक्षणोपरान्त विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, शेष का चयन किया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2005-06 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 74753 शिक्षा मित्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनके चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के राजकीय इण्टर कालेज की हाईस्कूल विज्ञान की नवीन प्रयोगशाला को अवैधानिक कब्जा हटाये जाने की मांग

22-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के राजकीय इण्टर कालेज की हाईस्कूल विज्ञान की नवीन प्रयोगशाला को अवैधानिक ढंग से जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उच्च न्यायालय ने दि0 12-4-2005 के निर्णय में उक्त प्रयोगशाला को खाली किये जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त प्रयोगशाला खाली न कराये जाने के दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रयोगशाला खाली कर दी गई है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छंटनीशुदा कर्मचारियों का समायोजन किये जाने संबंधी-पत्र

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ के छंटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1328 दिनांक 14-7-03 सचिव, लघु सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्य कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का पत्र तत्कालीन मा0 मंत्री, लघु सिंचाई को सम्बोधित है तथा उन्हीं को प्राप्त हुआ है । इस पत्र को तत्कालीन मा0 मंत्री जी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सीधे मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को दिनांक 17-7-2003 को भेजा गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 16-6-2000 द्वारा ए0 टी0 एल0 के छंटनीशुदा कर्मचारियों को लघु सिंचाई विभाग में समायोजित किये जाने के बजाय अन्य विभागों में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था। अब कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-874/का-3-2003-3/18-98, दिनांक 08 अप्रैल, 2003 द्वारा सरकारी सेवा में किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के लिये छंटनीशुदा कर्मचारियों के आमेलन के लिये समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक से निराकृत (समाप्त) कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण का मामला

24-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो शिक्षक 10 वर्ष से अधिक समय से इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार द्वारा उन्हें स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 2005-06 की स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित 10 वर्ष के प्रतिबंध से राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को मुक्त रखा गया है।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के संकाय भवन का नाम परिवर्तन संबंधी प्रकरण

25-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के संकाय भवन का नाम स्व0 अर्जुन सिंह यादव के नाम किये जाने विषयक विश्वविद्यालय परिषद् का प्रस्ताव उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिनांक 19-01-91 को शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 09-01-91 का प्रस्ताव नहीं, बल्कि दिनांक 19-01-99 का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है।

विश्वविद्यालय के किसी संकाय भवन का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखे जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर स्थित श्री लक्ष्मीनारायण जनहित इण्टर कालेज को इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

26-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री लक्ष्मीनारायण जनहित इण्टर कालेज मौलनापुर जनपद-जौनपुर को धारा 9(4) में इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान किये जाने का श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण का पत्र दिनांक 21-6-04 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्न कमियां उल्लिखित की गयी हैं :--

प्रश्नगत विद्यालय की संस्था के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्राप्त नहीं है। विद्यालय भवन की कक्षों की आख्या में कटिंग कर लेख पर लेख किया गया है, जिससे भवन के कक्षों का विवरण स्पष्ट नहीं है। प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष पूर्ण होने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या एवं प्रमाण-पत्र ग्राह्य रूप में प्राप्त नहीं है। विद्यालय भवन, भूमि एवं क्रीड़ास्थल की भूमि के निजी स्वामित्व में होने के सम्बन्ध में कोई ग्राहय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं है। वित्तविहीन मान्यता का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है तथा एक अनुभाग में 100 से अधिक छात्र हैं। कक्षा-11, 12 में क्रमशः 190, 180 छात्र एक कमरा में किस तरह अध्ययन करेंगे के संबंध में निरीक्षक की आख्या प्राप्त नहीं है। शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय आदि के संबंध में निरीक्षक की आख्या एवं बिल बाउचर निरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्राप्त नहीं है।

उक्त कमियों के कारण विद्यालय को मान्यता दिये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव में बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के माइनर की सफाई कराये जाने की मांग

27-श्री राम शंकर पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के माइनर की सफाई न होने से उसके तल में सिल्ट जम गई है जिससे लगभग 20 गांवों में इस माइनर से पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद-उन्नाव में बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में 12 माइनरें स्थित हैं विगत वर्ष 2004-05 में रबी 1412 फसली में 10 माइनरों यथा अशायस, इस्लामाबाद, क्योली, रसूलपुर, सुरसैनी, रूरी मुरादाबाद, बांगरमऊ, शादीपुर एवं सादिकपुर माइनर की सफाई जिला पंचायत उन्नाव द्वारा करायी गयी थी जिनमें रबी 1412 फसली में टेल तक पानी पहुंचा था। अवशेष दो माइनरों अतरधनी एवं रामकोट माइनर की सफाई विगत वर्ष किसी भी कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नहीं करायी गयी।

जी हां

उक्त विधान सभा की अवशेष दो माइनरों की सिल्ट सफाई रबी 1413 में करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के अनुदान प्राप्त इण्टर कालेजों में शिक्षकों व अन्य पदों पर भर्ती

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के अनुदान प्राप्त इण्टर कालेजों में शिक्षकों लिपिकों तथा सहायक लिपिकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शाहजहांपुर नगर में सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में शिक्षकों, लिपिकों तथा सहायक लिपिकों के निम्न पद रिक्त हैं:-

1-प्रधानाचार्य-01

2-प्रवक्ता-20

3-एल0टी0-55

4-प्रधान लिपिक-01 (अल्पसंख्यक)

5-सहायक लिपिक- --

प्रधानाचार्य के चयन से संबंधित प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर चयन की कार्यवाही गतिमान है। इनमें अल्पसंख्यक घोषित संस्थाओं के रिक्त प्रवक्ता के 4 पद तथा एल0टी0 के 17 पद तथा प्रधान लिपिक 01 के पदों पर संबंधित प्रबंधतंत्र द्वारा नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी। अल्पसंख्यक घोषित माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती संबंधित प्रबंधतंत्र द्वारा नियमानुसार यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने नलकूप दि0 28-2-2005 तक खराब थे ? क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 28-2-2005 तक 49 नलकूप अस्थाई रूप से एवं 17 नलकूप स्थाई रूप से खराब थे। अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों में से 11 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 38 नलकूप विद्युत दोष के कारण बन्द थे।

जी हां।

यांत्रिक दोष से बन्द 11 नलकूपों को दिनांक 11-3-2005 तक तथा विद्युत दोष से बन्द 38 नलकूपों को दिनांक 31-3-2005 तक दोष मुक्त कर चालू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 साल किये जाने का निर्णय

30-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा प्रदेश के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 साल किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा प्रदेश के सरकारी तथा गैर सरकारी सभी विद्यालयों के अध्यापकों एवं उसके कर्मचारियों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 साल किये जाने का शासनादेश निर्गत हो चुका है।

जी नहीं।

शासनादेश दि0 4-2-04 द्वारा केवल अशासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 साल किये जाने का निर्णय लिया गया।

इलाहाबाद के राजकीय इण्टर कालेज की हाईस्कूल विज्ञान की नवीन प्रयोगशाला को अवैध ढंग से कब्जा किये जाने सम्बन्धी मामला

31-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद की हाई स्कूल की विज्ञान की नवीन प्रयोगशाला को अवैध ढंग से जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा कब्जा कर

लेने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-05 आयुक्त एवं जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या शासन को जानकारी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में अपने निर्णय दिनांक 12-4-05 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को विद्यालय परिसर में प्रवेश न करने एवं प्रयोगशाला खाली करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सीतापुर जनपद में शारदा नहर के किनारे-किनारे सीपेज को समाप्त कराने हेतु बेड लाइनिंग कराया जाना

32-श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में शारदा नहर के किनारे-किनारे सीपेज से कितने एकड़ जमीन जलमग्न है ? क्या सरकार सीपेज को समाप्त कराने हेतु लाइनिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत क्षेत्र में शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे सीपेज से प्रभावित भूमि के सर्वेक्षण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

यद्यपि कि प्रश्नगत नहर के किनारे सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु नहर के साइड स्लोपस एवं आंशिक रूप से बेड की लाइनिंग की गई है, एवं सीपेज ड्रेन्स भी निर्मित है, अतः सीपेज पर काफी हद तक नियंत्रण हैं फिर भी जहां भी समस्या है, उसके निराकरण हेतु धन की उपलब्धता के अन्तर्गत लाइनिंग की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल के राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला

33-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस इण्टर कालेज, वाराणसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनके सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा विद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार वाराणसी मण्डल के राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय क्वींस इण्टर कालेज, वाराणसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 24 पद स्वीकृत हैं जिनमें 23 पद परिचारक के 01 पद दफ्तरी का है। उक्त पदों के सापेक्ष कुल 18 परिचारक एवं 01 दफ्तरी कार्यरत हैं।

जी हां। शासनादेश सं0 2972/15-2-2004-862/2004, दिनांक 1-11-2004 द्वारा चतुर्थ श्रेणी/स्वीपर के रिक्त 04 पदों पर अनुमति प्रदान की गई है।

जी हां।

शासनादेश सं0-812/का-2/2004, दिनांक 13-9-2004 के अनुपालन में मण्डल वाराणसी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारियों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा का नामकरण किये जाने की मुख्य मंत्री की घोषणा

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा का नामकरण किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 70/01 का अनुपालन करते हुए शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो शासनादेशों की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2361/15-10-2001/9 घोषणा/01, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 98 पर।)

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत कतिपय बेसिक एवं जू0 हाई स्कूल विद्यालयों के भवनों के निर्माण की मांग

35-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के वि0 खं0 कुड़वार, वि0 खं0 दुबेपुर एवं नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में स्थित कितने बेसिक एवं जू0 हाई स्कूल विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि विगत वर्ष प्राप्त हुई है ? क्या प्राप्त धनराशि का उपभोग निर्धारित अवधि में कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड दुबेपुर में 01 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 01 नवीन जूनियर हाई स्कूल तथा 02 जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई थी विकास खण्ड

दुबेपुर एवं नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में स्थित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई।

02 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों-बनकेपुर एवं मिकौरा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हैं नवीन प्राथमिक विद्यालय अहिरन का पुरवा में 50 प्रतिशत तथा नवीन जूनियर हाई स्कूल जैतापुर में 75 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया गया है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय अहिरन का पुरवा स्थल आवंटन में विलम्ब होने तथा नवीन जूनियर हाई स्कूल जैतापुर में स्थानीय विवाद होने से निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण पूर्ण धनराशि का उपभोग नहीं हो सका है। निर्माण कार्य गतिमान है।

गोरखपुर मण्डल के शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लिपिक पद पर पदोन्नति

36-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह हैं, उनकी पदोन्नति पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पदों की पदोन्नति हेतु निर्धारित कोटा पूर्ण होने के कारण।

सरयू देवी सरस्वती विद्या मन्दिर उ0 मा0 विद्यालय सुल्तानपुर की इण्टर में मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता प्रदान किये जाने विषयक-पत्र

37-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर संख्या-सी-10116855 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को/एम-116855/2005, दिनांक 11-01-05 जो सरयूदेवी सरस्वती विद्या मन्दिर उ0 मा0 विद्यालय केशवनगर, अमेठी, सुल्तानपुर को धारा 9(4) के अन्तर्गत इण्टर में मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता प्रदान करने विषयक था, प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी से प्रश्नगत विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शिव शक्ति बालिका उ0 मा0 विद्यालय, सुल्तानपुर को हाईस्कूल की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी-पत्र

38-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0 सी-10117141 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को/एम-117141/2005, दिनांक 13-01-2005 जो शिव शक्ति बालिका उ0 मा0 विद्यालय दिखौली दुबेपुर, सुल्तानपुर को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख

सचिव/सचिव माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी से आख्या मांगी गयी, जिसके अनुसार प्रश्नगत संस्था के पास उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्गत विनियम में निर्धारित मानक से भूमि एवं भवन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती प्रेमलता शुक्ल, अध्यापिका, जनपद वाराणसी द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

39-श्री छोटे लाल वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय डा0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14-3-2005 जो श्रीमती प्रेमलता शुक्ल अध्यापिका जनपद वाराणसी द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की सुविधा हेतु आम उत्पादक क्षेत्र में पैकिंग हाउस की व्यवस्था किये जाने की मांग

40-श्री सुन्दर सिंह-

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि स्याना विधान सभा क्षेत्र, बुलन्दशहर में आम की पैदावार होती है, जिसका पिछले दो वर्ष से जर्मनी आदि देशों को निर्यात किया जाता है परन्तु आम उत्पादक क्षेत्र में पैकिंग हाउस की व्यवस्था न होने के कारण आम उत्पादक किसानों को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम उत्पादक क्षेत्र स्याना में पैकिंग हाउस की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबूलाल)-

जी हां।

समुद्री मार्ग से आम भेजने पर ही पैक हाउस की आवश्यकता होती है, किन्तु हवाई मार्ग से भेजने में कोई कठिनाई नहीं आती है।

समुद्री मार्ग से आम निर्यात हेतु प्रश्नगत क्षेत्र के किसान एग्रो एक्सपोर्ट जोन (आम) सहारनपुर व लखनऊ में स्थापित किये गये पैक हाउसों का प्रयोग कर सकते हैं।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

एग्रो एक्सपोर्ट जो (आम) सहारनपुर एवं लखनऊ में पूर्व से एक-एक पैक हाउस स्थापित है। जहां से आम निर्यात किया जाता है और वर्तमान में इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है अतः प्रश्नगत क्षेत्र में पैक हाउस बनवाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है एवं प्रश्नगत क्षेत्र के निर्यातक किसान सहारनपुर/लखनऊ के पैक हाउसों का उपयोग समुद्री मार्ग से निर्यात हेतु कर सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय औरास, जनपद उन्नाव से सेवानिवृत्त हुए अनुसेवक की पेंशन का भुगतान शीघ्र कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

41-श्री सुन्दर लाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह जून, 2000 में केन्द्रीय विद्यालय औरास, जनपद-उन्नाव से सेवानिवृत्त हुए अनुसेवक (सहचर) की पेंशन का भुगतान शीघ्र कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 29-04-2005 मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवानिवृत्त कर्मी को पेंशन स्वीकार कर भुगतान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

नियमानुसार देय नहीं है।

सीतापुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या के हिसाब से विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानकारी

42-श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2004-2005 में शिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु जूनियर हाई स्कूल के विषयवार अध्यापन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर ने किस-किस विद्यालय में छात्र संख्या के हिसाब से कितने-कितने अध्यापक विषयवार नियुक्त किये। क्या सरकार कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री किरनपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय में नकल रोकने हेतु किये गये उपाय

43-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 की परीक्षाओं में इलाहाबाद वि0वि0, लखनऊ वि0वि0, गोरखपुर वि0वि0 में कितने परीक्षार्थी नकल में पकड़े गये ? प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नकल की प्रवृत्ति को कम करने हेतु क्या सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 912, लखनऊ विश्वविद्यालय में 1035 तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में 989 छात्र वर्ष 2005 की परीक्षा में नकल में पकड़े गये।

जी हां।

नकल की प्रवृत्ति को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों द्वारा नकल रोकने के लिये उड़ाका दलों का गठन भी किया जाता है तथा परीक्षा के पूर्व परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन स्वीकृत किये जाने का निर्णय

44-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004 की यू0 पी0 बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन स्वीकृत करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कितनी छात्राओं को अभी तक प्रदेश में धन दिया जा चुका है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को नहीं बल्कि छात्राओं के अभिभावकों की आय के आधार पर न्यूनतम से प्रारम्भ करते हुए वर्ष 2004 में यू0 पी0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टर पास छात्राओं को रु0 20,000/- की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया था।

अभी तक 88,371 छात्राओं को रु0 17674.20 लाख की धनराशि दी जा चुकी है।

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय ओदहा का भवन पुनर्निर्माण किया जाना

45-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर, वि0 खं0 कुडवार स्थित प्राथमिक विद्यालय ओदहा का भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण बच्चे बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रा0 वि0 ओदहा के नवीन भवन बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2005-06 की वार्षिक कार्य योजना में विद्यालय के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में स्थित शारदा सहायक नहर जौनपुर ब्रांच में लौहर पश्चिम माइनर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

46-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 दुबेपुर, जनपद-सुल्तानपुर में स्थित शारदा सहायक नहर जौनपुर ब्रांच में लौहर पश्चिम माइनर की सफाई न होने के कारण आस-पास के अमेठा, बहोलिया, पडाकिया, सराय रामपुर आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से नष्ट

हो जाती है और माइनर के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

लौहर पश्चिम माइनर की सफाई पूरी लम्बाई में माह नवम्बर, दिसम्बर, 2004 में जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड दुबेपुर द्वारा करायी गयी थी। माइनर के टेल भाग में पानी पहुंचा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जालौन के अन्तर्गत मैनपुर तथा चन्दरसी पम्प नहर की सिंचाई क्षमता के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना

47-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत मैनपुर तथा चन्दरसी पम्प नहर की सिंचाई क्षमता क्या है ? वर्ष 2003 व 2004 में उक्त नहरों से कितनी भूमि का सिंचन किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त पम्प नहर अपनी क्षमता से न चल पाने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाने से कृषकों की फसल सूख जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराकर उसकी क्षमता के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद जालौन के अन्तर्गत मैनपुर एवं चन्दरसी पम्प नहरों की सिंचन क्षमता क्रमशः 668 हैक्टेयर एवं 976 हैक्टेयर है।

वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में इन पम्प नहरों से सिंचाई निम्नवत् है :--

सिंचित क्षेत्र हैक्टयर में

पम्प नहर का नाम	वर्ष 2003-04 में सींच	वर्ष 2004-05 में सींच
मैनपुर	320	323
चन्दरसी	266	273

विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण दोनों पम्प नहरों से कमाण्ड के क्रमशः 345 हैक्टेयर तथा 700 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो पा रही है।

उपलब्ध विद्युत आपूर्ति से अधिक से अधिक सिंचाई कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य को वेतन व अन्य लाभ दिलाने सम्बन्धी जानकारी

48-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती ओमवती गुप्ता, कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सदर बाजार, कालपी, जनपद जालौन वर्ष मई, 1993 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में सेवारत हैं ? क्या इनको प्रधानाचार्य का वेतन तथा अन्य लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको प्रधानाचार्य का वेतन तथा अन्य लाभ दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां, कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सदर बाजार, कालपी, जनपद-जालौन के प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण 19-5-93 से श्रीमती ओमवती विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापिका होने के कारण इंचार्ज प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हैं।

जी नहीं।

जी हां, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में। सम्प्रति में चयन वेतनमान (6500-10500) जो प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय का साधारण वेतनमान है, पा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, शिक्षा से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्यवाही

49-श्री लल्लू सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के चौथे मंगलवार को निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशक, शिक्षा से जांच हेतु बिन्दुवार आख्या का विवरण मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के दाखिलों में सुविधा शुल्क लेने का मामला

50-श्री कौशल किशोर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज, ग्राम सभा समदपुर जसमडा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के दाखिलों में सुविधा शुल्क लेने की जांच कराने के सम्बन्ध मे प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-9-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र दिनांक 10-2-2005 द्वारा कार्यवाही हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा निदेशक तथा दो अन्य शिक्षा निदेशकों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक-पत्र

51-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा निदेशक तथा दो अन्य शिक्षा निदेशकों द्वारा की गई करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक श्री राम शरण

दास, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 17-2-2005 पर मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा उक्त निदेशकों का स्थानान्तरण करते हुए जांच कराये जाने के आदेश दिनांक 24-2-2005 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेंवरा इटावा को विश्वविद्यालय घोषित करने पर विचार

52-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेंवरा इटावा को विश्वविद्यालय घोषित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सम्प्रति महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर अन्तर्गत खैराबाद रजवहा के कुलावा नं0 86 का नाला खोदकर किसानों द्वारा अपने खेत में मिला लिये जाने की जांच

53-श्री रामहेत भारती-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर की तहसील सदर सीतापुर के खैराबाद रजवहा के कुलावा नं0-86 पर सलेमपुर कच्चा तथा पक्का नाला मौके पर चालू है ? क्या यह सही है कि कुलावा का नाला खोदकर किसानों ने अपने खेतों में मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी हां। जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर अन्तर्गत वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2003-04 में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में अध्यापक की नियुक्ति

54-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के संचालित होने के बाद

वर्तमान सत्र 2003-04 में शिक्षण कार्य हेतु वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में कितने-कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शैक्षिक सत्र 2003-04 में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग में किसी भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण।

शिया महाविद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में प्रवक्ताओं का अनिवार्य शर्तों के बिना ही नियुक्त किया जाना

55-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों को चयनित करने में राज्य पात्रता स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि शिया महाविद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में विज्ञान संकाय में कई ऐसे शिक्षक (प्रवक्ता) हैं, जो उपरोक्त अनिवार्य शर्तों को पूरी किये बिना नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य द्वारा संचालित राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट है, जिन्होंने दिनांक 31-12-93 तक एम0 फिल या सम्बन्धित विषय में दिनांक 31-12-2002 तक पी0 एच0 डी0 उपाधि प्राप्त कर ली हो या शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो।

शिया महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में नियुक्त किये गये प्रवक्ता पूर्ण रूप से अर्ह हैं। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार एवं यू0 जी0 सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता/मानकों के अनुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में माध्यमिक शिक्षकों सम्बन्धी फर्जी नियुक्ति, वेतन भुगतान आदि अनियमितताओं की जांच व कृत कार्यवाही

56-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बलिया में वर्ष 1995 में माध्यमिक शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति, वेतन भुगतान व जी0 पी0 एफ0 घोटाले की जांच शासन ने सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 (वाराणसी खण्ड) से कराई थी तथा इसकी जांच के बाद 2002 में सदर कोतवाली बलिया में 90 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-मुजफ्फरनगर में कन्या धन योजनान्तर्गत इण्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि वितरित किये जाने की मांग

57-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2004 में मुजफ्फरनगर जनपद में कुल 5913 छात्राएं इण्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई जबकि कन्या धन योजना के अन्तर्गत केवल 1340 छात्राओं

को धनराशि अवमुक्त की गयी ? यदि हां, तो शेष छात्राओं को धनराशि कब तक भुगतान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

छात्राओं के अभिभावकों की आय के आधार पर इण्टर पास छात्राओं को वर्ष 2004 में रु0 20,000/- की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसी कुल 2215 छात्राओं को जिनके अभिभावकों की आय रु0 24,000/- तक है को धनराशि अवमुक्त की गई शेष छात्राएं उक्त श्रेणी के अन्तर्गत न आने के कारण उनको प्रोत्साहन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग संकाय बनाया जाना व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

58-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने बिना शासन की अनुमति के कामर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संकाय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग संकाय बना दिया है ? यदि हां, तो क्या इसके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षा मे नकल आदि की शिकायत सम्बन्धी केसेज में कृत कार्यवाही

59-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षाएं प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के केसेज पकड़े गये ? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिटेन्डेन्ट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ जनपदों में मास कापिंग की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जनपद में कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को चेकों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

60-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत 2004-2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को वितरित किये गये चेकों का बैंकों व डाकखानों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है जिससे छात्राओं व उनके अभिभावकों को अत्यधिक

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ? यदि हां, तो चेकों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिये उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

1388 छात्राओं को कोषागार के चेक निर्गत किये गये थे, जिनका भुगतान 30-4-2005 तक प्राप्त किया जाना था 68 छात्राओं द्वारा जानकारी के अभाव तथा अपनी परिस्थितियों के कारण इन चेकों का भुगतान समय से प्राप्त नहीं किया गया। उक्त 68 छात्राओं में से 67 छात्राओं को पुनः नये चेक निर्गत कर दिये गये केवल एक छात्रा जिसका चेक प्राप्त नहीं हुआ का भुगतान नहीं किया जा सका। प्रकरण में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्रामों में प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में कितने ग्रामों में प्राइमरी व जूनियर स्वीकृत विद्यालय के भवनों का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बंडिया कला, मकरन्तपुर मुड़िया खेड़ा आजमाबाद ग्राम मिटारा के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में 97 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कराये जा चुके हैं। जिसमें 19 ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल भी निर्मित कराये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त 5 प्राइमरी विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं। एक जूनियर हाई स्कूल विभागीय मानकों के अनुरूप न होने के कारण जिला बेसिक शिक्षा समिति से पुनः अनुमोदनोपरान्त निर्मित किये जाने हेतु ग्राम शिक्षा निधि खाते में धनराशि प्रेषित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल बंडियाकला, जूनियर हाई स्कूल मकरन्दपुर, प्रा0 विद्यालय मुड़िया खेड़ा आजमाबाद एवं प्राइमरी विद्यालय मिटारा के भवनों का निर्माण कार्य विवाद के कारण अवरुद्ध है।

जनपद-प्रतापगढ़ के जैनाथ मानव इण्टर कालेज, बैजलपुर में कार्यरत अध्यापक के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के जैनाथ मानव इण्टर कालेज, बैजलपुर में कार्यरत अध्यापक श्री प्रमोद कुमार सिंह आदि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश एवं शिक्षा अनुभाग-12 के पत्र संख्या-146 दिनांक 3-9-2003 के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही करा दी गयी है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

• विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

63-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय से सम्बद्ध उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री जय प्रकाश शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 5-9-2000 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र, तिलहर, शाहजहांपुर का पंजीकृत पत्र दिनांक 13/16 दिसम्बर, 2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र तथा अन्य शिकायतों की जांच कराकर आरोप पत्र दिनांक 14-1-05 को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर अन्तर्गत सिकन्दराराऊ रजबहा में पानी पहुंचने सम्बन्धी जानकारी

64-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ रजबहा जनपद-महामायानगर माइनर भदवार में पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद महामायानगर के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ राजवाहे में पानी पहुंचा है परन्तु इस राजवाहे की टेल से निकलने वाली माइनर, भदवार पर नहीं पहुंचा है।

सिकन्दराराऊ राजवाहे की पुर्नस्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद-रायबरेली में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी खेड़ा में चहारदीवारी तथा सुलभ प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

65-श्री कौशल किशोर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-रायबरेली में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी खेड़ा में चहारदीवारी तथा सुलभ प्रसाधन की व्यवस्था न होने से छात्राओं को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय में सुलभ प्रसाधन तथा चहारदीवारी को बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद-रायबरेली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी खेड़ा में शौचालय का निर्माण चुका है। चहारदीवारी नहीं है।

जी नहीं। शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। चहारदीवारी निर्माण की व्यवस्था नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार का यह निर्देश है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में निर्मित कराया जाये। भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत केवल भवन एवं शौचालय निर्माण का ही वित्तीय प्राविधान स्वीकृत किया गया है। चहारदीवारी हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं है।

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई में प्राचार्य पद पर नियुक्ति की मांग

66-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई में प्राचार्य का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर मौलिक नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, प्राचार्य का पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में संचालित सम्पूर्ण साक्षरता समिति की उपलब्ध राजकीय धनराशि का दुरुपयोग सम्बन्धी प्रकरण

67-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में संचालित सम्पूर्ण साक्षरता समिति की उपलब्ध राजकीय धनराशि वित्तीय वर्ष 2000-01 में लगभग 5 करोड़ तथा 2001-02 में 4.69 करोड़ एवं वर्ष 2003-04 में 4.97 करोड़ एवं वर्ष 2004-05 में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत लगभग अब तक 3.66 करोड़ का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर विचार

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रदेश में कुल कितने राजकीय महाविद्यालयों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ? क्या जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

तीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पहले से ही चार राजकीय महाविद्यालय जनपद में संचालित हैं।

प्राथमिक विद्यालय मोजमपुर नगर क्षेत्र तिलहर (शाहजहांपुर) के प्रधानाध्यापक द्वारा आर्थिक क्षति पहुंचाने सम्बन्धी प्रकरण

69-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 मई, 2005 को अथवा उसके आस-पास श्री हनु प्रसाद निवासी-बनवारीपुर, कस्बा तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर का शिकायती-पत्र जो प्राथमिक विद्यालय मोजमपुर नगर क्षेत्र तिलहर (शाहजहांपुर) के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय भवन के मलवे को मनमाने रूप से विक्रय करके विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

शिकायत की जांचोपरान्त यह पाया गया कि भवन के मलवे की नियमानुसार नीलामी कराकर नीलामी से प्राप्त धनराशि रु0 15,400.00 विद्यालय खाते में जमा करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री राम शंकर पाल-

[दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिव शक्ति बालिका उ0 मा0 विद्यालय, सुल्तानपुर को हाईस्कूल की मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

71-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0 सी-10117141 पत्र सं0-सी0-एम/वि0को0/एम-117141/2005, दिनांक 13-01-2005 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को शिव शक्ति बालिका उ0 मा0 विद्यालय दिखौली दुबेपुर, सुल्तानपुर को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी से आख्या मांगी गयी, जिसके अनुसार प्रश्नगत संस्था के पास उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्गत विनियम में निर्धारित मानक से भूमि एवं भवन कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक (जौनपुर ब्रांच) नहर पट्टी पर लगा हुआ क्षतिग्रस्त खड़ंजा ठीक करने की मांग

72-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 ख0 दुबेपुर, जनपद-सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक (जौनपुर ब्रांच) पहर पट्टी पर भाई से चन्दईपुर होते अलहदादपुर तक उत्तरी पटरी पर लगा हुआ खड़ंजा अत्यधिक खराब हो गया है ? उक्त पटरी पर बीच-बीच में गड्ढे हो जाने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जौनपुर ब्रांच की नहर पटरी पर लगा हुआ खड़ंजा कहीं-कहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया, चिलकहर की इन्द्रपुर से बसनवार तक नहर की जर्जर पटरी की मरम्मत किये जाने की योजना की जानकारी

73-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया की इन्द्रपुर से बसनवार तक नहर की जर्जर पटरी की मरम्मत कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित लखनऊ इण्टरमीडिएट कालेज, लालबाग से सेवानिवृत्त परिचायक की मृत्योपरान्त उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन भुगतान किया जाना

74-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित लखनऊ इण्टरमीडिएट कालेज, लालबाग से सेवानिवृत्त श्री अयोध्या सिंह परिचारक की दिनांक 8-1-2003 को मृत्योपरान्त क्या उनकी पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने विषयक कालेज के प्रधानाचार्य का पत्र संख्या एल0आई0सी0/3/2003-04, दिनांक 6-5-2003 जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उप शिक्षा निदेशक षष्टम् मण्डल लखनऊ के आदेश संख्या-पेंशन/1884-87/05, दिनांक 18-7-2005 द्वारा पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

विशिष्ट बी0 टी0 सी0 अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान

75-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को ढाई हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ जनपद में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मानदेय का भुगतान कराकर भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

मानदेय देने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद-इलाहाबाद में 287 प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन प्राप्त होने पर मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। शेष 1530 प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरान्त मानदेय के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। जनपद-प्रतापगढ़ में प्राप्त सूचनानुसार प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों से शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड (डायट) के राजकीय आवासों में अनधिकृत लोगों से आवास खाली किये जाने की मांग

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड (डायट) के राजकीय आवासों में अनधिकृत लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनसे उक्त आवास खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन के गेट नम्बर 8 व 10 के सामने पूजा गृह में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण

77-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के गेट नम्बर-8 एवं 10 के सामने पूजा गृह में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर में प्राइमरी पाठशालाओं का संचालन एवं भवन निर्माण हेतु धन की व्यवस्था

78-श्री परमजीत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद मुजफ्फरनगर में कुल कितने प्राइमरी पाठशालायें संचालित हैं ? इनमें से कितनी प्राइमरी पाठशालायें भवन विहीन हैं ? वित्तीय वर्ष 2005-2006 में विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये मुजफ्फरनगर जनपद हेतु कुल कितनी धन की व्यवस्था की गयी ? उक्त धनराशि से कुल कितने विद्यालयों का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्तमान समय में जनपद-मुजफ्फरनगर में 1378 प्राइमरी पाठशालायें संचालित हैं।

शहरी क्षेत्र में 42 प्राइमरी पाठशालायें किराये के भवनों में संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 5 प्राइमरी पाठशाला भवनहीन हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2005-06 में भवन विहीन/जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल 75.64 लाख धनराशि की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र के 05 भवनहीन तथा 26 जर्जर विद्यालय का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम इटारा, विकास खण्ड विधनू, जनपद-कानपुर नगर को जोड़ने वाले मार्ग पर रामगंगा नहर के सेतु की चौड़ाई को बढ़ाने की मांग

79-श्री परमजीत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-इटारा, विकास खण्ड विधनू, जनपद-कानपुर नगर को जोड़ने वाले मार्ग पर रामगंगा नहर के सेतु की चौड़ाई कम होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की चौड़ाई बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

उक्त संकरे पुल पर भारी वाहनों का यातायात अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम इटारा, विकास खण्ड-बिधनू, जनपद कानपुर नगर में पश्चिमी इलाहाबाद शाखा के किमी0 106.224 पर 2.25 मी0 चौड़ाई का एक सकरा पुल स्थित है जो स्थानीय कृषकों की सुविधा हेतु निर्मित किया गया है और जिस पर भारी वाहनों का आवागमन अनुमन्य नहीं है। उक्त पुल के एक किमी0 ऊपर एवं एक किमी0 नीचे बी0 आर0 बी0 स्थित होने के कारण शासकीय नीति के अन्तर्गत उक्त पुल की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर में राजकीय बालक एवं बालिका इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग

80-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में कितने राजकीय बालक एवं बालिका इण्टर कालेज हैं ? उनमें से कितने कालेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय बालक इण्टर कालेज	02
राजकीय बालिका इण्टर कालेज	06
	योग - 08

05 बालिका इण्टर कालेजों में ।

प्रधानाचार्या के पदों पर लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद के माध्यम से पदोन्नति द्वारा चयन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर तथा कुड़वार में मान्यता प्राप्त अनुदानित इण्टरमीडिएट एवं उ0 मा0 विद्यालय तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

81-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के वि0ख0 दुबेपुर एवं विकास खण्ड कुड़वार तथा नगर क्षेत्र में कौन-कौन से मान्यता प्राप्त अनुदानित इण्टरमीडिएट एवं उ0 मा0 विद्यालय हैं ? कितने विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रवक्ता के पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्षेत्र का नाम	मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित संस्था का नाम
दूबेपुर	1-श्री हनुमत इं0 का0 धम्मौर, सुल्तानपुर।
	2-उ0 मा0 वि0 गुडवा
	3-महाराणा प्रताप उ0 मा0 वि0 उतुरा।
	4-राम प्रताप उ0 मा0 विद्यालय प्रतापगंज, मादा।
कुड़वार	1-श्री वी0 पी0 इ0 का0 कुड़वार
	2-जनता उ0 मा0 विद्यालय वेला पश्चिमी
	3-अवध राजी रामलखन उ0 मा0 वि0, मडहा
नगर क्षेत्र	1-महात्मा गांधी स्मारक इं0 का0 सुल्तानपुर।
	2-मधुसूदन विद्यालय इं0 का0, सुल्तानपुर।

3-रामकली बा0 इं0 का0, सुल्तानपुर
4-सलीम उ0 मा0 वि0, खैराबाद

संस्था का नाम	रिक्त प्रवक्ता का पद नाम व सं0
1-महात्मा गांधी स्मारक इं0 का0 सुल्तानपुर।	गणित-01 भौतिक-01 अंग्रेजी-01
2-मधुसूदन विद्यालय इं0 का0, सुल्तानपुर।	गणित-01 रसायन-01 हिन्दी-01.
3-वी0 पी0 इं0 का0, कुड़वार, सुल्तानपुर	हिन्दी-01

जी हां उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सीतापुर अन्तर्गत जू0 हाई स्कूल, मोहम्मदी एवं जू0 हा0 मवाना के अधूरे भवनों का निर्माण कार्य

82-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र लहरपुर, जिला सीतापुर, ब्लाक-लहरपुर के जू0 हाई स्कूल मोहम्मदीपुर एवं परसण्डी ब्लाक के अन्तर्गत जू0 हा0 भवाना के भवन अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

ब्लाक लहरपुर में जूनियर हाई स्कूल मोहम्मदीपुर का भवन अधूरा है। ब्लाक परसण्डी के अन्तर्गत मावाना में कोई जूनियर हाई स्कूल न तो स्वीकृत हैं और न ही संचालित हैं।

जूनियर हाई स्कूल मोहम्मदीपुर विकास क्षेत्र लहरपुर को शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन व झांसी के मिड डे मील योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन का विवरण

83-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिड डे मील योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन व जनपद झांसी को माह मार्च, अप्रैल तथा जून, 2005 में खाद्यान्न आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका अलग-अलग विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

मिड डे मील योजना के अन्तर्गत जनपदवार निम्नवत् खाद्यान्न का आवंटन हुआ :--

जनपद	माह	आवंटित खाद्यान्न (कुन्तल में)
जालौन	मार्च, 2005	4439.10
	अप्रैल, 2005	4439.10
	जून, 2005	शून्य
झांसी	मार्च, 2005	4831.68
	अप्रैल, 2005	4831.68
	जून, 2005	शून्य

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत शारदा सहायक (जौनपुर ब्रांच) नहर पटरी पर लगा हुआ क्षतिग्रस्त खड़ंजा ठीक करने की मांग

84-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक (जौनपुर ब्रांच) नहर पट्टी पर भाई से चन्दईपुर होते हुए अलहदादपुर तक उत्तरी पटरी पर लगा हुआ खड़ंजा अत्यधिक खराब हो गया है जिसके कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जौनपुर ब्रांच की नहर पटरी पर लगा हुआ खड़ंजा कहीं-कहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में स्वीकृत राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन निर्माण सम्बन्धी जानकारी

85-श्री धनन्जय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-94672, दिनांक 03-02-04 व सी0 एम0/वि0को0/एम-95068, दिनांक 10-02-04 द्वारा जनपद जौनपुर में स्वीकृत राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, मा0 सदस्य विधान सभा श्री धनन्जय सिंह के पत्रों दिनांक 1-2-04 जिनमें जनपद जौनपुर के बक्शा विकास खण्ड में तेजी बजार हैदरपुर के मध्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने का अनुरोध किया गया था पर मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रश्न में उल्लिखित पृष्ठांकन थे, इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राजकीय विद्यालयों की स्थापना की कोई सामान्य नीति/योजना न होने एवं इस हेतु आय-व्ययक प्राविधान न होने के कारण राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना एवं भवन निर्माण सम्भव नहीं है जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी अवगत हुए परन्तु राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्वीकृति नहीं दी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

"कन्या धन योजना" के तहत छात्राओं को धनराशि वितरित किये जाने की मांग

86-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर विकास खण्ड कुड़वार एवं नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में कितनी इण्टर पास छात्राओं को "कन्या धन योजना" के तहत वर्ष 2004-05 में धनराशि दी गयी है तथा कितनी छात्रायें शेष हैं ? शेष छात्राओं को कब तक धन वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

254 छात्राओं को "कन्या विद्या धन" योजनान्तर्गत प्रश्नगत अवधि में धनराशि दी जा चुकी है। शेष चार छात्राओं की आय प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जा रहा है।

आय प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि दिया जाना सम्भव होगा।

87-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[3रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत ग्राम सभा पलहीपुर में लगा राजकीय नलकूप ठीक किये जाने की मांग

88-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर की ग्राम सभा पलहीपुर में लगा राजकीय नलकूप काफी दिनों से खराब है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर की ग्राम सभा पलहीपुर में 03 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिसमें से नलकूप संख्या-191 एस0 जी0 असफल है।

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 450 नलकूपों के आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत पुनः निर्माण किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत सिरौली में छात्रों को मिड डे मील योजनान्तर्गत भोजन में की जा रही अनियमितताओं की जांच

89-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के वि0ख0 बेहन्दर के ग्राम पंचायत सिरौली में छात्रों को मिड डे मील योजना के अन्तर्गत भोजन में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में उप प्रधान ग्राम सिरौली द्वारा लोकवाणी हरदोई के माध्यम से जिलाधिकारी हरदोई की शिकायत संख्या 2864 भेजी गई थी ? जिसकी जांच कराये जाने पर शिकायत सही व उचित पाई गई और जाचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी को निदेशित किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम प्रधान व दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

दोषी व्यक्तियों को सचेत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा राजकीय कन्या विद्यालय पट्टी एवं आसपुर देवसरा को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने की मांग

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में राजकीय कन्या विद्यालय पट्टी एवं आसपुर देवसरा को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने का प्रेषित प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, दोनों विद्यालयों को शासनादेश संख्या-1496/15-10-04-7घो/01 दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा इण्टर तक उर्च्चीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जनपद में घाघरा नदी के किनारे कतिपय गांव उक्त नदी के कटान से प्रभावित होने व नदी के किनारे बन्धे में खतरा उत्पन्न होने पर रोकथाम सम्बन्धी उपाय

91-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के घाघरा नदी के किनारे के गांव डुहां, विहार, लिलकर, कठोडा पुशालिया खरीद निपनिया, बहदुरा, मनियर, टुडा नं0-2 नबकागांव चक्कीदियर आदि ग्राम घाघरा नदी के कटान से प्रभावित हैं ? क्या घाघरा नदी के किनारे टी0एस0 बन्धे को डुहां विहरा से नबकागांव तक खतरा उत्पन्न हो गया है और इस बन्धे पर बने बाबा बालारबंडी नाथ जी का मन्दिर मौनीया बाबा का आश्रम तथा जंगली बाबा का आश्रम भी खतरे में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटान की रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

फिलहाल कोई खतरा नहीं है, फिर भी इस बन्धे पर बने बाबा बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर, मौनी बाबा आश्रम व जंगली बाबा आश्रम से सम्बन्धित बांध के स्थलों की सुरक्षा योजनाएं लागत क्रमशः रु0 61.69 लाख तथा 82.29 लाख, उ0प्र0 बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति से स्वीकृत की गयी है।

बांध के कटान की रोकथाम हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है। जहां तक डुहां, विहरा, लिलकर, कठोडा पुशालिया खरीद, निपनिया, बहदुरा, मनियर, टुकड़ा नं0-2, नबकागांव, चक्कीवियर

गांव जो घाघरा नदी व टी0एस0 बांध के बीच नदी के फ्लड प्लेन जोन में बसे हैं, को कटान से बचाने का प्रश्न है, शासन की नीति के अनुसार नदी के फ्लड प्लेन जोन में बसे गांवों को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जाने तथा इन गांवों को जिलाधिकारी के माध्यम से सुरक्षित क्षेत्र में बसाये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली अनतर्गत ज्योतिबाराव फूले प्रा0 वि0 कन्धरपुर (बराराबुजुर्ग) के अनु0 जाति व अन्य पिछड़े छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का विवरण

92-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रायबरेली वि0खं0 डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराव फूले प्रा0 वि0 कन्धरपुर (बराराबुजुर्ग) के अनु0 जाति के 38 छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा के 15 छात्र-छात्राओं का वर्ष 2003-04 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय को मान्यता, वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनांक 1-2-2004 को प्रदान किये जाने का कारण सम्भव नहीं था।

जनपद रायबरेली अनतर्गत ज्योतिबाराव फूले प्रा0 वि0 कन्दारपुर (बराराबुजुर्ग) के अनु0 जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का वितरण

93-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रायबरेली वि0खं0 डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराव फूले प्रा0 वि0 कन्दारपुर (बराराबुजुर्ग) के अनु0 जाति के 80 छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2004-05 की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सदर विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व भवन निर्माण

94-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 वर्ष में सदर विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कितने प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी ? क्या उक्त सभी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री किरनपाल सिंह-

संदर्भित वर्षों में कुल 12 प्राथमिक विद्यालयों एवं 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।

जी नहीं।

शीघ्रातिशीघ्र।

जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड-2 के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की सफाई करने सम्बन्धी जानकारी

95-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड-2 के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की सफाई कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नहरों की सफाई कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड-2, प्रतापगढ़ के नियंत्रणाधीन न तो कोई नहर है और न ही ऐसी नहरों की सफाई करायी गयी है परन्तु प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ की नहरें है और रबी 1412 फसली वर्ष 2004-05 में इन नहरों की सिल्ट सफाई करा दी गयी है जिसका विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 100 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में स्थापित सभी नलकूपों को चालू करने की मांग

96-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कुल कितने नलकूप स्थापित हैं ? क्या सभी स्थापित नलकूप चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सभी नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कुल 47 नलकूप स्थापित हैं।

जी नहीं। प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में स्थापित कुल 47 नलकूपों में से 15 नलकूप चालू हालत में हैं, 24 नलकूप खारा पानी होने अथवा नहरीय कमाण्ड में स्थित होने के कारण परित्याग की श्रेणी में हैं तथा 8 नलकूप असफल हैं।

जी नहीं। परित्याग की श्रेणी में 24 नलकूपों का पानी खारा होने अथवा नहरीय कमाण्ड में होने के कारण उनके पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 450 नलकूपों के आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत गत 8 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण कर सिंचाईरत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय अतरसण्ड, जिला प्रतापगढ़ में कला व विज्ञान संकाय के विषयों के पठन पाठन की व्यवस्था

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय अतरसण्ड, जिला प्रतापगढ़ में कला संकाय एवं विज्ञान संकाय के किन-किन विषयों की स्वीकृत प्रदान की गयी है ? क्या दोनों संकाय के सभी विषयों के पठन पाठन की व्यवस्था की गयी है ? सभी विषयों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय महाविद्यालय अतरसण्ड, मंगरौरा प्रतापगढ़ में स्नातक स्तर पर कला संकाय के 07 विषयों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जी नहीं। कला संकाय के केवल 07 विषय।

अन्य विषयों की व्यवस्था हेतु कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में निजी क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को संचालित कराने की शासकीय नीति एवं उक्त संकाय के संचालन हेतु बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण।

राजकीय महाविद्यालय ढिढुई, तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में विज्ञान एवं कला संकाय के सभी विषयों के पठन पाठन हेतु स्वीकृति व स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय ढिढुई, तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में विज्ञान संकाय सहित कला संकाय के सभी विषयों के पठन पाठन हेतु स्वीकृत प्रदान की जायेगी ? स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। महाविद्यालय में पूर्व से स्नातक स्तर पर कला संकाय की 07 विषय संचालित हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में निजी क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को संचालित कराने की शासकीय नीति एवं उक्त संकाय के संचालन हेतु बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण।

तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत शारदा नहर के उत्तर तरफ गोसा (लालपुर) से गांव सैफलपुर तक ड्रेन की सफाई कराने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

99-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत शारदा नहर के उत्तर तरफ गोसा (लालपुर) से गांव सैफलपुर तक ड्रेन की सफाई कराने के सम्बन्ध में दिनांक 29-4-05 को गांव सभा गोसा (लालपुर) के नागरिकों द्वारा प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता खण्ड-2 शारदा नहर सिंचाई विभाग, लखनऊ को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन की सफाई करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई कराया जाना सम्भव होता है। प्रश्नगत ड्रेन ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आती है।

शारदा नहर दक्षिण तरफ मलिहाबाद तहसील के गांव नवीनगर से सदर तहसील के गांव टांड खेड़ा ड्रेन की सफाई सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

100-श्री कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर दक्षिण तरफ मलिहाबाद तहसील के गांव नवीनगर से सदर तहसील के गांव टांड खेड़ा ड्रेन की सफाई हेतु दिनांक 29-4-05 को गांव सभा गोसा (लालपुर) के नागरिकों द्वारा अधिशासी अभियन्ता खण्ड-2 शारदा नहर सिंचाई विभाग, लखनऊ को पत्र दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन की सफाई करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई सम्भव हो पाती है। प्रश्नगत ड्रेन ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आती है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के अन्तर्गत नवनिर्मित जू0 हा0 स्कूल, सत्तारखेड़ा के भवन निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

101-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के अन्तर्गत नवनिर्मित जू0 हा0 स्कूल, सत्तारखेड़ा के भवन निर्माण में की गयी घटिया सामग्री का प्रयोग कर कई लाख रुपये का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर विभागीय टेक्निकल अभियन्ताओं द्वारा जांच करायी गयी और एक लाख तेइस हजार की रिकवरी कराये जाने तथा तीस हजार रुपये के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने की संस्तुति कर बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को जांच रिपोर्ट सौंप दी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली तथा दोषी सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

निर्माण प्रभारी श्री वाजिद अली, प्रधानाध्यापक प्राथमिक पाठशाला गौरी सैय्यद तालिब के वेतन से रुपये 1,23,000.00 की वसूली हेतु रु0 5,000 मासिक कटौती किये जाने के साथ-साथ कार्य में लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना के आरोप में दण्ड स्वरूप उनकी एक वेतनवृद्धि स्थाई रूप से रोकने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र दिनांक 30-6-2005 में निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के जू0 हा0 स्कूल बिरौली के भवन निर्माण की जांच

102-श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र संख्या सा0नि0वि0 (बे)/6839/04-05, दिनांक 17-02-05 द्वारा दिये गये जांच के आदेश पर किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी पाये गये अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

सहायक अभियन्ता सर्व शिक्षा अभियान, हरदोई से जांच कराई गई। जांच में भवन निर्माण का कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

श्री परमेश्वर दीन, प्रधानाध्यापक सम्बन्धित निर्माण प्रभारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से दण्डस्वरूप रोक दी गयी तथा मूल्यांकन के आधार पर रुपये 43,900.00 की वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

103-श्री हरिप्रताप सिंह-

[3रे मंगलवार के अता0प्र0सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

104-श्री हरिप्रताप सिंह-

[3रे सोमवार के अता0प्र0सं0 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के आस-पास गांवों में समुचित सिंचाई हेतु योजना बनाने की मांग

105-डा0 विनोद तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि तहसील मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के आस-पास के लगभग तीस गांवों में नहरों के ठीक रख-रखाव एवं टेल तक पानी न पहुंच पाने के कारण सिंचाई संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में समुचित सिंचाई हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

तहसील मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के आस-पास गांव में सिंचाई की व्यवस्था मुख्य रूप से घाघर नहर प्रणाली के मड़िहान ब्रांच से की जाती है जिससे कुल 40 नहरें निकलती हैं। जलाशय में जलाभाव के कारण केवल 10 नहरों के टेल तक पानी खरीफ में पहुंचा। रबी में जलाशय में पानी के अभाव के कारण नहरें ठीक से नहीं चल पायी हैं।

गांवों में समुचित सिंचाई हेतु मड़िहान तहसील की नहरों के पुनर्स्थापना हेतु घाघर नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना बनायी गयी है। जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में मदरसा अरबिया अन्सारिया बालिका इण्टर कालेज, युसुफपुर को वित्त सहित मान्यता दिये जाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर कृत कार्यवाही

106-श्री मोख्तार अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 21 सितम्बर, 1994 को जनपद गाजीपुर में मदरसा अरबिया अन्सारिया बालिका इण्टर कालेज, युसुफपुर को वित्त सहित मान्यता दिये जाने की मा0 मुख्य

मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 14-10-86 से प्रदेश के विद्यालयों को धारा 7-क(क) के अन्तर्गत वित्तविहीन मान्यतायें प्रदान की जा रही हैं। ऐसे विद्यालयों की अनुदान सूची पर लिए जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रश्नगत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

अयोध्या में दिनांक 5 जुलाई, 2005 को घटित आतंकवादी घटना के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के जरिये, प्रदेश और देश की जनता के समक्ष दिनांक 05-07-2005 को अयोध्या में हुई आतंकवादी घटनाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। मान्यवर, जनपद फैजाबाद में अयोध्या स्थित विवादित बाबरी मस्जिद/राम जन्म भूमि परिसर से सम्बन्धित अधिगृहित क्षेत्र में लगी बैरी-केडिंग के किनारे जैन मन्दिर के पास, दिनांक 05-07-2005 को समय सवा नौ बजे पांच आतंकवादी एक मार्शल जीप में आये और नीचे उतरने के बाद उक्त मार्शल जीप को विस्फोट से उड़ाकर बैरी-केडिंग में सुराख बना दिया तथा पांचों आतंकवादी परिसर के अन्दर प्रवेश कर गये। उक्त आतंकवादियों ने परिसर के अन्दर सुरक्षा ड्यूटी में लगे उ0 प्र0 पुलिस, पी0 ए0 सी0 तथा सी0 आर0 पी0 एफ0 सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वहां पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी-अपनी पोजीशन लेकर आतंकवादियों पर फायरिंग की। लगभग डेढ़ घन्टे तक आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग चलती रही। उ0 प्र0 पुलिस, पी0 ए0 सी0 और सी0 आर0 पी0 एफ0 की संयुक्त कार्यवाही से पांच आतंकवादी मौके पर ही मारे गये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, वक्तव्य की कापियां तो वितरित कर दी जाएं।

श्री अध्यक्ष-

अभी मिल जाएंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश की पुलिस, पी0 ए0 सी0 और सी0 आर0 पी0 एफ0 की संयुक्त कार्यवाही से पांच आतंकवादी मौके पर ही मारे गये। यह हमारे लिए और भी गर्व का विषय है कि इस घटना में न किसी सुरक्षा बल के जवान की मृत्यु हुई और न ही विवादित परिसर का कोई नुकसान हुआ। सुरक्षा बलों द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र की छान-बीन की गई तो आतंकवादियों के पास से और आस-पास के क्षेत्रों से निम्न शस्त्र एवं अन्य सामान बरामद हुए। ए0के0-47-पांच, पिस्तौल-2, मैगजीन-9, जीवित ग्रेनेड-15, जीवित राउन्ड-141 (ए0के0-47), 04 (पिस्टल)। उपरोक्त घटना में सुरक्षा बलों के निम्न अधिकारी-कर्मचारी घायल हुए। उपनिरीक्षक, श्री नन्द किशोर शर्मा, सी0आर0पी0एफ0, मुख्य आरक्षी सुलतान सिंह, सी0आर0पी0एफ0, मुख्य आरक्षी धर्म सिंह,

सी0आर0पी0एफ0, आरक्षी हिमांशु यादव, पी0ए0सी0। जिस समय आतंकवादियों ने मार्शल जीप को बम से उड़ाया था उस समय जीप के पास से गुजर रहे श्री रमेश पाण्डे पुत्र श्री गंगाराम निवासी कटरा, थाना-रामजन्म भूमि, जनपद फैजाबाद विस्फोट की लपेट में आ गये थे और उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी थी। इसके अलावा वहां दर्शन के लिए गये श्रीमती शान्ति देवी एवं श्री कृष्ण स्वरूप घायल हो गये थे। उपरोक्त घटना में घायल सीआरपीएफ के उप निरीक्षक श्री नन्द किशोर शर्मा, सूबेदार श्री सुल्तान सिंह, मुख्य आरक्षी श्री धर्म सिंह तथा पी0ए0सी0 के आरक्षी श्री हिमांशु यादव को एक-एक लाख रुपये एवं आम नागरिक श्रीमती शान्ति देवी व श्री कृष्ण स्वरूप को 50-50 हजार की धनराशि दी गयी है एवं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त घटना में अदम्य साहस प्रदर्शित करने वाले पी0ए0सी0 के 22 कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान की गई है। सराहनीय कार्य करने वाले सुरक्षा बलों को 25 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त गौरव की अनुभूति हो रही है कि घटनास्थल पर नियुक्त सुरक्षा बलों के सदस्यों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए भारत के स्वाभिमान और भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा की क्योंकि आतंकवाद, इन्सानियत के ऊपर एक काला धब्बा है, जिसका मुकाबला समाज के हर नागरिक को संगठित होकर करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है, एक तरह से यह छद्म युद्ध सा है, इसलिए हम सबको अपने सारे राजनैतिक मतभेद भुलाकर आतंकवाद के इस महाराक्षस का मुकाबला करना चाहिए। हमारा निश्चित मत है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अप्राकृतिक ढंग से हुआ था। भारत और पाकिस्तान की आम जनता भाईचारे के साथ रह सके, यह हमारी ओर से कोशिश रही है। मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि विगत एक-डेढ़ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की सीमा के भीतर दोनों देशों के बीच भाईचारे और प्रेम-मोहब्बत का जो नया वातावरण तैयार हुआ था और दोनों देशों की सरकार भी शान्ति के जरिये दोनों देशों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रही थी, केवल उस शान्ति प्रक्रिया को बाधित करने की भावना से भारत और पाकिस्तान के अन्दर सक्रिय समाज विरोधी शक्तियों ने, इस तरह से हमले को प्रायोजित किया था।

आप सभी जानते हैं कि विगत कई दशकों से अयोध्या के उक्त परिसर को लेकर, भारत के अन्दर सामाजिक समरसता के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा की जाती रही है। विगत वर्षों में भारत की महान जनता ने उकसाने वाली बातों को दरकिनार कर, एक साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने में पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। हम सभी लोगों ने मिल-जुलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, जो संकल्प लिया था, उसके चलते उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग हमें मिल रहा है। इस प्रायोजित आतंकवादी हमले का मकसद, भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश के, साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़कर साम्प्रदायिक दंगा कराना था। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और भारत की महान जनता को जिसने इस आतंकवादी हमले के निहितार्थ को बुनियादी तौर पर समझा और साम्प्रदायिक एकता का जो वातावरण बनाने की हमारी कोशिश है, उस कोशिश में भरपूर सहयोग दिया।

मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारी खोजी संस्थाओं ने उक्त घटना के पीछे सभी षड़यन्त्रों और शक्तियों का पर्दाफाश, रिकार्ड समय में कर दिया। उपरोक्त घटना के तुरन्त बाद घटना में शामिल व्यक्तियों का पता लगाने एवं घटना के षड़यंत्र को खोलने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई और उ0प्र0 पुलिस (एसटीएफ मिलाकर) की कई टीमें कई राज्यों में भेजकर, छान-बीन की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के उपरान्त इससे सम्बन्धित षडयन्त्र का पता लगा लिया गया है और आतंकवादियों को शस्त्र उपलब्ध कराने वाले दो व्यक्तियों को, उनकी गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकवादियों के कुछ ठिकानों का पता लगा लिया गया है और अन्य ठिकानों का पता लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त घटना में शामिल 5 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है, शेष 3 आतंकवादियों की पहचान करने की कार्यवाही की जा रही है।

यह कोई सामान्य कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देश आतंकवादियों के निशाने पर है। विश्वव्यापी आतंकवादी विरोधी अभियान का भारत भी हिस्सा है। यह पूरे भारत की सुरक्षा, एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय प्रश्न है। मेरी समझ में अयोध्या परिसर पर आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सशक्त कड़ी का हिस्सा है, इसलिए अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश की सरकार, इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे खुशी है कि उक्त परिसर की रक्षा की तैयारी के लिए, भारत सरकार ने न केवल हमारा सहयोग किया है, अपितु हमें अपेक्षित आश्वासन भी दिया है। हमें विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से, हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला सक्षम ढंग से कर सकेंगे।

हम इस सदन के माध्यम से सभी राजनैतिक दलों, स्वयं सेवी संगठनों तथा विधायक साथियों से अपेक्षा रखेंगे कि आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे साथ आवें। समाज के अन्दर फैले साम्प्रदायिकता के विष को निकाल फेंके और समाज का समरस वातावरण बनाने में सरकार का इस तरह सहयोग करें कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद उत्तर प्रदेश की ओर झांकने का साहस न जुटा सके।

(मुख्य मंत्री जी द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने के उपरान्त मेजों की थपथपाहट।)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री, वक्तव्य की प्रतियों की तत्काल व्यवस्था करायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

जी हां, आ रही हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं उन बहादुर सिपाहियों को बधाई देता हूं जिन्होंने आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मार दिया। लेकिन सारे प्रदेश में इस समय जो स्थिति पैदा हो रही है, शायद देश में यह सबसे नरम स्टेट, साफ्ट स्टेट है।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि वक्तव्य पर स्पष्टीकरण होते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की बात कही है इसलिए आप चर्चा के रूप में इसे लें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं चर्चा करूंगा। मान्यवर, सारे जो आतंकवादी संगठन हैं उनको उत्तर प्रदेश एक चारागाह के रूप में दिखायी दे रहा है। लगातार यह घटनायें हो रही हैं लेकिन राम जन्मभूमि की यह विशेष घटना है। इसका सिलसिला आप देखें कि कहां से कहां तक है और इसके आगे क्या परिणाम होंगे और यह कहां तक जायेंगे ? मैं सिर्फ कुछ बातें आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कहां-कहां लैप्सेज रहे हैं। मान्यवर, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अन्तर है। केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री ने यहां आकर सबसे पहले कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। केन्द्र सरकार की तरफ से यह आया कि हमने राज्य सरकार को सूचित किया था कि इस तरह की घटना हो सकती है। अगर इस प्रकार की सूचना आयी थी तो क्या किया गया ? मान्यवर, अगर इसके आगे और बढ़ें तो हमारे डी0जी0पी0 महोदय के साथ दिल्ली में एक बैठक हुयी उसमें यह तय हुआ कि धर्म स्थानों की सुरक्षा बढ़ायी जाय क्योंकि वहां पर इस तरह आतंकवादी हमला कर सकते हैं। वहां से लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या में हमारे पास सुरक्षा बल बहुत है उसमें कमी करनी चाहिये। समाचार पत्रों से यह सूचना प्राप्त हुयी कि 2100 कैडेट्स को वहां से हटा लिया गया। आखिर यह किसकी जिम्मेदारी थी, यह क्यों हटाये गये ? आज सारे प्रदेश में आप देखें पूर्वान्चल नक्सलवाद से और कहीं पर माओवाद से जूझ रहा है। लश्करे तैय्यबा और तमाम संस्थानों ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि फिदायीन दस्तों द्वारा, आत्मघाती दस्तों द्वारा हम यह स्थान नष्ट करके रहेंगे। सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और सरकार को एक नीति घोषित करनी चाहिये कि आगे क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी ? मान्यवर, लगातार यह सिलसिला चल रहा है.....

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री लालजी टण्डन-

अगर आप कहें तो मैं यह बताऊं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

श्री लालजी टण्डन-

जरा तो गम्भीरता दिखाइए। जो अभी तक गुप्तचर संस्थाओं की सूचना प्राप्त हो रही है, अखबारों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आतंकवादी मुजफ्फरनगर से चलकर अयोध्या तक पहुंच गये तो क्या प्रदेश में कोई शासन, कोई विजिलेंस एजेंसी, कोई गुप्तचर एजेंसी कोई पुलिस या कोई संस्था नहीं थी जो उनको कहीं पर चेक कर पाती इसका दोषी कौन है ? आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इस पर हम सभी को मिलकर एक कार्य योजना बनानी चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इतना भी उचित नहीं समझा कि हमसे सहयोग मांगते या सभी दलीय नेताओं को बुलाकर इस घटना के बाद परामर्श कर लेते। यह उन्होंने उचित नहीं समझा।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह बीच में कमेन्ट न करें। गम्भीरता बनाए रखें।

श्री लालजी टण्डन-

भारत सरकार के गृह मंत्री वहां आए थे लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं कि उस स्थान को देखने जाते। उन्होंने यहीं से घोषणा कर दी कि फोर्स में जिन्होंने अच्छा काम किया है उसे पुरस्कार देंगे पुरस्कार और ज्यादा दें उससे हमें खुशी होगी लेकिन क्या यह मुख्य मंत्री जी का दायित्व नहीं था कि इतनी सेंसटिव घटना जिससे सारा प्रदेश धू-धू करके जल सकता था, सारे देश में एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी तो वह घटनास्थल पर जाते आज तक घटनास्थल पर जाने के लिए उनके पास समय नहीं मिला न ही आज तक उनका कोई मंत्री घटना स्थल पर गया मंत्री लोगों को तो घटनास्थल तक जाने की इजाजत ही नहीं है इनके यहां हमारे यहां की तरह लोकतंत्र नहीं है। आतंकवादियों ने मुजफ्फरनगर से लखनऊ और उसके बाद अम्बेडकरनगर तक व उसके बाद फैजाबाद तक का सफर किया। लखनऊ में उन्होंने बैग खरीदे। यह भी सूचनाएं आ रही हैं कि इसके पहले भी आतंकवादी परिसर का कई बार चक्कर लगा चुके हैं। सारे रास्ते उन्होंने देख लिए थे कि कहां से जाया जा सकता है। अभी तक प्रदेश अपराधियों से जूझ रहा है अब आतंकवादियों से हमें जूझना पड़ेगा। अगर इस तरह से लचीला रवैया रहेगा तो यह बहुत बड़े अनिष्ट का सूचक है। यह भी आप देखें कि इसमें राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं होती हैं। खाली उन्होंने पोस्टमैन का काम किया और सूचनाएं भेज दी, जो 67 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर कर रखी है, जो भारत सरकार के कब्जे में है उस जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है। इसमें दोनों सरकारों की कमियां हैं। इन कमियों को प्रदेश के हित में दूर करें मैं यह नहीं कहूंगा कि कोताही है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जो कमियां थीं उन कमियों की तरफ ध्यान दें। हमारी अगर इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी तो कैसे तीन कार्डन में आतंकवादी दो को पार कर तीसरे में पहुंच गये और अगर उन्होंने जल्दबाजी में अपनी जीप को ब्लास्ट न किया होता तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता और वे वहां जाकर उस जगह को उड़ा देते। मुझे नहीं लगता कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां कष्ट में राम-राम कहती है, जब कोई मरता है तो राम नाम सत्य है कहा जाता है। उस राम के मन्दिर के लिये ऐसी उपेक्षा, ऐसा इस तरह का दृष्टिकोण, यह उचित नहीं है।

पाकिस्तान के एक बड़े भारी मशहूर शायर थे सर इकबाल उन्होंने राम के लिये कहा था कि यह इमामे हिन्द हैं। राम जो हैं वे केवल हिन्दुस्तान के लिये नहीं हैं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिये हैं और अगर उनकी रक्षा के लिये मन में जरा भी संवेदना नहीं है। आज यह आतंकवाद की घटना कोई मामूली चूक नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का झंडा एक लाइसेंस हो गया है अपराधियों के लिये। जिसको लगाकर जो जहां चाहे चला जाय। जो आतंकवादी जीप में बैठकर वहां गये थे उसमें भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था और वही निशान बना हुआ था। यह मैं इस लिए कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो इससे यह साबित है कि सारे आतंकवादी और आपराधिक तत्व समाजवादी पार्टी का झंडा लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सत्ता है और उनके यह निर्देश हैं पुलिस को कि अगर कोई शिकायत करता है तो पकड़कर शिकायत करने वाले को बन्द कर दो। इस बात का जवाब देना होगा कि वे यह झंडा लगाकर वहां तक कैसे चले गये ? क्या वे इसी वजह से नहीं रोके गये ? कहीं तो उन्हें रोका जा सकता था। इतने हथियार इनके पास थे। ग्रेनेड, 47 ए0के0-47, एक पिस्तौल, एक रॉकेट लॉन्चर। (व्यवधान) यह आंकड़े जो मैं दे रहा हूं मैंने

इधर-उधर से प्राप्त किये हैं और आपके सामने रख रहा हूं। मैं जिद नहीं कर रहा हूं कि यह सही आंकड़े हैं। वहां पर कई दिन बाद तक ग्रेनेड पाये गये। जो आतंकवादी मारे गये थे उनकी लाश जब पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई तो उसमें एक ग्रेनेड मिला। डाक्टर भाग गये पोस्टमार्टम करने से। बाद में यूंही दफना दिया गया। कहते हैं कि पहचान हो गई। कैसे पहचान हो जायेगी बिना शक्ल-सूरत मिलाए, तस्वीर से हुलिया मिलाए बिना कैसे पहचान हो जायगी ? क्या वे पुलिस थाने में रिपोर्ट करके गये थे कि हम वहां इस काम को अन्जाम देने जा रहे हैं। यह कैसी इनक्वायरी हो रही है ? इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक उच्चस्तरीय आयोग बनाया जाय जो इसकी पूरी जांच करे और यह जांच करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि इनका लक्ष्य हो गया है इस जगह को नष्ट करना। अभी इंडोनेशिया में सभी आतंकवादियों की बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जायेगा इसलिये हवाई रास्ते से उस जगह पर हमला किया जाये। अयोध्या को नौ फलाइंग जोन घोषित कर दिया जाय। कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर कोई हवाई जहाज उस एरिया में आयेगा तो उसको उतारा जाय और मारा जाय ? अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है तो ऐसी व्यवस्था की जाय। अगर हम उसके कस्टोडियन हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। नहीं करते हैं तो जनता को अवगत करायें। कहें यह नालायक नहीं कर रहे हैं। कह कहकर कोई बच नहीं सकता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। यह कमियां हैं मुख्य मंत्री जी को मैं बता रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो बुर्जियां बनी हैं जहां से निगरानी की जाती है। उसमें 13 चौकियां खुली थीं उसमें कोई नहीं था यह लैप्सेस है या नहीं है ? आपका दोष नहीं है यह व्यवस्था है। वहां एक कार्यवाहक मजिस्ट्रेट इतनी बड़ी चौकी को देख रहा है। वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। यहं जिस रास्ते से गये हैं वह कोई जानने वाला ही जा सकता है। जो जीप गई वह सब रास्ता जानती थी वह ऐसी जगह से ले गई जहां से आसानी से अन्दर जाया जा सकता था। आज हमारे सामने ऐसी बातें है। सरकार ने जो संवेदनशीलता जाहिर की है वह संवेदनशीलता नहीं थी इसके कारण इतनी बढ़ी घटना हुई। लखनऊ में डिटोनेटर पाया गया और जो छड़ पाई गई उससे शहर तबाह हो जाता। कहीं रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। एटम बम बनाने का सारा मैटीरियल मिल रहा है। इसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था, इंटेलीजेंस व्यवस्था सही हो तो यह नहीं हो सकता है। इसके पहले भी लखनऊ फैजाबाद में आतंकवादी मारे गये जब यह मारे गये तो कहीं कोई पकड़ नहीं कर पाया। यह पहला मौका है आपके सुरक्षा कवच जो बने हैं दो को छोड़कर तीसरे में पहुंच गए और जो ग्रेनेड फेंका तो वह राम मन्दिर तक यदि चला जाता तो क्या हालत होती ? इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मान्यवर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा। बब्बर खालसा का फिर उदय हो रहा है उत्तर प्रदेश में सब प्रभुत्व पा रहे हैं। पंजाब में आतंकवाद फैला तो यहां फैलने में देर नहीं लगेगी। पंजाब के लोग बधाई के पात्र हैं। हर मजहब के लोगों ने भाईचारे के साथ आतंकवाद को मिटा दिया लेकिन हमारे सामने मजबूरी है अगर सख्त कदम उठायेंगे तो आजम साहब नाराज हो जाएंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जिन्नावादियों से क्या नाराज होंगे ?

श्री लालजी टण्डन-

एक साल पहले वहां के सिपाहियों ने शिकायत की कि खाने की व्यवस्था सही नहीं है, पीने का पानी नहीं है तो इन सब चीजों की व्यवस्था कैसे करनी है ? क्या उन जवानों को करनी है ? आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं यह सुरक्षा लैप्सेस है या नहीं है ? आपने वहां अगर व्यवस्था नहीं थी, कमियां थीं तो उन कमियों को दूर क्यों नहीं किया। कोशिश करें कि आगे ऐसी घटना न हो। चारों तरफ आतंकवाद के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

श्री लालजी टण्डन-

अध्यक्ष जी, इसमें मैं क्रमवार बता रहा हूं, एसटीएफ ने लखनऊ में लश्कर-ए-तैय्यबा के फिदायीन रशीद और सज्जाद को मार गिराया, जिसके पास से विदेशी पिस्तौल और राकेट लांचर बरामद हुए, यह पुलिस का रिकार्ड है। मान्यवर, लखनऊ में ही कैंट क्षेत्र में अल्ताफ और सलीम नाम के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बताया कि उनका निशाना भी अयोध्या ही था। उनका एक साथी अयोध्या पहुंच भी गया था लेकिन एसटीएफ ने आतंकवादी इमरान को अयोध्या में मार गिराया। लेकिन डी0जी0 कहते हैं कि वहां सुरक्षा इतनी ज्यादा है, उसे हटा लिया जाए, यह किधर इशारा करता है ? वर्ष 2003 में जैश-ए-मुहम्मद के मेहराज को गिरफ्तार किया गया जिसका निशाना भी अयोध्या था। 12 मार्च, 2003 को लश्कर-ए-तैय्यबा के 4 फिदायीन को पकड़ने में कामयाबी मिली और यह भी अयोध्या में विध्वंस का मंसूबा रखते थे। 27 मार्च, 2003 को एसटीएफ और आई0बी0 ने मिलकर मंजूर डार को मार गिराया और उसके पास से नक्शे और तार बरामद हुए । वर्ष 2004 में ही एसटीएफ और आई0 बी0 ने इरफान को लखनऊ में पकड़ा और उसके पास से विस्फोटक और असलहे बरामद हुए। इसके अलावा भी अनेकों अवसर आए हैं जब विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। अयोध्या एक इशू हो सकता है। यह तो रामजी की कृपा कह सकते हैं कि यह वहां पर हो गया तो शायद अब सरकार के कान में आवाज पहुंची हो। सारे प्रदेश में जो गतिविधियां अन्य संगठनों की बढ़ने वाली हैं, उनके लिए भी दबाव बनाया जाए। एक सूचना है कि मुजफ्फरनगर में एक तांत्रिक बाबा है जो यहां से नौजवानों को ब्रेनवाश करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेज रहा है, यदि यह सही है तो उस पर क्या किया जाए ? यह सब इंगित करता है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले, कहीं ज्यादा सेन्सेटिव है। आतंकवाद के मामले में यह कोई एक घटना के बारे में हो सकता है क्योंकि वह रामलला से सम्बन्धित है लेकिन आक्रोश तो दरअसल यह है कि पूरे प्रदेश में जो आज इस तरह से घटनाएं हो रही हैं इसमें हम सब का यह कर्तव्य है, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की है, बयान भी दिया है कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। जब हम सब अपने घर में बैठे रहेंगे तक सब मिलकर कैसे मुकाबला करेंगे ? इससे पहले कभी भी प्रदेश में कोई गम्भीर बात हुई है तो उसमें विपक्षी नेताओं को बुलाकर मुख्य मंत्री जी ने परामर्श किया है और कोई कार्य योजना तैयार हुई, सब एक स्वर में बोले। लेकिन यहां तो कोई परवाह ही नहीं है, समय ही नहीं है। न वहां जाने का समय है, न यहां बात करने का समय है तो किसकी जिम्मेदारी है ? अगर यह जिम्मेदारी

विपक्ष पर छोड़ दीजिए तो कल आप इस तरह से कहिए कि हां यह नहीं कर पा रहे हैं। कल जब हमारी सरकार थी तो हमने एक-एक को मार गिराया कोई अयोध्या तक नहीं पहुंच पाया।

(कई सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया शान्त हो जायें, जब मौका मिलेगा अपनी बात कहिएगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह लश्कर ए तैय्यबा और अन्य आतंकवादी संगठन भी लखनऊ में जमा हुए हैं और सिमी जो कि अराजक संगठन है इसमें भी उनका सीधा सम्बन्ध है। इसमें पहले दो मीटिंग हुई थीं जिस जगह पर यह मीटिंग हुई थीं उसमें नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री वहां पर जाते हैं। यह रिकार्ड में है।

एक सदस्य-

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी भी तो टोपी लगाकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, जब आपको मौका मिलेगा तो कहिएगा।

श्री मुहम्मद आज़म खां-

कहां पर कहा आपने ?

श्री लालजी टण्डन-

टीले वाली मस्जिद।

श्री मुहम्मद आज़म खां-

अगर कोई दिन, तारीख आप बतायें। अगर आपकी इतनी बड़ी सूचना है तो आप कोई दिन-तारीख बतायें। हम तो पाकिस्तान भी अभी तक नहीं गये हैं और तो माथा टेककर आये हैं।

श्री लालजी टण्डन-

जो आप यहां कर रहे हैं वह आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि रोजा-अफ्तार कब होता है ? रमजान कब होता है ? रोजा कब खोला जाता है ?

श्री मुहम्मद आज़म खां-

आज तक किसी रोजा अफ्तार में न मैं और न नेता जी कभी गये क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, जिन्नावादी नहीं। हमने जिन्ना की कब्र पर कभी माथा नहीं टेका।

श्री लालजी टण्डन-

जिन्ना तो मर गये लेकिन आज जो जिन्ना हैं, उनको जिन्दा करने की कोशिश बराबर चल रही है। मान्यवर, यह बात दूर तक जाएगी।

श्री आलम बदी-

मान्यवर, यह विषय से हटकर बात है।

श्री अध्यक्ष-

आलमबदी साहब, कृपया शांत रहें।

श्री आलमबदी-

मान्यवर, इन्हें सीमित करिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। वहां जो स्थिति पैदा हो रही है, वहां पर एक रास्ता नया बन गया है, जहां आतंकवादियों को आने में सुविधा होगी। वहां पर हम कड़ाई करेंगे। वहां पर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से आतंकवादी अड्डे बन रहे हैं यह बातें हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। यह चिन्ता उतनी ही होनी चाहिए इधर भी, उधर भी और इस चिन्ता के साथ आप इन सबकी व्यवस्था करें। लेकिन आप तो पोटा तक भी हटा देते हैं। एक भय था आतंकवादियों के लिए कि जिन्दगी भर जेल में सड़ेंगे, वह कानून भी खत्म हो गया। कोई कानून आपके पास नहीं है कि आप उनको पकड़ें और उसे अदालत से जमानत न मिलने पाये, ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई कानून उनके लिए रह नहीं गया है, पोटा आपने हटा दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। परम्पराओं का ध्यान रखें।

श्री लालजी टण्डन-

माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पार्टी के एकछत्र नेता हैं। वह पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मुख्य मंत्री भी हैं। यह जो आपकी पार्टी के झण्डे का दुरुपयोग अपराधी कर रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं, गुण्डे कर रहे हैं, गाड़ियों पर इसका लाइसेंस लगा हुआ है, कुछ ऐसा करें कि इस पर नियंत्रण हो। यह काम आपका है। आपने झण्डा दे दिया कि लगाकर चलें और वह चल रहे है। इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है कि उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस प्रदेश का लुटेरा, हत्यारा और आतंकवादी अपनी गाड़ी में झण्डा लगायेगा। जैसा कि यह तय हुआ है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था और इन्टेलीजेंस बड़ी चुस्तदुरुस्त थी लेकिन जिस तरीके से गाड़ी में झण्डा लगाकर चलते हैं, अकबरपुर से चलते हैं, सामान खरीदते हुए, फिर जीप किराये की लेकर वहां पर पहुंच जाना, वह तो अपने मकसद में कामयाब हो गये थे अगर वह बम फट जाता तो। लेकिन वह बम नहीं फटा। वह तो राम लला के मन्दिर तक पहुंच ही गये थे। इसलिए अभी भी समय है अपनी कमियों को देखकर सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्समीक्षा करें। वहां पर उचित सुरक्षा व्यवस्था हो, जो लोग वहां पर ड्यूटी पर हैं ऐसा मालूम होता है कि उनको सजा हो गयी है। न उनके खाने की चिन्ता है, न वह कहीं आ जा सकते हैं, न उनकी और व्यवस्था है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है और उसे आप करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रदेश को आतंकवादियों, अपराधियों के बीच से बचायें नहीं तो इतिहास लिखेगा। आप भले ही यह समझते हों कि जनता हमारी जय-जयकार कर रही है लेकिन इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं छिपेंगी। उस समय कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, पढ़ने वाले आपको दोषी मानेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न हो, आपको कलंक का सामना न करना पड़े इसलिए व्यवस्था सुनिश्चित करें और जनता को विश्वास दिलायें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम एक राष्ट्रीय संकट की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं उन लोगों से इत्तफाक नहीं कर सकता जो इस घटना को आतंकवादी हमला एक जिले, एक शहर या प्रदेश पर मानते हैं बल्कि मैं उन लोगों में से हूं और हमारे दल की मान्यता भी यही है कि जो 5 जुलाई को अयोध्या में हमला हुआ वह अयोध्या पर ही हमला नहीं हुआ बल्कि वह भारतवर्ष की एकता, अखण्डता और सार्वभौमिकता पर हमला हुआ था। जब भारत देश पर हमला हो तो वह कैसे मुकाबला करे आज हम इस पर विचार करेंगे। यह अत्यंत ही संवेदनशील विषय है। यह आरोपों और प्रत्यारोपों का विषय नहीं है। सबसे पहले मैं उन बहादुर जवानों और सुरक्षा बलों को सलाम करता हूं, उनके अदम्य साहस के लिए और सम्पूर्ण सदन से आग्रह करता हूं कि एक प्रस्ताव करके भेजें उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए। जो लोग पैदल चलकर वहां पर आतंक करने आये थे उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने कन्धों पर लादकर भेजा, ऐसी सुरक्षा उन्होंने दिखायी मान्यवर, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए, उन्हें यहां बधाई दी जानी चाहिए।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, आज विषय नहीं है चर्चा का, मान्यवर, निसन्देह कुछ बातें नेता विरोधी दल जी ने कहीं, उस पर विचार होने की बात है। झण्डा लगा था इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि बैरीकेटिंग पहले कैसे टूटी, पहले जो घेरा टूटा उसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वहां पर जो फोर्स की स्ट्रेन्थ होनी चाहिए थी वह थी या कम थी, जो लोग ट्रांसफर होकर आये थे उन्होंने जवाइन किया था ? मान्यवर, यह सब बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर विचार करना चाहिए, इन पर चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, मेरी जिज्ञासा है, मेरी चिन्ता है कि आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब तो नहीं हुए, जो वह करने आये थे वह कर नहीं सके, लेकिन छः जुलाई को पूरे देश में जो बी0जे0पी0 का बन्द का काल हुआ क्या वह होना चाहिए था ? छः जुलाई को पूरे देश में बन्द का आह्वान करके जगह-जगह तोड़-फोड़ और आगजनी करके पूरे देश को अशान्ति रूपी आग के हवाले करने का प्रयास किया गया था। मान्यवर, इन्हें शायद यह वेदना हो कि आतंकवादी आये, लेकिन वह चले क्यों नहीं गये और जो वह काम पूरा नहीं कर पाये वह हम पूरा किये देते हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चर्चा 05 जुलाई की घटना पर हो रही है या छः जुलाई को जो वेदना, जो पीड़ा हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके व्यक्त की थी उस पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, सारे राष्ट्र में यह घटना चर्चा का विषय बन गयी थी, हम अगर धरना न देते, तो क्या करते ? राम मन्दिर पर हमला किया गया था, हमारी आस्था पर हमला किया गया था।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय हुकुम सिंह जी का, अगर आप संवेदनशील बनना चाहते हैं, तो बतायें कि जब भारत की पार्लियामेन्ट पर हमला हुआ था तो उस समय किस पार्टी की हुकूमत थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग टोका-टोकी न करें, इन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

जब पार्लियामेण्ट हाउस पर हमला हुआ था तब हमारी हुकूमत नहीं थी। वह बहुत काला दिन था हमारे देश के लिए, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमारी नेता ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, जब इससे सम्बन्धित बिल को पार्लियामेण्ट में लाया गया तो सारा विपक्ष एकजुट था। आपमें अगर राष्ट्रवाद की भावना होती तो मान्यवर, आपको भी एक काम करना चाहिए था वह धरना प्रदर्शन 10-15 दिन के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिए था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आतंकवाद की जननी [×××] है। अगर आज आतंकवाद से सारा देश झुलस रहा है तो उसके लिये [×××] जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जायं, बीच में व्यवधान न करें, आप लोग धैर्य से सुनिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

भिंडरावाले को इस देश में पैदा किसने किया था ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सबको यह मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है, तो यह बारम्बार आस्था प्रकट करने की क्या जरूरत है ?

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जब भी देश में आतंकवाद और कट्टरवाद पर हमले हुए हैं, एकजुट होकर खड़ी हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर जो कीमत हमने चुकायी है। हमारी अपनी सर्वोच्च नेता इन्दिरा गांधी जी उस आतंकवाद की भेंट चढ़ गईं, राजीव गांधी जी उस आंतकवाद की भेंट चढ़ गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप जितनी छेड़छाड़ करेंगे उतनी ही बातें बढ़ेंगी।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि संसदीय भाषा में हम अपनी बात कह देते और जब उत्तर की बात आती तो उसमें आपको अवसर मिलेगा। आप मेरे तर्कों का जवाब दे दीजियेगा। जहां गलत हो वहां आप सही साबित कर दीजियेगा। क्या आप सच को नहीं सुनना चाहते हैं। लाल किले की बात है, नेता सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था कि उनकी आखिरी सांस तक उनका आखिरी पड़ाव दिल्ली का लाल किला होगा। उन्होंने अपनी जान दे दी थी। आज उस लाल किले पर 15 अगस्त को भारत का तिरंगा फहराता है और वह लाल किला देश की एकता और अखण्डता का प्रतीक है। [×××] वहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ। अक्षरधाम मन्दिर पर हमला हुआ और उसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और आपकी सरकार सोती रही (शेम-शेम की आवाजें) यहां पर आतंकवादी आये हमने उन्हें मार गिराया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल सिंह जी आप उन्हें धैर्य से सुनते क्यों नहीं हैं ? आपको मौका मिलेगा अपनी बात करने का, आप जवाब दे दीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप देखें जानबूझ कर इस सदन के एक शान्तिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इनकी भाषा में बोलें तो यह कह सकते हैं कि यह तो अपने प्रधान मंत्री की जान की रक्षा भी नहीं कर पाये। उनकी घर में हत्या हो जाये और ये रक्षा न कर पाये और यह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इन्होंने उसके बाद [×××]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज मान्यवर, कश्मीर में किसकी हुकूमत है ? हजारों लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीर में जो भी आतंकवाद फैला है वह इस [×××] ही देन है। आज यह आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। माननीय प्रमोद जी मेरा अनुरोध है कि इस मसले पर सदन में एक गम्भीर वातावरण बना हुआ है। इसलिए आप अपनी बात को संक्षिप्त करें और इस माहौल को बहुत गर्म न करायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप देखें यह कहा गया कि हम अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पाये। इसका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं कि देश की एकता और अखण्डता के खातिर हमारे प्रधान मंत्री कुरबान हो गये।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यहाँ आतंकवाद पर चर्चा नहीं हो रही है इनका मन्तव्य केवल बी0जे0पी0 को कटघरे में खड़ा करना है। बी0एस0पी0 को कटघरे में खड़ा करना है।

श्री प्रमोद कुमार-

प्रधान मंत्री की हम रक्षा नहीं कर पाये, मान्यवर, इसमें हम कहना चाहते हैं,....

(श्री राम इकवाल सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये मैंने आपकी बात कह दी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम प्रधान मंत्री की रक्षा इसलिए नहीं कर पाये क्योंकि हमने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। हमने कंधार जाकर आतंकवादियों को अफगानिस्तान तक पहुंचाने जैसा [x x x] काम नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

एक निकृष्ट और बेईमान आदमी को हमने छुड़वाकर सैकड़ों भारतीयों की जान बचाई।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपकी आत्मा तो इनके साथ है नहीं, शरीर जरूर है, क्यों आप परेशान हैं ?

मान्यवर, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या है, कारगिल आपके समय हुआ तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ। आतंकवादियों ने हजारों एकड़ जमीन आपके समय में कब्जा किया। आतंकवादियों का जब कब्जा हो गया तो क्या आप सो रहे थे, जो शटर गिर जाया करते हैं वह ज्यादा समय तक गिरे रहे और आतंकवादी कब्जा कर ले गये ? मान्यवर, चूंकि सम्मानित नेता विरोधी दल ने केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया इसीलिए हमने इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने का काम किया। मान्यवर, जिनका दामन छीटों से भरा है उनको दूसरों के दामन पर एक आध बूंद नहीं दिखाई पड़नी चाहिए वर्ना कभी-कभी वह तार-तार हो जायेंगे। [x x x]।

श्री अध्यक्ष-

संक्षिप्त करके समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, दिल्ली में इनकी सरकार है। गुरेज में और कश्मीर में 6 दिन से आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं जबकि दिल्ली में इनकी सरकार है, कश्मीर में इनकी सरकार है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैंने इन घटनाओं का जिक्र इसलिए किया जिससे यह देखा जाय कि यह किसी दल की समस्या नहीं, किसी सरकार की समस्या नहीं, किसी प्रदेश की समस्या नहीं, किसी एक देश की भी नहीं, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, ब्रिटेन पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो गयी है। हमें अपने दलों के बंधन को

नरेटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तोड़कर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो [x x x] को बढ़ावा देते हैं। [x x x] मान्यवर, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं अपने मित्रों से, साथियों से कि आतंकवाद को रोकना है तो उनके एके-47 का मुकाबला हमारे जवान एके-56 से दे देंगे लेकिन धार्मिक मुद्दे पर कट्टरता छोड़ दीजिए। उन तोगड़िया जैसे लोगों की स्तुति छोड़ दीजिए तो इससे देश में आतंकवाद को मिटाने में हमें सहायता मिलेगी। मान्यवर, मैं सिर्फ विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर अपील करूंगा जो किया, आज आपमें यह साहस नहीं रह गया है लेकिन आज हमारे नेता ने जो कुछ किया है एक-एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा हो जायेगा। लेकिन आपके नेता ने जो पाकिस्तान में किया, कितने लोग उनकी बात से सहमत हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनके प्रधान मंत्री अंग्रेजों की सरकार को अच्छी सरकार बताकर आये हैं, इसके बारे में इनको क्या कहना है ?

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और अपने दल की ओर से मैं पूरी दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार आतंकवाद का मुकाबला करती है या प्रदेश सरकार करती है तो हम सब उसके साथ हैं। लेकिन मुझे प्रदेश सरकार से एक शिकायत भी है, जिस दृढ़ता के साथ आपको 6 तारीख को इनका दमन करना चाहिये था, वह आपने नहीं किया। जिस तरह आपने आतंकवादियों का मुकाबला किया, उसी तरह से इनके भी साथ करना चाहिये था, क्योंकि इनका भी मकसद वही था और उनका भी मकसद वही था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उस समय नरसिंहराव जी प्रधान मंत्री थे, करके देख लेते, हमारी तो चुनौती आज भी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की बलिवेदी पर हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और जरूरत पड़ने पर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, नेता भारतीय जनता पार्टी से कि जब आपके नेता बोल रहे थे तो हम लोग बहुत विनम्रता से सुन रहे थे, लेकिन लगता है, बाजपेयी जी को कोई बगल से बुलवाता है।

बाजपेयी जी बोलना नहीं चाहते, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इशारा मुझे हो रहा है और दर्द इन्हें हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे नहीं मालूम कि आप इतने आदी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को विराम देते हुये इतना कहना चाहता हूं कि पूरी दृढ़ता के साथ आतंकवाद का मुकाबला हो। इस संबंध में मैं अपनी चिन्ता को और व्यक्त कर देना चाहता हूं कि अयोध्या तो एक पूर्वाभ्यास था, प्रदेश के किसी भी

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कोने में इस तरह की घटना हो सकती है। जब लोकसभा में हो सकती है तो विधान सभा में भी हो सकती है, इसलिये हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम होने चाहिये और आतंकवाद से सुरक्षा के मामले में सभी को सहयोग देना चाहिये। यह वातावरण विषाक्त न हो, इसके लिये सबको एकजुट होना चाहिये। मैं सबसे अपील करता हूं और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम उन बहादुर नौजवानों के कर्जदार हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इसकी रक्षा की। लेकिन उनकी निन्दा करता हूं, जिन्होंने मूर्तियों को इस तरह रखवाने का काम किया, अगर पहले जैसी स्थिति में मूर्ति होती तो ज्यादा सुरक्षित रहतीं। जिन लोगों ने ऐसा नापाक काम किया है, हम उनकी निन्दा करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 जुलाई को अयोध्या में घटित घटना के संबंध में अपना वक्तव्य दिया। मान्यवर, घटना बहुत ही दुस्साहिक और चिन्ताजनक रही है, इसकी जितनी निन्दा की जाय, उतनी कम है। साथ ही साथ, हम उन नौजवानों को, जिन नौजवानों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुये आतंकवादियों की कोशिशों को नाकामयाब किया, उनको बधाई भी देना चाहता हूं। साथ ही साथ प्रदेश सरकार को इसे बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिये। यह तो एक इत्तिफाक था कि आतंकवादी कोई बड़ा हादसा नहीं कर पाये थे और हमारे बहादुर नौजवान उन पर नियंत्रण कर लिये और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन सुरक्षा घेरा तोड़ करके वह अन्दर कैसे पहुंच गये, यह सवालिया निशान जरूर उठता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर। अयोध्या का मुद्दा हमेशा से ही बहुत गम्भीर रहा है और इसमें पूर्व से सुरक्षा-व्यवस्था बहुत चौकस की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा घेरा-1 और सुरक्षा घेरा-2 को तोड़ करके सुरक्षा घेरा-3 तक आतंकवादी पहुंच जाते हैं। वह बम विस्फोट कर देते तो अपने मकसद में कामयाब भी हो गये होते, इसलिये मान्यवर, वह सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर अन्दर कैसे गये, इस पर भी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और इसके लिये भी जो दोषी हों, जिनकी खामियों के चलते आतंकवादी अन्दर प्रवेश कर गये, इसकी भी जांच होनी चाहिये और कड़ाई से कदम उठाया जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद देश के लिये और समाज के लिये एक अभिशाप है और यदि आतंकवाद फले-फूलेगा तो आज नहीं तो कल बारी-बारी से सभी उसके शिकार होंगे। अभी मैं चर्चा के दौरान अपने आजू-बाजू में बैठे हुये साथियों को देख रहा था। कोई कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा था, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को और कोई समाजवादी पार्टी को। मान्यवर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जितनी भी मनुवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, यही धार्मिक उन्माद पैदा करती हैं। यह लोग धार्मिक उन्माद पैदा करके साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने की समय-समय पर कोशिश करते रहते हैं। मैं विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि आप वर्ष 1990 में मुख्य मंत्री थे, जिस समय बाबरी मस्जिद के मण्डप पर हमला हुआ था, वह [x x x] जो धर्म का सहारा ले करके, भगवान का सहारा ले करके समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, इंसानियत को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिये और अभी हमारे भाई प्रमोद जी ने आगाह करते हुये भारतीय जनता पार्टी को सावधान किया था कि [xxx] सबसे ज्यादा फला-फूला तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में फला-फूला। लेकिन [xxx] इसके साथ

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ही साथ जब-जब उत्तर प्रदेश में [xxx] की सरकार आती है, तब-तब [xxx] को बढ़ने का मौका मिलता है और केन्द्र सरकार का भी उन पर बरदहस्त रहता है। वर्ष 1990 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और आज भी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो इत्तिफाक से फिर कांग्रेस की सरकार केन्द्र में है। तो मान्यवर, सभी राजनैतिक दलों से मेरी अपील है चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी हो, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, इंसानियत के नाम पर बंटवारा करना बंद करो, समाज को बांटना बंद कर दो, सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने का काम बंद कर दो। अगर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ेगा तो हम सभी उसके शिकार होंगे और इसका खामियाजा देश, प्रदेश और समाज को भुगतना पड़ेगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये और आतंकवाद को जितनी कड़ाई से हो सके कुचलने में रंचमात्र भी संकोच नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सुरक्षा खामियों पर पुनर्विचार करते हुये और भी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे भविष्य में इस प्रकार के हादसे टाले जा सके। हां, इतना मैं मानता हूं कि अयोध्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों के नाते आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फिर गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल पर सांप लोट गया। यह चाहते थे कि वहां बड़ा हादसा होता तो इन्हें राजनीति करने का मौका मिलता। वह मौका इनको नहीं मिला। इसके संबंध में 6 जुलाई को इन्होंने कार्यक्रम किया लेकिन पलीता लग गया। मान्यवर, हम प्रदेश के हित में, देश के हित में और प्रदेश की जनता के हित में पुनः सभी राजनैतिक दलों से अपील करना चाहेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर समाज का बंटवारा न करो। अंत में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की केन्द्र में सरकार है जिसके नेता विधान सभा में मा0 प्रमोद जी बैठे हुये हैं। क्या कारण है जब-जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आती है, तब-तब इनके फलने-फूलने का मौका मिलता है विशेष रूप से अयोध्या इसका मुख्य केन्द्र होता है ? इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर केन्द्र सरकार अपने को पाक-साफ मानती है तो 5 जुलाई, 2005 को जो भी आतंकवादी सुरक्षा कवच को तोड़कर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गये हैं इसके लिये दोषी समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिये जिससे इस तरह का हादसा फिर न हो सके।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, मैं यहां पर अयोध्या पर बात करने के लिये खड़ा हुआ हूं, अयोध्या से अलग हटकर कोई बात नहीं करूंगा। मैं इस सदन के बीच में अपने विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि जो एक बड़ा हादसा 5 जुलाई को बच गया, हादसा नहीं हो पाया, कोई नुकसान नहीं हो पाया, इसका गम है या खुशी ? अगर खुशी है तो इजहार करो और यह कहो कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार ने यह हादसा होने से रोक दिया और गम है तो मातम मनाओ जैसे 6 जुलाई को मनाया कि हाय यह क्यों नहीं हुआ ? इस सरकार और चुस्त सुरक्षाकर्मियों की वजह से यह हादसा रुक गया और मैं यह मानता हूं कि यह हम सबके लिये खुशी की बात है। पूरा सदन इससे खुश है। अगर हादसा हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता ? सिर्फ आपके अलावा सबको इस

बात की खुशी है [समय 12 बजकर 20 मिनट] [xxx] इस बात का गम है कि हादसा नहीं हो पाया। अगर होता तो हमारी मौज होती, चर्चा करवाते, आन्दोलन करते और रैलियां करते और कहते कि "हाय हम न हुये"। मान्यवर, आतंकवाद क्या है ? आतंकवाद में जायं तो पता चलेगा कि आतंकवाद को इन लोगों ने पालने पोसने का काम किया है। व्यवस्था चाहे दो आदमी बिगाड़ें या 10 हजार आदमी बिगाड़ें वह आतंकवाद है। जो इन्होंने 6 दिसम्बर को किया, झंडा लेकर तमाम लोग गये और आप भी बी0जे0पी0 का झंडा लगाकर गये। यहां के मुख्य मंत्री ने एफीडेविट दिया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है लेकिन वह सुरक्षा नहीं कर पाये और हादसा हो गया और बाबरी मस्जिद तादाद के बलबूते पर तोड़ दी। सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर, बैरीकेटिंग को तोड़कर लोग पहुंच गये और मस्जिद शहीद कर दी। उसके बाद आपके मुख्य मंत्री ने कहा कि यह जो हादसा हुआ उस पर मुझे फख्र है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, "तुम" शब्द का प्रयोग न करिये।

श्री कौकब हमीद-

मैं माफी चाहूंगा अगर "तुम" कह दिया। गलती हो गयी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

मान्यवर, आपकी तरफ मुंह करके कहें। आपको सम्बोधित करके कहें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बाबरी मस्जिद कहा, वह विवादित ढांचा है। मैं चाहूंगा कि इसको निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

वह बहुत पुराना मामला है। आप बोलने दें।

श्री कौकब हमीद-

मैं उसे बाबरी मस्जिद ही कहूंगा वह जो चाहे कहें मुझे एतराज नहीं है। मान्यवर, मकसद बहुत सादा और साफ है कि आतंकवाद क्या है ? बहुत दिनों पहले आपके लोग, आपके नेता वहां पर गये और आतंकवाद कराकर एक मस्जिद ढहा दी, यही आतंकवाद है, इसका नतीजा भुगतो। मगर फर्क क्या है ? फर्क यह है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने, मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने एफीडेविट नहीं दिया उसके बावजूद भी हादसा रोका। आपने एफीडेविट दिया कि सुरक्षा रहेगी लेकिन उसके बावजूद भी बैरीकेटिंग टूटी और सब कुछ हुआ और उसके बावजूद भी आपके मुख्य मंत्री ने कहा कि हमें फख्र है। जो आपने आतंकवाद की बात उठायी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो 5 जुलाई का हादसा रुक गया उसके बारे में आपको गम है या खुशी है ? अगर आपको खुशी है तो मुख्य मंत्री जी से कहें कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हादसा रोक दिया, आप उठो और कहो। यह बहुत बड़ी बात है, हादसा हो सकता था लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी जिसको हमारी सरकार ने निभाया। 6 दिसम्बर, को वहां पर जो हुआ था तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि आपके नेता भी उसमें

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुसूरवार हैं। 36 घंटे यह होता रहा जो केन्द्र सरकार में बैठे थे वह इसको महफूज कर सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया ? मेरा कहना है कि आपने आतंकवाद फैलाया और फैला रहे हैं। मगर अब समय आ गया है, पूरी दुनियां इस पर थू-थू कर रही है। आज हम सबको सदन में एक होकर यह तय करना चाहिये कि हम आतंकवाद कैसे रोकेंगे ? मैं बैठने से पहले एक बार पुनः सामने बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको इस पर खुशी है या गम। अगर खुशी है तो उसका इजहार करें।

*श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)-

माननीय नेता सदन ने जो विचार रखे हैं मैं उनसे सहमत हूं। जब देश में लोकतंत्र है, प्रदेश में लोकतंत्र है तो जब भाजपा वाले बोल रहे थे तो सब लोग शांति से सुन रहे थे लेकिन जब प्रमोद कुमार जी बोल रहे थे तो क्यों उधर से शोरगुल हो रहा था ? क्यों हो हा कर रहे थे ? यह लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। यह भाजपा के लोग तानाशाह हैं, यह फासिस्ट वादी लोग हैं इनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है क्योंकि जिनकी लोकतंत्र में आस्था होती है वह आलोचना को समान रूप से लेते हैं। जिनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं होती है वह आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन्हें अपने अवगुण नहीं दिखते यह दूसरों के अवगुण देखते हैं। [x x x] खिलाफ न भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, न ही प्रान्तीय सरकार कर रही है। आप जैसे [x x x] के खिलाफ जल्दी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा और प्रान्तीय सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भयावह लोग हैं इनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है यह लोकतंत्र के विरोधी हैं, यह मानवता के विरोधी हैं यह [x x x] हैं।

श्री अध्यक्ष-

[x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

संसदीय कार्यमंत्री जी 11.07 बजे इस विषय पर चर्चा शुरू हुई थी। इस समय 12.30 बज रहे हैं एक घण्टा तेईस मिनट हो गए हैं अब कितना समय और बढ़ा दिया जाय ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, विभिन्न दलों के जो प्रमुख नेतागण हैं वह सभी इस पर बोल चुके हैं इसमें सभी बिन्दु आ चुके हैं इसके बाद मैं समझता हूं कि अब इसके बाद चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यदि इसके अलावा किसी को बुलवाना चाहते हैं तो आप बोलवा लें। इस पर ज्यादा समय बढ़ाना ठीक नहीं है, जो बातें आनी थीं वह आ चुकी है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में भाषण के बजाय कुछ बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिनका माननीय मुख्य मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अभी कौकब साहब कह रहे थे कि 5 जुलाई की घटना पर आप को खुशी है या गम तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि घटना टालने में क्या प्रदेश सरकार की कोई भूमिका रही है यह भूमिका इसलिए नहीं रही क्योंकि दो वर्जन हमारे सामने लगातार आ रहे हैं एक वर्जन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी में लैप्स था दूसरा यह आया कि बार-बार केन्द्रीय सरकार की ओर से अवगत कराया जा रहा था कि अयोध्या समेत कई ऐसे धार्मिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्थल हैं आई0एस0आई0 और आतंकवादियों के आक्रमण के शिकार हो सकते हैं। यह बार-बार कहा जा रहा था और सारी सूचना के बावजूद प्रदेश सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। अगर प्रदेश सरकार ने कोई कारगर कदम उठाया होता तो हम उसके लिये बधाई देते। मैं 31 मई के एक दैनिक समाचार पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसमें लिखा गया कि कुछ आई0एस0आई0 के एजेन्ट और आतंकवादी बार-बार अयोध्या में घूम रहे हैं। जो परिसर है उसके चारों तरफ का नक्शा तैयार कर रहे हैं और बाद में वहां पर कुछ गड़बड़ी करेंगे। मान्यवर, यह मैं एक समाचार पत्र की बात बता रहा हूं। केन्द्र सरकार से क्या खत-किताबत हुई वह मैं नहीं जानता लेकिन जो एक समाचार पत्र में छपा, उसके बारे में बता रहा हूं। समाचार पत्र में छपी सूचना का काफी महत्व होता है। समाचार-पत्र के किसी कारेस्पोंडेंट को जानकारी हो गई थी और वह संज्ञान में भी लाया गया लेकिन इन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। यदि उसका संज्ञान ले लिया गया होता तो यह घटना न होती।

दूसरी बात यह है कि कितने बैरीकेट्स और थे उस बैरीकेट के पहले, जहां पर जीप का विस्फोट हुआ। टेढ़ी बाजार का जो बैरीकेट है, वहां पर पुलिस फोर्स लगी है, बैरियर लगा है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं इसके बावजूद जीप जा रही है। जीप जा रही है तो फिर यह बैरिकेट काहे के लिये लगा है ? क्यों नहीं उस जीप को रोक कर उसकी तलाशी ली गई कि यह जीप कहां जा रही है ? इस बैरिकेट से आगे गाड़ी जाने का प्राविधान नहीं है अगर कोई वी0आई0पी0 जाता है तो उसको भी गाड़ी वहीं रोकनी पड़ती है फिर बैरिकेट से यह जीप कैसे निकल गई ? वहां से जीप का निकल जाना किस बात को दर्शाता है ? जहां पर जैन मन्दिर बना है, वहां पर दूसरे नम्बर का बैरिकेट है। वहां पर बल्लियां लगी हुई है और पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिसकर्मी तैनात होने, बल्ली लगी रहने के बाद भी जीप वहां से निकल जाती है ? कैसे निकल गई ? अगर सुरक्षाकर्मी वास्तव में सचेत थे और राज्य सरकार उसके बारे में पूर्णतया चिन्तित थी तो कैसे दो बैरिकेट्स को पार करके आतंकवादी जो कि असलहों से लैस थे, जिनके पास ग्रेनेड, बम, राकेट लान्चर थे, कैसे वे वहां तक पहुंच गये ? तीसरी बात जिस पर विचार करना है वह यह है कि उनका लक्ष्य कितना बड़ा है ? अगर आतंकवादियों ने अपनी योजना के अन्तर्गत उस जीप को विस्फोटक न किया होता तो अन्दर वाले पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी न होती कि वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई। राम लला के 50 मीटर के फासले पर आतंकवादी पहुंच गए और पहुंच कर बम फेंकते हैं। संयोग की बात है कि बम फटता नहीं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया था और आप रोक नहीं पाए। बम नहीं फटा तो उन्होंने राकेट लांन्चर जलाया, लेकिन संयोग की बात है कि निशाना चूक गया। नहीं तो उन्होंने जो योजना बनाई थी उसमें वे कामयाब हो गये होते। यह तो संयोग की बात है कि न बम फटा और न राकेट लान्चर चला। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर थी? आज हम तारीफ कर रहे हैं क्योंकि तारीफ करना हमारा काम है। लेकिन यह भी तो देखें कि कहां पर चूक हुई है ?

यह समाचार-पत्र में लिखा है और कुछ लोगों ने लिखा है कि कितनी जगहों से वह बैरीकेट्स टूटे हैं ? इनको तोड़-तोड़ कर वहीं के पुलिसकर्मी अपने चाय नाश्ते का इन्तजाम करते हैं ताकि उनको दूर न जाना पड़े। यही सुरक्षा व्यवस्था थी आपकी ? माननीय सदस्यों ने हवाला दिया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ। इस देश की सर्वोच्च संस्था पर हमला हुआ लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था

सामान्य है, वहां पर किसी को अनुमान नहीं था, अंदाजा नहीं था। लेकिन यहां पर तो प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा है, खुफिया एजेन्सियों और समाचार-पत्रों के माध्यम से पहले से ही जानकारी थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया था कि उक्त घटना के कुछ हमलावर भाग गये थें कुछ लखनऊ में मारे गए। कुछ पकड़े गए कुछ विभिन्न स्थलों पर पकड़े गए। इस कारण सचेत रहना चाहिए था। कितनी संवेदनशील जगह है ऐसी संवेदनशील जगह पर हमला करने वाले लोग गए, पुलिस बैठी रही। बल्ली खुली रही, गाड़ी चली गई और उसके बाद हम ताली बजाते रहें कि पुलिस ने अच्छा काम किया। कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी ? पूरे संसार, विश्व की सबसे ज्यादा सुरक्षित भूमि पर यदि आतंकवाद पहुंच जाता है तो हमारा कितना मजाक उड़ाया जाएगा ? यह नहीं सोचा। बम फेंका गया यह तो उस राम की ही कृपा थी कि बम नहीं फटा। बम फट जाता तो क्या होता ? ऐसी स्थिति में क्या लांछन नहीं लगेगा ? हमारे मौर्या जी बराबर में बैठे हैं विपक्ष में सहयोगी हैं।

श्री अध्यक्ष-

जिस समाचार-पत्र की आपने बात बताई थी उसका नाम बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

31 मई का दैनिक जागरण है। हमने काल कोठरी से निकालकर मुख्य मंत्री के पद पर बैठा दिया। बैठने की योग्यता आपमें न हो तो क्या करें ? तीन बार बैठाया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तीन बार बहन मायावती जी मुख्य मंत्री रहीं और तीन बार बहुजन समाज पार्टी में एक भी आतंकवाद प्रदेश में पनपने नहीं पाया।

श्री हुकुम सिंह-

यह हिमायत कर रहे हैं अब इन्हें तिलक, तराजू और तलवार याद आ रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। अब कहते हैं हाथी नहीं गणेश हैं। खत्म कर दिया, आपको धोखे बाजी ने। तीन बार विश्वास किया। (शोर) प्रधान मंत्री जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी बताई लेकिन हाल में जिस प्रकार से देश के प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया उस शासन की तरीफ की, जिसने बापू को जेल में रखा। राम मनोहर लोहिया जी को जेल में रखा, नेहरू जी को जेल में रखा। आत्म विभोर होकर प्रधान मंत्री जी प्रशंसा करने लगे। उनकी तारीफ करने लगे जिनकी मानसिकता यह है जिन्होंने कुर्सी पर बैठाकर देश को तबाह कर दिया कौकब साहब ने कहा....(शोर)

श्री राम नरेश यादव-

इस तरह का कोई भाषण नहीं दिया गया था।

श्री हुकुम सिंह-

आज सारा देश, सारा समाज, प्रधान मंत्री के इस आचरण की निन्दा करता है। जो भाषण इन्होंने दिया उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता है। इनको कहना चाहिए था आज हमारा देश आजाद है एक महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, जिनके गुलाम थे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पार्लियामेंट पर हमला हुआ किसी भी सरकार में हो सकता है, मैं मानता हूं लेकिन अयोध्या से उसकी तुलना न करें। अयोध्या सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त एक स्थल है, यदि वहां पर आतंकवादी पहुंच सकते हैं तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी है ? इसकी मुख्य मंत्री जी समीक्षा कर लें, जिससे ऐसी पुनरावृत्ति

न हो। मैं मांग करता हूं कि इसकी एक जांच होनी चाहिये और जांच के उपरान्त कार्यवाही होनी चाहिये।

(श्री राम इकबाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 311 पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, यह तो मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के स्पष्टीकरण पर चर्चा हो रही है। आपके अब सारे बड़े नेता बोल चुके हैं, टण्डन जी, हुकुम सिंह जी बोल चुके हैं। आप कोई नई चीज ला देंगे ? अब डा0 राधामोहन दास अग्रवाल।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, कुछ नये विधायक भी बोल लें ?

श्री अध्यक्ष-

चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिन्दु थे, सबके सब माननीय नेताओं ने रख दिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं वक्तव्य दे दूं यदि चर्चा कराना चाहें तो करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा तो हो गयी, हुकुम सिंह जी बोल चुके हैं, टण्डन जी बोल चुके हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन में सभी माननीय सदस्यों का बराबर का अधिकार है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, चूंकि यह सारी बहस मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद शुरू हुई हैं, मैं चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी बोलें तो उनका स्पष्टीकरण मिले। 5 तारीख की घटना है, 6 तारीख को अखबारों में भारत के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का बयान पढ़ा- 'राम जन्म-भूमि परिसर पर आतंकवादी पहुंचे,' आज जो अधिकृत बयान यहां सदन में दिया गया है उसमें है कि विवादित बाबरी मस्जिद/राम जन्म भूमि परिसर में आतंकवादी घुसे, मैं जाननता चाहता हूं कि यदि वह स्थल रामजन्म भूमि है तो यहां विवादित बाबरी मस्जिद क्यों जोड़ा गया, यदि दोनों है तो यह स्थिति स्पष्ट की जाए, यदि जानबूझकर इसे जोड़ा गया है, तो इसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिये ? दूसरी चीज, हमें इस बात की खुशी है कि वह लोग मारे गये, लेकिन गम है कि वह लोग वहां तक पहुंचे। वहां पर 13 बटालियन पी0 ए0 सी0, 4 बटालियन पुरुष सीआरपीएफ, 4 बटालियन महिला सीआरपीएफ, एक रैपिड एक्शन फोर्स, 72 सब-इन्सपेक्टर और न जाने कितने सुरक्षाकर्मी वहां लगे थे ? उनके बीच में वह पहुंच गये, तो प्रदेश की सीमा से लेकर अयोध्या के जिन रास्तों से वह वहां पहुंचे, वहां के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मुख्य मंत्री जी को अपने वक्तव्य में इसे स्पष्ट करना चाहिये।

किसी जिले में कोई छोटी सी घटना हो जाती है, तुरन्त वहां के एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी या तो ट्रांसफर होते हैं या प्रतीक्षारत किये जाते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन-जिन जिलों से होकर यह आतंकवादी अयोध्या तक पहुंचे, उनके प्रशासनिक अधिकारियों और उनके पुलिस अधिकारियों के ऊपर इस शासकीय व्यवस्था में क्या-क्या कार्यवाही अभी तक की गयी है ? अध्यक्ष जी, तीसरी बात है, यह सब जानते हैं कि वह सपा का झंडा लगाकर आये क्योंकि उन्हें मालूम था कि सपा का झंडा लगा होगा तो जांच नहीं होगी। मेरे एक परिचित हैं, अयोध्या से जब वह लौटकर गोरखपुर आये तो सपा का झंडा लगाये थे, पूछा तो बोले कि सपा का झंडा इसलिये लगा लिया है कि रास्ते में जांच नहीं होगी। क्या शासन से कोई ऐसी विशेष व्यवस्था है कि जिसमें सपा का झंडा लगा हो, उसकी जांच न की जाए ? क्या शासन ऐसी व्यवस्था करेगा कि गाड़ियां किसी की भी हों, उनकी जांच आवश्यक हो ? नम्बर-4, मान्यवर, प्रदेश सरकार से कोई भी प्रतिनिधि उस अवसर पर जांच के लिये वहां पर नहीं भेजा गया। आज प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्यों महसूस किया कि अयोध्या पर वक्तव्य दिया जाये ? अगर वहां जाना जरूरी नहीं था तो आज प्रश्नकाल को हटाकर वक्तव्य क्यों दिया गया ? एक बात और मान्यवर, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अम्बेडकर नगर में शहजादपुर में हर घर की तलाशी होगी क्योंकि यहां आतंकवादी छिपे थे। दूसरी खबर यह थी कि एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राम जन्म परिसर में अभी भी हैण्ड ग्रेनेड मिलेंगे। मैं चाहूंगा जब मुख्यमंत्री जी अपना स्पष्टीकरण देंगे तो इन दोनों बातों को स्पष्ट करेंगे कि क्या प्रशासन ने शहजादपुर के एक-एक घर की तलाशी के आदेश दिये हैं और प्रदेश में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रदेश में नागरिक परिचय-पत्र की अवधारणा को लागू किया जायेगा ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया इसका मैं आभारी हूं। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों के विचार मैंने गम्भीरता से सुने हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहां-कहां पर हमले हुये और कांग्रेस के शासनकाल में कहां-कहां हमले हुये ? पार्लियामेन्ट में, लालकिले में हमला हुआ या कन्धार में कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया क्योंकि हवाई जहाज में यात्री फंसे थे। कभी इस देश में किसी बड़े नेता की लड़की को छुड़ाने के बदले आतंकवादी को छोड़ा गया। यह घटनायें विभिन्न सरकारों में हुयी हैं और हमले भी हुये हैं। 6 दिसम्बर की घटना से पहले इस देश में 2 मुख्य समस्यायें थीं-एक कश्मीर की समस्या और पंजाब में आतंकवाद की समस्या। 6 दिसम्बर की घटना के बाद यह जो घटना घटी उसके बाद इस देश में एक विषय बन गया जिसके कारण उस इलाके को छोड़कर सारे देश में आतंकवाद पनपा अब यह घटना मुख्य कारण रही आतंकवाद पनपने का। यह हमला हुआ और बचा भी लिया गया और वह वीर जिन्होंने बचाया वह प्रशंसा के पात्र हैं और इस देश की जनता भी प्रशंसा की पात्र है कि उन्होंने यह दिखाया कि इस देश की जनता निर्णय लेने में सक्षम होती जा रही है कि क्या गलत है और क्या सही है ? मुझे इस बात को जानकर दुख हुआ कि श्री हुकुम सिंह ने उन वीर सैनिकों के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिन्होंने बहादुरी दिखाई। मेरा सभी विषयों से हटकर एक निवेदन है कि इस देश में अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक भी हैं। यह समस्या देश के सामने पैदा हो गयी और अफसोस की बात है कि देश की गद्दी तक पहुंचने के लिए यह समस्या पैदा की गयी। यदि हम ईमानदारी से चाहते हैं, आज हम कहते हैं कि यह घटना हुई और इसको हमने बचा लिया। लेकिन कल की कोई गारन्टी नहीं दे सकता कि कल फिर यह घटना

नहीं होगी चाहे जिसकी सरकार हो क्योंकि जब मानव बम हैं तो कौन सी चीज सुरक्षित है ? कोशिश होनी चाहिए कि जड़ से ही इस समस्या का समाधान हो जाए और यह घटना घटित होना बंद हो जाये।

मेरा इतना बड़ा कद नहीं है मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता लेकिन इस विषय का समाधान आवश्यक है। इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी और दोनों समुदायों के बीच भी बैठकर फैसला करने की बात भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा क्योंकि जिस चीज के बारे में फैसला करना है वह तो तोड़ दी गयी। क्या हम आपस में बैठकर फैसला करेंगे जो चीज है ही नहीं ? जो जनतंत्र में नहीं होना चाहिए। संख्या बल के आधार पर इतना बड़ा हमला करके उसको हटा दिया गया। अब यह कहते हैं कि मस्जिद नहीं थी। अगर वहां पर मस्जिद नहीं थी तो आपने अपने स्थान को तोड़ा क्यों ? इनके दिल में कुछ है, असलियत कुछ और है यह इनके भाव बताते हैं। हाईकोर्ट की भी इसमें कोई भूमिका नहीं दिखायी देती है क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको जड़ से समाप्त करने के लिए, जो मेरे मन में भाव है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। जो मेरा सुझाव है, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, दोनों सम्प्रदाय के बैठकर वार्ता कर लें। जो चीज हटायी गयी है पहले उसको रि-स्टोर कर लें। जो संख्या बल के आधार पर हटायी गयी है उसको बनवाया जाय। आज आपके लिए यह गोल्डन दिन हो सकता है लेकिन जो सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, आने वाले सालों में सौ सालों में, दो सौ सालों में, हजार सालों में, दो हजार सालों में जिस संख्या बल के आधार पर इसे हटाया गया है वे लोग भी अपनी संख्या बल के आधार पर फिर से बना देंगे।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बड़े लोगों को बैठकर सोचना चाहिए। जो चीज नष्ट हो गयी है पहले उसको बनाया जाय और फिर बनने के बाद यह कह दीजिये अल्पसंख्यक समुदाय से, जो बड़े लोग हैं, जो धर्मगुरू हैं, आपके अटल बिहारी बाजपेयी जो भी इसमें शामिल हैं वह कहें कि यह हमारा देव स्थान है, यहां पर हमारे देवता का जन्म हुआ था, जैसे आपके लिए मक्का, मदीना पवित्र जगह मानी जाती है उसी तरह से यह हमारा पवित्र स्थान है, आप हमारे छोटे भाई हैं हम आपके बड़े भाई हैं यह आप हमें दे दीजिये। हम इसके बदले में आपको एक मस्जिद बनाकर दे सकते हैं। तो इस प्रकार का फैसला हो सकता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका फैसला कोर्ट या पंचायत में नहीं हो सकता है, होगा क्या ? कभी हम उनके लोगों को मार देंगे, कभी वह हमारे लोगों को मारेंगे। तो जो मैंने सुझाव दिया है उससे शायद समाधान हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि वहां पर मस्जिद बना दी जाय और फिर उनसे यह कहकर कि हमारा देव स्थान है यह हमें दे दें यह कर दें। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे छोटे भाई बड़े भाई की बात नहीं मानेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें सरकार का पक्ष सामने होना चाहिए। यह किरनपाल जी की अपनी जजबाती राय है। कभी-कभी जजबातों से, उन सभी बातों को भूल जाते हैं, जो तथ्य हैं। क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीमकोर्ट का डायरेक्टिव है। कानूनी नवैयत यह है कि देश में सौ करोड़ लोग एक पक्ष के हैं। अगर दोनों पार्टी मुकदमा वापस ले भी ले तब भी एक पक्ष का एक भी व्यक्ति दरख्वास्त लगा देगा तो मुकदमा फिर पुनर्जीवित हो जायेगा। क्योंकि यह अदालत में विचाराधीन मामला है इसलिए जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जजबाती राय नहीं चलेगी। यह इनकी जाती राय हो सकती है। यह न उत्तर प्रदेश सरकार की राय है और न कानूनी राय है।

*श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक ऐसे संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, पांच जुलाई को अयोध्या में आतंकवादियों के द्वारा ऐसी साजिश की गई कि यदि वह साजिश सफल हो जाती तो स्वाभाविक है कि उसकी परिणति में पूरे देश में शायद साम्प्रदायिकता और अस्थिरिता की परिस्थिति निर्मित हो जाती। निश्चित तौर से प्रदेश की 17 करोड़ जनता के लिए इससे ज्यादा सुखद और शान्ति की बात कोई और नहीं हो सकती है कि जिस तरह से सुरक्षाबलों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके उन आतंकवादियों का सफाया कर दिया। आज इस सदन में सत्र में उस घटना पर सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आये या इस सदन के माननीय सदस्यों की चर्चा हो, मैं समझता हूं कि केवल इस बात के लिए नहीं की हम घटना को लेकर सड़क पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसे हम इस सदन में सीमित रखें। पूरे प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही होगी। अयोध्या घटना के परिप्रेक्ष्य में आज यह सदस्य, सदन में चर्चा करेंगे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की घटना भविष्य में न हो, सदन में केवल राजनीतिक दल के लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए चर्चा नहीं करेंगे बल्कि प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए चर्चा करेंगे, उस परिप्रेक्ष्य में, उस सन्दर्भ में कार्य करेंगे। पांच जुलाई को जो घटना हुई, उसका क्या मकसद था ? अगर वह आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते तो न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में अशान्ति और अराजकता का वातावरण पैदा हो जाता और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था की चिन्ता पैदा हो जाती मान्यवर, आतंकवादियों का मकसद यह था कि पिछले दिनों जो भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति वार्ता शुरू हुई, जिस तरह से दोनों तरफ से एक सकारात्मक पहलू शुरू हुआ था, वहां से छात्रों का शिष्टमण्डल यहां आया, जिस दिन आतंकवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस दिन भी पाकिस्तानी छात्रों का एक शिष्टमण्डल भारत आया था।

मान्यवर, आज भारत और पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं चाहता है। आज भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोग, जो उनकी मौलिक अपेक्षायें हैं वह यही हैं कि फिर से एक दूसरे के साथ जो सम्बन्ध पूर्व में रहे हैं वह स्थापित हो जायें। आज जो आतंकवादी ताकतें हैं वह भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहती है। जिस तरह से प्रयास हो रहे थे, यहां के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, तो लगता था कि उनका जो अगला कदम होगा वह भारत और पाकिस्तान की समस्याओं का एक समाधान होगा, उसमें इन लोगों ने अवरोध पैदा करने की स्थिति पैदा की है, उस आतंकवादी घटना का मकसद था देश में अशान्ति पैदा करना तो क्या मान्यवर, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके विरोध में उसी समय आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है ? या मिलजुल कर, एक साथ बैठकर उस विषय पर चर्चा करके उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। जिस समय अयोध्या में यह घटना हुई उसी समय लन्दन में भी एक आतंकवादी घटना हुई वहां की सुरक्षा एजेन्सी इण्टरपोल जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है, उसके रहते हुए भी उस आतंकी घटना में 50 लोग मारे गए और एक हजार लोग घायल हो गए, लेकिन वहां के लोगों ने इस तरह की स्थिति में भी सरकार का सहयोग किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी आतंकवादी हमले की घटना हो रही थी और इनकी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में पूर्व विदेश मंत्री जसवन्त सिंह के कार्यालय में बैठक कर तत्काल फैसला लिया गया कि भारत के गृह मंत्री इस्तीफा दें और विदेश मंत्री इस्तीफा दें। मान्यवर, क्या यह वह समय था ? सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमले को विफल कर दिया, उस स्थल पर कोई क्षतिग्रस्त नहीं होने पाया। मान्यवर, उन जवानों ने वहां कोई क्षति नहीं होने दी उसके बावजूद आप कहते हैं कि प्रदेश सरकार इस्तीफा दे, भारत के गृह मंत्री इस्तीफा दें। हमें तो एक बार इस्तीफा देना पड़ेगा लेकिन एन0 डी0 ए0 की सरकार में जितनी घटनायें हुई हैं उसमें आपको उतनी बार इस्तीफा देना चाहिये था और इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये था। आप कहते हैं कि अयोध्या की घटना का मुकाबला पार्लियामेन्ट की घटना से न करें। मान्यवर, उस समय पार्लियामेन्ट में देश के सर्वोच्च नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे वहां भी सुरक्षा थी और उसको तार-तार करते हुये उतनी भीषण घटना हुई। केवल पार्लियामेन्ट ही नहीं आपकी सरकार के समय में अक्षरधाम मन्दिर पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ, रघुनाथ मन्दिर पर हमला हुआ। यह आतंकवाद की घटनायें आपके समय में बढ़ी हैं। अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ, हमने तो आपसे इस्तीफा नहीं मांगा और उस समय विपक्षी दल के नाते उस संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हुए। कारगिल में क्या हुआ, जब वहां बंकर का निर्माण हो रहा था और द्रास में 175 किलोमीटर दूर जब यह गतिविधियां बढ़ रही थीं उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी लाहौर में लाहौरी कबाब खा रहे थे और रूना लैला की गजलें सुन रहे थे। कारगिल में जब हमला हुआ आपके समय में तो सम्पूर्ण विपक्ष आपके साथ एक जुट था।

मान्यवर, यह जो घटनाओं की चर्चा हो रही है, यह आतंकवादी अयोध्या में रामलला की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते थे लेकिन हमारे जवानों ने उसे विफल कर दिया। अक्षरधाम मंदिर पर जो घटना हुई वह सबके सामने है। इसी तरह से रघुनाथ मंदिर पर हुए हमले की घटना सबके सामने है। और जब यह हमले होते हैं तो सब उसे आतंकवाद की घटना कहते हैं, तो इन मन्दिरों पर हुये हमले को जिस तरीके से आतंकवाद की घटना करार दिया जाता है तो क्या जो 6 दिसम्बर को अयोध्या में घटना हुई वह एक तरह से आतंकवाद की घटना नहीं मानी जायेगी ? यह जो अयोध्या में घटना हुई आपने 25 लाख रुपये इनाम के रूप में दिये जाने की घोषणा की उन जवानों को आउट आफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की यह अच्छी बात है। मान्यवर, आप देखें आज लन्दन में जो घटना हुई उसका मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है लेकिन उत्तर प्रदेश की एस0 टी0 एफ0 ने जिस तरीके से पूरी घटना पर कार्यवाही की, आतंकवादी ढेर हो गये। उनका भी इसमें मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मान्यवर, यह देखने की बात थी कि वह हथियार कहां से लाये ? कहां के मोबाइल फोन सेट थे ? आपने एस0 टी0 एफ0 का गठन इसलिये किया था कि संगठित गिरोहों से इसका मुकाबला किया जा सके। आज इस घटना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो साहस का परिचय दिया है और घटना का पर्दाफाश किया है तो उन्हें भी आउट आफ टर्न प्रमोशन देने की बात होनी चाहिये और पुलिस के लोगों का मनोबल भी बढ़ना चाहिये। मान्यवर, देखने की बात थी कि वे आतंकवादी वहां कैसे चले गये ? आपने देखा होगा कि वहां जैन मंदिर के सामने सार्वजनिक मार्ग है और वहां पर गाड़ियों की छानबीन होती है। उन लोगों ने बैरीकेटिंग के पास जाकर गाड़ी पर विस्फोट कर दिया और जीप को उड़ा दिया। मान्यवर, अयोध्या में आज जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने उस स्थल को सुरक्षित करने का काम किया उसको देखते हुये आपको इस्तीफा मांगने की बात नहीं करनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सवा छः साल तक इनकी पार्टी की सरकार रही लेकिन इनकी सरकार ने अयोध्या मसले के हल के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किया और जिस दिन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष वहां घटना के बाद अयोध्या गये और जय श्री राम का उद्घोष किया गया तो जनता ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आपके बन्द के काल को भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज आपने सदन में इसे इशू बनाने का प्रयास किया है और सवा छः साल तक आप कुछ नहीं कर सके। जिस तरीके से आपने अयोध्या के मसले को ठण्डे बस्ते में रखा उसी प्रकार प्रदेश की जनता आपको ठण्डे बस्ते में रख देगी और अब वह इशू आपका बनने वाला नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य में जवाब देने के बाद तो आशा थी कि इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी प्राप्त होगी। मैं कुछ बातें और जानकारी चाहूंगा कि कौन सा आतंकवादी संगठन था इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य में कोई चर्चा नहीं आई है कि यह किसके द्वारा प्रायोजित था, इसके बारे में चर्चा नहीं आई है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया कि उन्होंने प्रदेश सरकार को सूचना दी थी तो क्या भारत सरकार से सरकार को सूचना प्राप्त हो गयी थी तो इस बारे में महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि इस बारे में जानकारी प्रदेश सरकार को हो गयी थी तो क्या प्रदेश सरकार को इसकी कोई जानकारी थी या नहीं थी ? यदि तो कार्यवाही क्या हुई अगर यह विदेशी थे तो ये किस रास्ते से आये यह जानकारी मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं है ? मोबाइल के प्रिन्ट आउट के बारे में कि मोबाइल को किसने दिया होगा किस-किस से बात हुई हथियार कहां से लाये थे हिन्दुस्तान के भीतर से या बाहर से लाये थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है ? इसलिए मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी जब दुबारा वक्तव्य दे तो बतायें।

मान्यवर, 6 दिसम्बर के बारे में कहा गया है। 6 दिसम्बर की घटना को जो लोग आतंकवाद की घटना बता रहे हैं वह आतंकवाद को आश्रय दे रहे हैं। जहां तक आतंकवाद को बढ़ाने की बात है वह किसने किया ? भिंडरवाले के रूप में कांग्रेस ने आतंकवाद को जन्म दिया, एक दुखद घटना घट गयी। संयुक्त उत्तर प्रदेश अबके उत्तरांचल में देहरादून में लिट्टे को प्रशिक्षण दिया गया, वह कांग्रेस ने दिलाया उसी समय उस प्रशिक्षण के माध्यम से दूसरी दुखद घटना घटी। आज इस अवसर पर सारे सदन को एक मत होना चाहिए, राजनीतिक बाध्यताओं से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए इसमें समस्या नहीं है निश्चित तौर पर आतंकवाद से लड़ाई में सरकार के साथ होना चाहिए लेकिन जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सरकार को भी प्रतिपक्ष के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। हमारे बसपा के मित्रों ने जिन्होंने तीन-तीन बार हमारे साथ बैठकर सरकार बनाई है उन्होंने मनुवादियों की बात कही जबकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ब्राह्मणों का सम्मेलन करके ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन किया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा थी कि इतनी बड़ी घटना पर भारत सरकार के गृह मंत्री अयोध्या तक पहुंच गये, हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया श्री राज्यपाल अयोध्या तक

के गृह मंत्री अयोध्या तक पहुंच गये, हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया श्री राज्यपाल अयोध्या तक पहुंच गये लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मौके का निरीक्षण नहीं किया, शायद वोट बैंक के लालच में मौके का निरीक्षण नहीं किया अन्यथा करते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवानों के आउट आफ टर्न प्रमोशन की घोषणा तो की, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है वह होना चाहिए, 25 लाख रुपये अनुदान की घोषणा की वह होना चाहिए उसमें भी कोई मतभेद नहीं है। मान्यवर, जिन्ना की बात बहुत कही गयी लेकिन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस देश के प्रधानमंत्री ने डिग्री के लालच में भारत में अंग्रेजों के राज्य को गुडगवर्नमेन्टस का सर्टिफिकेट दे दिया और जिससे देश के उन लाखों ज्ञात-अज्ञात शहीदों का अपमान कर दिया जिन्होंने अपनी जान का बलिदान करके उन अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराया। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो आतंकवाद के खात्मे के लिए बात हो रही है उसमें हम सबका सकारात्मक प्रयास होना चाहिए इस आतंकवाद की घटना पर जो बिन्दु हमने सदन के सामने रखे हैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस पर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दें तो उसमें वह आ जाय। एक बात नेता विरोधी दल द्वारा कही गयी थी कि अयोध्या को नो-फलाई जोन बनाने पर आप विचार कर लें तो भविष्य में कोई घटना की सम्भावना सरकार को वहां नहीं होगी। वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वहां के जनप्रतिनिधि चाहे वह किसी भी पार्टी के हों और वहां के जो धर्मगुरू, सन्त हैं उनको सरकार विश्वास में लेकर सारी व्यवस्थाएं करें जो कान्फीडेंशियल बाते हैं उनको छोड़कर, सामान्य व्यवस्थाओं पर उनसे बात करे तो निश्चित तौर पर सरकार को सफलता मिलेगी और आतंकवाद से बचाने के लिये जो व्यवस्था करनी चाहिये, उसको करने का अनुरोध करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह आतंकवादी संगठन कौन सा था, किसके द्वारा प्रायोजित हुआ था, इन लोगों की किस-किस से बातचीत हुयी थी, यदि यह सब बतायेंगे तो अच्छा होगा ?

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि बार-बार कांग्रेस पक्ष से 6 दिसम्बर की घटना में जो रामभक्त 10 लाख की संख्या में थे और 3 लाख संत-महात्मा थे, उन्हें बार-बार [xxx] कहा गया है, इसको रिकार्ड से निकाला जाना चाहिये। यह गम्भीर विषय है। क्या यह बाबर को राष्ट्रभक्त मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, आप बैठ जाइये। मैं इसे देख लूंगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

यह निश्चित ही हिन्दुओं का अपमान है। इस ढंग की भाषा को निकाल दिया जाना चाहिये। यह करोड़ों संत-महात्माओं का अपमान है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसे दिखवा लेंगे।

(श्री राम इकबाल सिंह द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जायें। बार-बार टोका-टाकी करना उचित नहीं है। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, आप कभी कोई नियम मानते ही नहीं हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह मात्र अयोध्या से जुड़ा विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे ख्याल से इस बात को सभी को मानना चाहिये कि जब माननीय अध्यक्ष जी खड़े हों तो सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। यह आज सुबह से देखा जा रहा है कि जब अध्यक्ष ही खड़े होते हैं तब आप जरूर खड़े होते हैं। आप नहीं बैठते तो कुछ अच्छा नहीं लगता।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैंने कह दिया है, जब माननीय अध्यक्ष जी खड़े हों तो माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या की घटना को हमारे बहुत से साथियों ने अपने भाषणों में हंसी-मजाक के रूप में उड़ाया है। यह गम्भीर विषय है। अयोध्या हमारे राष्ट्र की पहचान है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसको हिन्दू और मुसलमान के संघर्ष का विषय बना दिया। आज केवल सोचने की बात यह नहीं है, कि अयोध्या में आतंकी पहुंचे या नहीं पहुंचे। आज चर्चा की जरूरत इस बात की है कि यह घटनायें हमारे देश में होती क्यों हैं ? 11 सितम्बर को अमेरिका में आतंकवाद की घटना हुयी, लेकिन उसने आतंकवादियों को कुचलकर रख दिया। हमारा मुल्क जो सदियों तक गुलामी के बन्धनों में जकड़ा रहा है हमारे मुल्क की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिये कि हमारे मुल्क की सरहदें सुरक्षित हों। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, जहां तक अयोध्या की बात है, जिस साहस के साथ हमारे सिपाहियों ने आतंकियों का सफाया किया है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा मैं और मेरा दल करता है। आज आतंकवाद का लक्ष्य केवल कश्मीर नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में कहा था कि पहले श्रीनगर फिर उसके बाद दिल्ली। आज अगर हम कश्मीर में समर्पण भी कर दिये तो आतंकवादी सारे मुल्क के लिये संघर्ष करेंगे। हमारे यहां आत्मबल की कमी है, देश के नेताओं में आत्मबल की कमी है। हमारे सैनिक और हमारी सेना में जो कमी है, उसके लिये जिम्मेदार हमारे देश के लोग हैं। हिन्दु-मुस्लिम की भावनाओं से खिलवाड़ करके दंगे कराकर कोई भी मुल्क को आगे नहीं ले जा सकता। जहां तक हमारी फौजों और सेना की बात है, यह बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कारगिल युद्ध हो रहा था लेकिन हम लोग अपनी सेनाओं को हटाते जा रहे थे। हमारे देश में हर मद के लिए धन था लेकिन सेनाओं को मजबूत करने के लिए धन नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह चर्चा अयोध्या पर हो रही है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं अयोध्या पर ही बोल रहा हूं। आज अयोध्या में है, कल काशी में होगा, इसलिए मान्यवर, जरूरत है, आतंकवाद को खत्म करने की। आतंकवाद को खत्म करने के लिए यदि सरहदों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। हिन्दू और मुसलमान की बात नहीं है, यह मामला केवल अयोध्या का नहीं है, भारतीय संसद में हुआ है, लाल किला में हुआ है। हो सकता है कि हम नेता लोग इस बात को ज्यादा महत्व न दें लेकिन सामान्यजन देश की सुरक्षा के लिए चिन्तित रहता है, इसलिए मैं सामान्यजन की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

दो घण्टे आठ मिनट चर्चा हो चुकी है। सभी महत्वपूर्ण नेतागण चर्चा में बोल चुके हैं। अब क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपका जो हुक्म हो। सभी महत्वपूर्ण नेताओं के सुझाव आ गये हैं, उनका स्वागत है और जो भी कमियां बतायी गई हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे ख्याल से बात साफ नहीं हुई। ने जी ने तो इतना ही कहा था कि जो सुझाव आये थे, उनका स्वागत है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, सारे नेताओं ने मांग की है कि उत्तर में कुछ बतायें, इसलिए मुझे बताना है, लेकिन अन्य वक्ताओं से मैंने प्रार्थना की थी कि आगे बहस को न बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सूचनाएं प्राप्त कीं, उसके अनुसार आपने कुछ बातें बतायीं और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। जहां तक उनकी यह सूचना है कि सुरक्षा बलों को हटाया जाना-इसमें मैं यही कहूंगा कि उनको सूचना सही नहीं मिली है, सुरक्षा बलों को नहीं हटाया गया है। अयोध्या के नागरिकों ने एक मांग की थी और कहा था कि यहां पर ज्यादा सुरक्षाबल हैं और सुरक्षाबल ज्यादा होने की वजह से दर्शनार्थियों को भी और आम जनता को भी परेशानी होती है। लेकिन सुरक्षाबलों में कमी नहीं की गई है। दूसरी बात आपने कही कि मारे गये लोगों की शिनाख्त कैसे होगी ? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं कि कैसे प्रवेश कर गये ? कांग्रेस के नेता माननीय प्रमोद कुमार जी और जगदम्बिका पाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री, जिनकी बहुत चर्चा है।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

और उस वक्त वह मेरे पास ही बैठे थे, हम पूरी सूचना दे रहे थे, तब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके थे और यह भी बता दिया था कि दो अभी और मार दिये जायेंगे, क्योंकि उनको घेर लिया गया है। लेकिन नीचे उतरते ही उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, ये हो, वो हो। यह उन्हें नहीं कहना चाहिए था। यह हम आपको बतायेंगे कि वहां पर आतंकवादी कैसे प्रवेश कर गये ?

मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके हाथों में देश की शांति व्यवस्था हो, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसा कहना कि कहां से चले, कहां गये ? कश्मीर में प्रशिक्षण पाया, वह कश्मीर से पंजाब आये और पंजाब से आये पानीपत और पानीपत से दिल्ली और दिल्ली में साढ़े 10 महीने तक निवास किया। घर-मकान सब हम बता देंगे, कहां शरण लिया ? एक आतंकवादी 850 रुपये महीने और एक 1000 रुपये महीने में रहा, एक ने सब्जी का दुकान भी चलायी, एक ने कहा कि हम एक

दुकानदार के यहां काम करते हैं। एक केवल अंग्रेजी जानता था उसने हिन्दी सीखने का काम किया। जिनके घरों में ठहरे थे, उनको कपड़े और अटैची दिखाये गया तो उन्होंने पहचाना कि यही लोग थे। शिनाख्त कर ली गयी है। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों से होकर आये, अब आप सोचिये कि कैसे प्रवेश कर गये ? आपकी भारत सरकार थी, मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूं कि कैसे प्रवेश कर गये ? हमारी सरकार की, सुरक्षाबलों की कहीं कोई चूक नहीं है। प्रवेश इसलिए कर गये कि वह गली से होकर के आये। हम वहां नहीं गये, आप लोगों ने मौके पर देखा होगा। अगर हम पूरे शहर की चेकिंग अन्दर से करें, तो दर्शनार्थियों को परेशानी होगी फिर आप लोग भी कहेंगे कि उनको रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी कि आतंकवादी प्रवेश नहीं कर पाये, तो गली में निकलकर बम विस्फोट कर बैरीकेटिंग को तोड़ा और प्रवेश कर गये। बम चलाना तो एक सेकेण्ड का काम था और एक सेकेण्ड में ही वह प्रवेश कर गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अमेरिका जैसा देश जो अपने को सशक्त समझता था वह निश्चित था कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता ? आज अमेरिका की हालत क्या है ? एक महाशक्ति होते हुये भी वहां आतंकवादी हमला हो गया और ऐसा काम कर गये कि सारी दुनिया को दहला दिया। एक संयोग था कि व्हाइट हाऊस बच गया। लेकिन तमाम सुरक्षा के सामान व महत्वपूर्ण चीजों को नष्ट करके चले गये और अपनी जान दे गये। अमेरिका भी जान नहीं पाया कि कैसे प्रवेश कर गये ? इंग्लैंड में प्रवेश कर गये। इंग्लैंड में इतनी कड़ी कानून-व्यवस्था है, फिर भी वहां हादसा हो गया। पोटा का सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान ने दुरुपयोग किया। आज हम विरोधी हैं कि पोटा हिन्दुस्तान के नागरिक पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस तरह के आतंकवादियों पर पोटा लगाने के हम खिलाफ नहीं है। हमने संयुक्त अधिवेशन में पोटा का विरोध किया और समाजवादी पार्टी दायें-बांये नहीं रहीं। हमारी पार्टी का दिमाग साफ रहा है। हम हर मुद्दे पर पोटा लगाने की बात नहीं करते हैं। आपके समय में बड़े खतरनाक कानून बनाये गये, लेकिन पहलगाम, लाल किला, संसद तथा अक्षरधाम में आतंकवादी कैसे प्रवेश कर गये ? यहां पर प्रवेश कर गये तो हमारे सुरक्षा बलों में कोई घायल नहीं हुआ और एक भी सुरक्षा बल का आदमी नहीं मारा गया कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्षरधाम में 2 आतंकवादी मारे गये, 2 सुरक्षाबल के लोग मारे गये और 30 तीर्थ यात्रियों की जान गयी। संसद में 13 लोग मारे गये। पांच आतंकवादी मारे गये और सी0आर0पी0एफ0 के 13 लोग मारे गये। इसी तरह से लालकिला में आतकंवादी 7 लोंगो को मार कर भाग निकले और आज तक नहीं पकड़े गये। इसी तरह से पहलगाम में 28 यात्री घायल हुये और 8 यात्री मारे गये तथा 2 आतंकवादी मारे गये। इन चारों घटनाओं के समय हम विपक्ष में थे, हम देखने गये थे। आप कहेंगे कि यह जो घटना हुयी, उस पर आप क्यों नहीं गये ? हमने यह अनावश्यक समझा और हमने अपने सुरक्षा बलों को अपना काम करने दिया। सरकार ने इसे बड़ी गम्भीरता से लिया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। हमारे दो मिनिस्टर मौके पर गये। श्री अवधेश प्रसाद और श्री सीताराम निषाद जी वहां मौके पर गये और वह गृह मंत्री के साथ रहे, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ घूमे और देखा और रिपोर्ट हमें दी।

हम आतंकवाद से डरते नहीं है। हम देश और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम आतंकवाद का यहा से सफाया करेंगे, इसमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। हमने अपने वक्तव्य में इसको बता भी दिया है। आतंकवादी गलियों से निकल कर आये लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं थी और न सुरक्षा व्यवस्था में कमी की गयी या हटाया गया। आपने कहा है कि

समाजवादी पार्टी के लोंगो के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तो यह सही नहीं है। आप लखनऊ में पहले उनका समर्थन लेते थे, हमारे घर पर भी समर्थन लेने आये, आपकी पार्टी में रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही कहां की गयी ? हम जाना नहीं चाहते हैं, हम उदारहण दे देंगे। आपने ऐसे-ऐसे लोगों को बचाया है और आज भी बचा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ऐसे दोषी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करायी लेकिन उनको बचाने का काम आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं। हमने शपथ लेते ही कार्यवाही करनी शुरू कर दी। हमने जो झांसी में किया था उसको बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने धमकी दी थी, हमने उसको चार महीने तक जेल में रखा।

हमारी सरकार में चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या और कोई व्यक्ति हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। जो कानून को तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जहां तक झंडा लगाने का सवाल है चेकिंग हो रही है। मैं दो तीन दिन पहले झांसी में गया था वहां बताया गया कि चेकिंग हो रही है और वहां 10 मोटर साइकिल चोरी की मिली हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में चोरी की मोटर साइकिलें मिली हैं, उसकी जानकारी होगी। पूरे प्रदेश में चेकिंग हुई और उनकी भी गाड़ी का जुर्माना हो गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहते हैं ? किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि मंत्री की गाड़ी की चेकिंग हो और उस पर जुर्माना हो लेकिन हमारी सरकार के समय हुआ है, आपकी सरकार में शायद ही इस तरह की घटना देखने को मिले।

समाजवादी पार्टी की सरकार कानून का पालन करने वाली सरकार है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, उस समय ही क्यों इस तरह के मुद्दें उठाए जाते हैं ? यह इसलिए उठाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या के मुद्दे के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नही है । आप किसान का मुद्दा उठा नहीं सकते, पानी का मुद्दा उठा नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा उठा नहीं सकते, शिक्षा का मुद्दा उठा नहीं सकते हैं। आज जब कि पूरे हिन्दुस्तान में सरकारी नौकरियों पर ताला पड़ा हुआ है, लेकिन हमने वह ताला तोड़ा है। सभी प्रदेशों में सरकारी नौकरियों पर ताला लगा हुआ है लेकिन हम वह ताला तोड़कर सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले आत्मनिर्भर होगा और हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देंगे। वह भी आपका भ्रम दूर हो गया कि गैस कहां से आएगी ? गैस का इन्तजाम हो गया है। इन लोगों को क्या कहें, तीन बार उन्हीं के बलबूते सरकार बनाएंगे और बाद में मनुवादी हो जायेंगे। दोहरा चरित्र इनका है, किस तरह की बेशर्मी के साथ यह इस तरह की बात करते हैं, यह अवसरवादी हैं। जाति-पांति की राजनीति करने वाले, जाति-पांति की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक किसने करवाया ? हम लोग उसका विरोध करते रहे। मथुरा में पूजा किसने करवाई ? हमारी सरकार के समय इस तरह के काम नहीं हो सकते। कृष्ण के नाम पर पूजा करनी है, तो 20-50 कि0मी0 दूर करें लखनऊ में पूजा करें, हम तो कृष्ण के बंशज हैं, फिर भी हमने मथुरा में पूजा का विरोध किया। क्योंकि हमारे लिए देश बड़ा है। आपने जलाभिषेक करवाया और मथुरा में जाकर पूजा करवा दी, शंख बजवा दिया जबकि संसद में कानून पास है कि 15 अगस्त, 1947 के बाद अयोध्या विवाद के अलावा कोई पूजा स्थल का विवाद नहीं उठाया जायेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर विवाद उठाया और आज भी उठा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

बाद में पूछ लीजियेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को कहने दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, यह वही बात है कि "निन्नयानवे चूहे खाय के बिलैया तप करे।" इसीलिये हम आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा विस्तार से बता देना चाहते हैं कि यह विवेचना अत्यन्त गूढ़ थी, कठिन थी, लेकिन उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारी एस0टी0एफ0 ने कितने अच्छे तरीके से उजागर कर दिया। जबकि इतनी बड़ी-बड़ी एजेन्सियां हैं, रॉ है, इन्टेलिजेन्स भी है। इतना सब कुछ है, फिर भी पुलिस ने और एस0टी0एफ0 ने मिलकर इसकी विवेचना कर दी और बता दिया कि वे कौन लोग थे ? कहां ठहरे थे ? कड़ी मेहनत से 10 दिन के अन्दर इसकी पूरी विवेचना करके सामने रख दी। पूरे देश के सामने उजागर करके रख दिया कि कौन लोग थे ? कहां से आये थे ? पहला आतंकवादी गत वर्ष रक्षाबन्धन से 5 दिन पहले अर्थात् 25 अगस्त, 2004 को दिल्ली के किशनगढ़ के इलाके में आया और श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री ईश्वर सिंह का मकान नं0-95/9 को 850 रुपये प्रतिमाह पर लेकर वहां रहा और अपना नाम यूनेस बताया और कहा कि वह चमड़े की दुकान पर काम करता है तथा चण्डीगढ़ का रहने वाला है। पूरा पता लगाया गया तो पता चला कि इस नाम का कोई आदमी नहीं है। उसके कपड़े और सामान से पहचान कराई गई। एक महीने बाद उसका दूसरा साथी आया जो 15 दिन उसके साथ रहा और उसने अपना नाम महमूद पुत्र जावेद बताया। इसने दिल्ली के मुनीरका इलाके में अंग्रेजी बोलने का कोर्स जवाइन किया और काम के नाम पर सबको वह यही बताता था कि वह कास्मेटिक का बिजनेस करता है। इन लोगों ने दिल्ली में ही एक दूसरा अड्डा देवली (खानपुर बाजार) में बनाया जहां इन्होंने चौधरी वेदप्रकाश, बैंक कालोनी मकान नं0-558 में एक कमरा 1000 रुपये प्रतिमाह के किराये पर लिया और वहां पर 4 व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक ने सब्जी की दुकान खोल रखी थी, जहां पर सभी बैठते थे। इन लोगों ने 24 जून से 30 जून के बीच दिल्ली का अड्डा छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की सूचना पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेढर तहसील, पुंछ के एक ड्राइवर मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उसने अपनी सूमो गाड़ी से ए0के0-47 पानीपत तक दिनांक 6 जून, 2005 को पहुंचाया था। उसने इस कार्य के लिये अपनी गाड़ी में अलग से एक कैविटी बनवाई थी और उसे एक लाख रुपये लश्कर-ए-तैय्यबा के एरिया कमाण्डर मोहम्मद कारी द्वारा पुंछ में दिये गये थे। जम्मू पुलिस द्वारा उपरोक्त ड्राइवर नसीम के तीन और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से यह असलहे चले और पंजाब होते हुए हरियाणा से पानीपत तक पहुंचे और वहां से दिल्ली पहुंच गये। असलहों की प्राप्ति के बाद आगे की योजना उग्रवादियों द्वारा बनाई गई। 5 जुलाई, 2005 को ये सभी आतंकवादी सुबह 5.30 बजे अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) से टैक्सी द्वारा फैजाबाद आये। फैजाबाद में दूसरी टैक्सी इन्होंने की और नदी किनारे घाट इत्यादि घूमते रहे और विस्फोट कर परिसर में घुसने का प्रयास किया। आप देखेंगे,

आश्चर्य की बात है कि इन्होंने अन्दर घुसने का प्रयास 9 बजे के बाद 9.30 बजे किया क्योंकि 9 बजे से 10 बजे की बीच में ड्यूटी बदली जाती है। सुबह साढ़े नौ बजे लगभग 10.20 पर पूरे आतंकवादियों को खत्म कर दिया। इतने कम समय में विश्व में एक उदाहरण आप दे दें। इतने कम समय में आतंकवाद का सफाया सुरक्षाबलों ने किया हो। इसलिये हम समझाते थे कि इसमें नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं, अगर कमियां लगती हैं, तो उसको आप बताये, सब दलों के नेता बैठेंगे। सबका सुझाव मांगेंगे।

यह देश का सवाल नहीं, भारत का सवाल नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा बलों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि हिन्दुस्तान में यह पहली मिसाल है, इतनी जल्दी सफाया करके उनका पता लगाया। हम आज भी कहना चाहते हैं कि सभी दल आपसी मतभेद भुलाकर, क्योंकि यह देश का सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार और हम तो लड़ ही रहे हैं लेकिन आपको लगता है, कहीं कमी रह जाती है तो बतायें ? आपके प्रधान मंत्री जी ने 12 सितम्बर को मुम्बई में बयान दिया था आतंकवादी हमला करेंगे। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12 सितम्बर को बयान दिया था कि आतंकवाद के निशाने पर संसद है। उसके बाद 13 सितम्बर को संसद पर हमला कैसे हो गया ? आप लोगों ने टी0 वी0 पर देखा होगा। हम तो बाल-बाल बच गये, सबसे ज्यादा मुझे खोजा गया, कैसे आतंकवादी प्रवेश कर गये ? हालांकि पूरा काम आतंकवादी नहीं कर सके। सुरक्षा बल हमारे काम आये। हम लोगों को बचाया, सांसदों को बचाया। पूरे देश के लोकतंत्र के मन्दिर को बचाया। पहले सूचना थी उसके बावजूद जब-जब आतंकवादियों के हमले हुए, अक्षरधाम में हुआ हो, चाहे संसद पर हुआ हो संयोग से इन सारी घटनाओं में, बहस की शुरुआत करने का सबसे पहले मौका मुझे मिला। सब दलों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया। पूरी सरकार को समर्थन दिया, कभी यह नहीं सोचा कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति करें। आप लोग माननीय नेता विरोधी दल, आपकी पार्टी के बड़े नेता, हम सोच रहे थे हम जाएं लेकिन वहां 'डेड' बाडी पड़ी है खोजबीन हो रही आपके नेता चल पड़े, अयोध्या का मुद्दा गर्मा गया। आप इसमें राजनीति कर रहे हैं जबकि हम लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है, प्रस्ताव पेश करके आपकी भाषा बनाई है, ड्राफ्ट की भाषा बनाते थे। आप हमले के लिये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति है। तुष्टीकरण की नीति हमारी सरकार के पास नहीं है, हमारे सामने देश है। आपके सामने देश नहीं धर्म है और मेरे सामने धर्म से बड़ा देश है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

इस पर भी चर्चा करा लीजिए, तुष्टीकरण की नीति के बारे में, सब खोल देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपके बड़े-बड़े नेता हमने संसद में देखे हैं, तुष्टीकरण की नीति कहते-कहते, अब हालत यह हो गयी है और उसी का परिणाम है कि अब आप अपने दल को बचा लीजिए। हम लोगों की तो अलग दृष्टि है। अब आपकी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

[×××] मानसिकता है।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्या छीछालेदर कर दी, आडवाणी जी जैसे नेता की। इनके पास कोई धंधा ही नहीं है, कभी विवाह कैसे होगा, बलात्कार हुआ, कैसे हुआ, इनके पास और कोई काम नहीं है, किसानों और मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। यह धर्म की आड़ मे अवसर ढूंढते रहते हैं, जबकि मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मानव-मानव के बीच नफरत फैलाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। त्रिपाठी जी, अब हाफ नेकर पहनने का जमाना निकल गया। अब आप देखें, टण्डन जी, क्या छोड़कर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि राष्ट्रीय दल कमजोर हों, मैं तो चाहता था कि राष्ट्रीय दल हमारे देश के मजबूत हों, लेकिन अब राष्ट्रीय दल मजबूत कैसे हों ? यह सच्चाई है कि आप अपनी राह से हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन देश सबसे बड़ा है और इसीलिए हमने गिरफ्तार किया था, शंकराचार्य को और यही बयान दिया था, 1990 में और कहा था कि शंकराचार्य से देश बड़ा है। कई मंचों पर बहस हुई, वकीलों में बहस हुई और यह साबित कर दिया 6 दिसम्बर, 92 को कि देश बड़ा है, धर्म से और किसी भी संत से। इसलिए आज हमारे सामने देश का सवाल है और यह आतंकवाद महाराक्षस है। नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नफरत से दूसरा खत्म नहीं होता, बल्कि नफरत करने वाला स्वयं ही खत्म हो जाता है। हमने स्वयं देखा है, जो जलन अन्दर होती है, वह दीमक की तरह से जैसे अनाज को कीड़े खा जाते हैं, वह जलन करने वाले को ही खत्म कर देती है। हम इधर के लोग जलन की राजनीति नहीं करते हैं। सत्ता आऐ या जाए, मेरा सिद्धान्तों और विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है। कितनी गाली दे रहे हैं, मनुवादी हो गये और आज सरकार बने तो माथा टेकेंगे पैरों पर और राखी बांधेंगे, राखी बंधवायेंगे और पता नहीं राखी किस मकसद से बांधते हैं ? याद है जब राजस्थान की महारानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने उसका कैसे पालन किया ? मुसलमान बादशाह के खिलाफ लड़कर, महारानी का राजपाट वापस किया था।

श्री हुकुम सिंह-

तीन बार तो मुख्य मंत्री बनाया था।

(हंसी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उन्होंने राखी बांधी और इन्होंने हाथी बांधा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हाथी तो इधर के लोगों ने बांधा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने तो हाथी के नकेल डाली है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सदन के माननीय नेताओं ने जो अपना वक्तव्य दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जैसी उनकी समझ है सूझबूझ है उसके हिसाब से अपने विचार रखें, लेकिन हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी पुलिस, सुरक्षा बल हैं, उनको आपका सहयोग चाहिए। हम उनका पुनः अभिनन्दन करते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने देश को बहुत गम्भीर स्थिति से बचा लिया। देश में आग लग जाती और बहाना मिल जाता इनको। नेता विरोधी

दल को बहाना मिल जाता। इसलिये हम अपील करेंगे आप सब लोगों से कि जैसा हमने अपने वक्तव्य में कहा कि दिल्ली की सरकार का जो सहयोग मिला है और वहां के गृह मंत्री यहां आये और उन्होंने सुरक्षा बलों को बधाई दी और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी नहीं पायी। उन्होंने बैरक से देखा, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, जहां उन्होंने नहीं देखा। हम भी जायेंगे आप भी चलना चाहें तो चलें। हम सभी नेताओं से कहें कि चलें लेकिन उस वक्त हम उस जगह जाकर आतंकवादियों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे सकते थे और न यह साबित कर सकते थे कि हम लोग डर रहे हैं, इसलिये हम नहीं गये। हम पुनः देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया करना, हमारी और सभी नेताओं और दलों की जिम्मेदारी है। आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है, यह मानवता के खिलाफ है इसलिये उसका सफाया करने के लिये, हम सब एक हों। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कु0 मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो न तो बनारस में कोई जलाभिषेक हुआ था और न मथुरा के मैदान में कोई पद यात्रा होने दी थी आप उनका जहर बढ़ाते हैं और हम उनका जहर हमेशा के लिये मिटाते हैं हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम मौर्या जी को एक ही राय देंगे कि मौर्या जी को कहीं हार्ट अटैक न आ जाये, इतनी जोर से बोलते हैं दिल पर बुरा असर पड़ेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आरोप तो लगा दिया कि हमारे लोग अपराधियों को शरण दे रहे हैं। अब अगर मैं यह कहना शुरू करूं कि बड़े-बड़े बैठे हैं जिनको फांसी की सजा हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है, आपके सदन में बैठे हुए हैं। इसलिए यह कहना, यह आक्षेप लगाना उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। मेरे वहां कोई भी अपराधी नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

एक उत्तर मैं देना चाहूंगा। अभी पिछले विधान परिषद् चुनाव में आपने किस उम्मीदवार को खड़ा किया था। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश का माफिया कौन था ? इसका लखनऊ में एल0 डी0 ए0 की जमीन पर कब्जा था। जो मुख्य मंत्री का बंगला है, उसके पीछे विक्रमादित्य मार्ग है, इसमें इसका ठेका था। आपके साथी उसको बैठाकर नहीं चलते थे ? इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।

श्री लालजी टण्डन-

न हमारी पार्टी से कालिया लड़ा, न हमने टिकट दिया और न ही उसने प्रचार किया और न मदद की। आपने उसको ले जाकर इन्काउन्टर कर दिया। हमने कुछ नहीं कहा। हमने यह भी नहीं कहा कि आपने गलत किया या सही किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

उन्नाव से जो उम्मीदवार थी, वह किसकी पत्नी थी यह बता दीजिये ?

श्री लालजी टण्डन-

पत्नी किसी की भी हो। कोई महिला चुनाव लड़ती है और उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है तो इस बात को कहने का कोई लाभ नहीं है। मैने एक सुझाव दिया था कि एक आयोग बना दें और इसकी जांच हो ताकि आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिये मैंने आपसे आश्वासन चाहा था, लेकिन आप यह कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आतंकवाद को कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। वहां पर मरे हुए लोगों की, एक रमेश पाण्डेय जिसकी मृत्यु हुई उसको एक पैसा भी नहीं दिया गया सहायता के लिए जबकि वह गरीब आदमी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, एक लाख रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है और वह जल्दी ही पहुंच जायेगा। देर इसलिये हुए क्योंकि हमने उसकी जांच पड़ताल की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आतंकवादी से मिला हुआ है। लेकिन अब यह पता चल गया है कि वह आतंकवादी से नहीं मिला है, उसे एक लाख रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है वह जल्दी ही उसके आश्रितों को मिल जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

इलाहाबाद में आपने जिसके लिये तीन बार प्रचार किया, क्या वह धर्मात्मा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि जब तक कोई सजा न हो तब तक वह अपराधी नहीं माना जायेगा। वह सजायाफ्ता नहीं था।

श्री लालजी टण्डन-

आपके यहां कितने मेम्बर ऐसे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके दल में हैं इन्हें कहां तक सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आशा में वह धर्मात्मा हैं ? एक महिला के लिये आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आगे बढ़ें।

श्री लालजी टण्डन-

माननीय मुख्य मंत्री जी से मुझे यह अपेक्षा थी, इन बातों के बजाय वह इस सदन को आश्वस्त कराते कि यह उनकी जांच करवायेंगे, इसके लिये कोई जांच आयोग बनायेंगे जो इसकी जांच करेगा और अगर पुनर्गठन की आवश्यकता है तो उसको भी करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे द्वारा रखे गये एक भी बिन्दु पर कार्यवाही करने के लिये कोई भी आश्वासन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मान्यवर, इस सदन में बैठने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम इस सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं।

(जांच आयोग का आश्वासन न मिलने पर नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर माननीय नेता विरोधी दल और भारतीय जनता पार्टी को यही करना था, यहां थोड़ा सा मान्यवर, संज्ञान लेने की जरूरत है, यह बड़ा गम्भीर मामला था और इस गम्भीर विषय पर

आज माननीय नेता विरोधी दल की मंशा के अनुसार ही सारी कार्यवाही चली और उनका इसमें सहयोग भी रहा और इसके लिये नेता सदन ने उनको धन्यवाद भी प्रकट किया, उनके द्वारा दिये गये सुझावों को भी मानने का आश्वासन दिया। रही बात मृतक को मुआवजा देने की तो माननीय नेता सदन ने बताया कि एक लाख रुपये की स्वीकृति कर दी गई है, वह मिल जायेगा। यह सारी बातें होने के बाद, उस घटना पर सदन में बहस होने के बाद, बहिष्कार करने का मतलब यकीनन नही रह गया है। यह काम जो दो-ढाई घंटे की चर्चा के बाद हुआ, यह पहले कर लिया गया होता तो इतने समय में ही इस सदन में प्रदेश की जनता के हित में कुछ कार्य कर लिये गये होते। मान्यवर, यह इनसे पूछ लिया जाय कि अगर आपको बहिष्कार करना है तो पहले करिये। ताकि प्रदेश हित के कार्य किये जा सकें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जुलाई, 2005 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाने हेतु कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा की कतिपय ग्राम सभाओं का सर्वेक्षण कराकर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्या के निदान हेतु समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित नहीं हैं।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर को बन्द किये जाने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की मेरठ महानगर के नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित नहीं हैं।

चौथी सूचना श्री सुखदेव राजभर की अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत टोंस नदी के शेखूपुर घाट पर सेतु निर्माण के साथ पैदल मार्ग के निर्माण को पूर्ण कराये जाने हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं

पांचवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन चौराहा से पलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित है।

छठवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर लिंक ड्रेन, सदारपुर ड्रेन आदि की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

सातवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर की लवकुश गंगा बैराज योजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, महाना जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, जब भाजपा के लोग बहिर्गमन कर गये हैं तो महाना जी कैसे उपस्थित हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

महाना जी हाथ उठा रहे हैं, वह उपस्थित हैं।

आठवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित नहीं हैं।

नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर जनपद के सरदार पटेल इण्टर कालेज में जीवविज्ञान विषय की मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

दसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज के खड़न्जों एवं पिच की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

ग्यारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत इटैली नाले पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

बारहवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में माह मई एवं जून, 2005 में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक अनुदान एवं शिकारपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित नहीं हैं।

तेरहवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा की हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौसगंज, मल्लावां, मेंहदीघाट मार्ग को विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

चौदहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के कस्बा बिलग्राम में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन में वापस आ गये।)

पन्द्रहवीं सूचना श्री कपिल देव यादव की मऊ जनपद के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों को सही चकों का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर को बन्द किये जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त केन्द्र भारत सरकार के वित्तीय सहायता से चलता है। जानकारी में आया है कि उक्त केन्द्र को बन्द करने की साजिश भारत सरकार कर रही है यह केन्द्र 20 कमरों का एक विशाल भवन शहर के मध्य में है जिसमें चल रहा है यहां पर 29 कर्मचारी हैं और इस केन्द्र पर

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकलांगों हेतु फिजियोथिरेपी टेस्ट वोकेशनल गाईडेन्स, आडियोलाजी, स्वीचथिरेपी आदि कार्य होता है और इस केन्द्र के बन्द होने से काफी विकलांग प्रभावित होंगे। उक्त पुनर्वास केन्द्र का नियंत्रण उ0 प्र0 शासन के अधीन ही है। इसलिये या तो उक्त केन्द्र प्रदेश सरकार अपने अधीन लेकर वित्तीय सहायता देकर चलायें या तो केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि जनहित को देखते हुए न बन्द किया जाय। ये जनहित का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में टोंस नदी के शेखूपुर घाट पर सेतु निर्माण तथा पैदल मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में जनहित एवं लम्बे समय से जनता की मांग पर टोंस नदी के शेखूपुर घाट पर सेतु निर्माण के साथ-साथ पैदल मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में दिनांक 31 मार्च, 2003 को 59.47 लाख रुपये की मूल्याप्ति की स्वीकृति दी गई। जिसके सापेक्ष 5.95 लाख धनराशि अवमुक्त की गई, कार्य प्रारम्भ किया गया। मगर वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 इस वित्तीय वर्ष में उक्त स्वीकृत कार्य हेतु धन नहीं दिया गया। कार्य ठप्प पड़ा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। क्षेत्रीय जनता किसी क्षण आन्दोलित हो सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत निघासन चौराहे से पलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी की विधान सभा क्षेत्र निघासन में निघासन चौराहा से पलिया तक मुख्य मार्ग टूट कर गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसकी कुल दूरी 37 कि0मी0 है। जिसमें से लगभग 22 कि0मी0 रोड का पेन्टेड व खड़न्जा गायब होकर बड़े गड्ढों में तब्दील हो गयी है। जिसके कारण 15 दिनों से बसों व जीपों का आवागमन बन्द हो गया है। बस यूनियन ने घोषणा की है कि जब तक सड़क ठीक नहीं कराई जाती तब तक बसें नहीं चलायेंगे।

अतः लोक महत्व के तथा गम्भीर प्रश्न पर शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं एवं तत्काल मार्ग को बनवाये जाने की मांग करता हूं। ताकि जनहित में बसों का संचालन शुरू हो सके।]

अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर लिंक ड्रेन, सदारपुर आदि ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र टाण्डा अम्बेडकर नगर में ताजपुर लिंक ड्रेन, सदारपुर ड्रेन, कजेसर ड्रेन एवं निनांवा ड्रेन की सफाई न होने के कारण दर्जनों गांवों में जल भराव की स्थिति पैदा

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो गयी है जिसके कारण हजारों एकड़ धान की फसल के जलमग्न हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। क्षेत्र की जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त ड्रेनों की सफाई की मांग करता हूं।]

कानपुर की लवकुश गंगा बैराज योजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कानपुर में लवकुश गंगा बैराज परियोजना की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपरोक्त परियोजना का उद्घाटन 11 मई, 2005 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया था उद्घाटन के पश्चात् लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को पेयजल की एक बूंद प्राप्त नहीं हुई। जोनल पम्पिंग स्टेशनों से अधिकांशतः पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। साथ ही गंगा नदी को प्लकिंग प्वाइन्ट से मोड़ने के पश्चात् एप्लेक्स बन्द का कार्य भी समय से पूरा नहीं हो पाता। जिसके कारण वर्तमान में अतिवृष्टि से गंगा नदी पर जल स्तर बढ़ने पर प्लकिंग प्वाइन्ट से टूटने का खतरा एवं एप्लेक्स बन्द में भारी क्षति हो सकती है। इस कारण न तो वर्तमान में परियोजना के उद्घाटन के बाद भी न तो जनता को पेयजल का लाभ मिल सका, न ही बैराज परियोजना पूरी हो सकी। बैराज परियोजना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही से भारी नुकसान होने की सम्भावना है।

अतः मेरा निवेदन है कि उक्त परियोजना की पूरी जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें एवं परियोजना को यथासम्भव जल्दी से पूरा करके आम जनमानस को इसका लाभ पहुंचाया जा सके।]

जनपद शाहजहांपुर के सरदार पटेल इण्टर कालेज में जीव विज्ञान विषय की मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद के सरदार पटेल इण्टर कालेज में जीव विज्ञान विषय में वित्त विहीन मान्यता का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने जून, 2003 में अपनी शासन को प्रेषित आख्या में कहा है कि इस विद्यालय ने मान्यता सम्बन्धी अपनी सभी कमियां दूर कर ली हैं तथा सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं परन्तु दो साल से यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में 12-7-2005 को प्रबन्धक ने एक रिमाइण्डर भी शासन को भेजा है, स्थानीय स्तर पर भी इस सम्बन्ध में मान्यता दिये जाने हेतु लिखित ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु अभी तक मान्यता नहीं मिली है जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। जनहित में सरदार पटेल कालेज को जीव विज्ञान विषय की वित्त विहीन मान्यता मिलना आवश्यक है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरदार पटेल कालेज को जीव विज्ञान विषय की सरकार से मान्यता दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तमकुहीराज के खड़न्जों एवं पिच की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सेवरही तहसील तमकुहीराज में गन्ना आपूर्ति, बंधा बचाव कार्य एवं अन्य अपने कार्यों से चलने वाले हजारों लोगों को केवल यही बंधा (अमवा खास पा0 पी0 तथा अहिरौलीदान ए0पी0) मात्र रास्ता है। जिसकी हालत बहुत ही जर्जर है। जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। त्वरित गति से उन रास्तों से कोई राहत तथा बचाव कार्य सम्भव नहीं है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि तहसील तमकुहीराज के बंधे के खड़न्जों एवं पिच (अमवा खास बंधा पी0 पी0 तथा अहिरौली दान बंधा ए0पी0) को मरम्मत कराने की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत इटैली नाले पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[मान्यवर, वर्ष 2002-2003 में पूर्वांचल विकास निधि के राज्य सेक्टर से मार्च में जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी में इटैली नाले पर पुल बनाने हेतु धन स्वीकृत हुआ था। उसमें से आधी धनराशि निर्गत हो गयी है तथा कार्य प्रगति पर है। शेष आधी धनराशि निर्गत न होने से कार्य अधूरा रह जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौसगंज, मेहदीघाट आदि मार्गों को विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-75, मल्लावां, जनपद-हरदोई में गौसगंज, मल्लावां, मेहदीघाट मार्ग जो अति महत्वपूर्ण है, यह मार्ग लखनऊ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर राज्यों को सीधे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों से लखनऊ-सण्डीला, मल्लावां, मेहदीघाट कन्नौज मार्ग द्वारा ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था। इस समय यह मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर लखनऊ तथा लखनऊ के पूर्वोत्तर के सभी जनपदों से कन्नौज, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, दिल्ली, ग्वालियर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर आदि स्थानों को परिवहन निगम की बसें तथा निजी बसें चलती हैं परन्तु मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं उखड़े होने के कारण समय बहुत अधिक लगता है जिससे जनता बहुत ही दुखी है। इस मार्ग के कि0मी0 31,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

32, 33, 34 (चार कि0मी0) बहुत ही खराब है, जिसके कारण रूपापुर चीनी मिल ने अपना गन्ना खरीद केन्द्र बन्द कर दिया है। जिससे क्षेत्र के किसानों का गन्ना बर्बाद हो गया है और किसानों के सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मार्ग को विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर निर्माण कराने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम कस्बे में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है। बजट में प्रस्तावित होकर तथा स्वीकृत धन भी निर्गत हो गया है तथा आवास विभाग की निर्माण इकाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु अधिकृत करके प्रथम किस्त भी निर्गत कर दी गई है परन्तु 5-6 माह बीत चुके हैं फिर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों को सही चकों का आवंटन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिलदेव यादव-

मान्यवर, मऊ जनपद के अन्तर्गत ग्राम दुवारी सुल्तानपुर वारहगावां रसूलपुर, इन्दारा गांव विगत 25 वर्षों से चकबन्दी के अन्तर्गत पड़ा है जिसके कारण कागजातों में काफी हेर फेर कर दिया गया है किसानों के सही चकों का आवंटन न होने से कुछ क्षेत्रीय किसान भुखमरी के शिकार भी हो गये हैं।

अतः इस लोक महत्व एवं किसान हित में अविलम्ब शासन का ध्यान आकर्षित कराने एवं तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं--श्री राम करन आर्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरण राजभर, डा0 विनोद तिवारी, श्री नवाब सिंह नागर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री राम पाल वर्मा, श्री बैजनाथ दुबे तथा श्री मदन चौहान।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो लोग अनुपस्थित हैं, उनकी जगह पर अस्वीकृत सूचनाओं में से ले लें।

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आज रहने दें। आप कल अपनी सूचना दे दीजियेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम को चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए अस्वीकार की गयी है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 25 लाख रुपये के विद्युत कार्य कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए अग्राह्य की गयी। आप इसे नियम 51 में दे दीजियेगा। तीसरी सूचना श्री कौशल किशोर की है जो जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम काकरावाद में श्रीमती ऊषा देवी की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने तथा फसल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 मार्च, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 मे नहीं आती है इसलिए अग्राह्य की गई है। चौथी सूचना श्री सुल्तान बेग की है जो शासन की स्थानान्तरण नीति का जनपद फर्रुखाबाद के महिला अस्पताल में पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य की गई है। पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री लालजी वर्मा की है जो विधान सभा का सत्र अल्पसूचना पर बुलाये जाने पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 4(2) उपनियम (1) का पालन न किये जाने के सम्बन्ध मे है। अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि नियमों में व्यवस्था है कि अल्पकालीन सूचना पर सदन का सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें तार द्वारा नहीं बल्कि फैक्स द्वारा माननीय सदस्यों को सूचना दी गयी थी। इसलिए यह प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं बनता है। माननीय सुखदेव राजभर जी आप कृपया बैठ जायें इस पर अलग से बैठकर बात कर लेंगे। छठी सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री राजेश कुमार की जनपद मुरादाबाद के बसपा विधायकों द्वारा वर्ष 2005-06 के लिये क्षेत्र विकास निधि के प्रस्तावों पर धन अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आती है आप इसे नियम-301 या नियम-51 के अन्तर्गत ला सकते हैं।

(इसी बीच नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन में पुनः वापस आ गये।)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह हमारे विधायकों की इच्छा है कि इस मसले को लेकर हम लोग पूरे दिन सदन का बहिष्कार करें। तो हम लोग पूरे दिन के लिये सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब तो सदन का कार्य समाप्त हो रहा है तो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2005)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2005) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2005)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2005) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी

दिनांक 18 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक सूचना सदन को देनी है।

श्री एच0 पी0 शुक्ला, थानाध्यक्ष-बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में सदन को सूचना

डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री एच0 पी0 शुक्ला, थानाध्यक्ष-बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर तथा उक्त थाने के मुंशी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 27 मार्च, 2003 को थाना प्रभारी से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रकरण जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु दिनांक 27 अप्रैल, 2005 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 जुलाई, 2005 से 2 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 18 जुलाई, 2005 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय, प्रश्नकाल न हो तथा नियम 51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 21, 22 तथा 29 जुलाई, 2005 को सदन के उपवेशन न हों।

3-दिनांक 01 तथा 02 अगस्त, 2005 को सदन के उपवेशन हों।

4-दिनांक 18 जुलाई, 2005 से 02 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जुलाई, 2005

18 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
19 मंगलवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों, आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 2-डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा-एक घण्टा।

"इस सदन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनाई जाय।"

3-श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा-एक घण्टा।

"प्रदेश में विभिन्न विभागों में समूह 'ग' एवं 'घ' की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने, उत्पादित धान से अधिक धान क्रय, बी0पी0एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों तथा शिक्षकों की भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में।"

जुलाई, 2005

20 बुधवार	विधायी कार्य।
21 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
22 शुक्रवार	
23 शनिवार	
24 रविवार	
25 सोमवार	विधायी कार्य।
26 मंगलवार	
27 बुधवार	
28 गुरुवार	असरकारी दिवस (पूरा दिन)।
29 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
30 शनिवार	
31 रविवार	

अगस्त, 2005

---

1 सोमवार	बैठक होगी।
2 मंगलवार	

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में वक्तव्य हो चुका है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

यह तो हो ही चुका है, इसमें दो सूचनाएं ली जानी थी।

जनपद मुरादाबाद के बसपा विधायकों द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए क्षेत्र विकास निधि के प्रस्तावों पर धन अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम-300 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे कक्ष में आ जाइयेगा, मैं आपको नियमों को पढ़ाकर दिखा दूंगा, आपका विषय इसमें नहीं बनता।

श्री लालजी वर्मा-

मुरादाबाद के जितने हमारे विधायकगण हैं, जो विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठें। नियमों में लाइये, नियम-51 में लाइये। विधायकों का धन कैसे खर्च हो, यह विषय नियम-300 का मामला नहीं बनता।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। मामला गम्भीर है, इसमें आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपकी जानकारी अधिक है, आप हमको सिखा दें। मुरादाबाद जनपद में हमारी पार्टी के विधायकों का मसला है, सबको विधायक निधि अवमुक्त हो गयी, लेकिन इनका पैसा रोक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं अपने कक्ष में जाऊंगा, आप मुझे समझा दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप निर्देश दे दें कि धन अवमुक्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय विधायकों का यह कथन है कि विधायक निधि जो अवमुक्त हुई है, वह जनपद मुरादाबाद के इनके विधायकों को नहीं मिल रही है, तो इसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दिखवा लें कि जैसा यह प्रस्ताव करते हैं, वैसे वह धन अवमुक्त क्यों नहीं करते हैं ?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश कुमार, डॉ0 इन्द्रदेव सिंह, डॉ0 विनोद तिवारी व

कुंवर भारतेन्द्र सिंह की बांदा जिले की केन नदी में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें आप कुछ कहना चाहते हों तो कह दें, नहीं तो हम चर्चा मान लेते हैं।

श्री बाबूलाल कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, मैं इस बाढ़ के विषय पर डेढ़ घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। चर्चा में आप सब पूरी बात कह लीजियेगा।

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा विश्व धरोहर ताजमहल को अपनी सम्पत्ति करार देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। चौथी सूचना श्री सुरेश कमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर, थाना कोतवाली स्थित आधुनिक ज्वैलर्स के यहां पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। पांचवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री घूराराम, श्री चन्द्रदेव राम यादव श्री रामशंकर पाल व श्री राजेश कुमार की राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र में कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं, इनके नाम हैं। श्री कौशल किशोर, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री प्रागीलाल अहिरवार तथा श्री श्याम सिंह अहेरिया।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए एक सुनिश्चित और समयबद्ध योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दि0 18 मार्च, 2005 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत) †

प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग एवं घ की भर्ती प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने, उत्पादित धान से अधिक धान क्रय, बी0 पी0 एल0 श्रेणी में वितरित होने वाले अनाज, शिक्षा मित्रों तथा शिक्षकों की भर्ती तथा भूमि आवंटन घोटाले आदि के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (क्रमागत) ††

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जो मद सं0-11 और मद सं0-12 में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की चर्चाएं लगी हैं, इसमें माननीय बाजपेयी जी ने इन चर्चाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। इसमें आपको कुछ कहना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस प्रकार से तो दो गलतियां हो जायेंगी।

नोट :-- † दिनांक 18 मार्च, 2005 की कार्यवाही से।

†† दि0 23 मार्च, 2005 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इन चर्चाओं को निरस्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जुलाई, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री उदयभान करवरिया की जो जनपद इलाहाबाद में हो रही डकैती, छिनैती, हत्या, अपहरण एवं लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जो जनपद बलिया स्थित नरहेजी इण्टर कालेज, नरही में फर्जी नियुक्ति के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री छोटे लाल यादव की जो जिला कारागार आजमगढ़ में सजायाफ्ता श्री दलसिंगार यादव कैदी की सजा पूर्ण होने के बावजूद भी जेल से रिहा न करने के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री श्याम सिंह अहेरिया की, जो मथुरा जिले को हाईटेक सिटी बनाने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक न दिये जाने एवं पुराने भवन आवंटियों से बढ़ी हुई दर पर लागत धनराशि वसूलने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की, जो प्रदेश में लगे हैण्डपम्पों के असफल होने की स्थिति में विशेष परिस्थिति में मिनी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा की, जो जनपद मिर्जापुर निवासी श्री दीप नरायन पुत्र श्री माधो द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना डॉ0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित तमकुहीराज में मण्डक नदी के बाढ़ से प्रभावित किसानों को आवासीय पट्टा एवं इन्दिरा आवास आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। नवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की, जो प्रदेश सरकार द्वारा एक दर्जन यूनानी एवं आयुर्वेदिक कालेजों की मान्यता समाप्त होने से उत्तीर्ण हो चुके छात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जनपद रायबरेली स्थित गौरा माइनर का मुहाना नीचा होने के नाते हजारों एकड़ जमीन असिंचित रह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद गोण्डा के बिसुही नदी पर स्वीकृत पुल हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। बारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की, जो जनपद गाजियाबाद स्थित सिम्भावली शुगर मिल के प्रदूषित एवं रासायनिक पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री प्रागीलाल अहिरवार की जनपद झांसी के ग्राम मड़वा स्थित दलित का सामान फेंक कर उसके मकान में दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं :--श्री नवाब सिंह नागर, श्री शमीमुलहक, श्री नत्थू सिंह, डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री राम करन आर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री कालीचरन राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री रणवीर राणा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री उदयभान करवरिया, श्री कौशल किशोर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह', श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कल्यान सिंह दोहरे, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रामपाल वर्मा, श्री बैजनाथ दुबे, श्री प्रेमपाल सिंह यादव, श्री मोहनदेव शंखवार, श्री कपिलदेव यादव और श्री सोमारू राम सरोज।

विधायक निवास के कक्ष संख्या-60 में पानी न आने का प्रकरण

*श्री राजेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जनपद लखीमपुर खीरी के निर्वाचन क्षेत्र-53, पैला से विधायक चुनकर आया हूं। पहले मेरा आवास रायल होटल में था, जिसे मैंने चेंज किया है और अब विधायक निवास के 60 नम्बर आवास में निवास कर रहा हूं। उक्त आवास में बराबर पानी नहीं आता है। 14 जुलाई, 2005 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति की बैठक थी उस दिन मैं आया तो देखा कि पानी नहीं आ रहा है। हमने व्यवस्थाधिकारी व अन्य अधिकारियों को फोन किया लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। मान्यवर, कल से फिर पानी नहीं आ रहा है। आज मैं बिसलरी से केवल मुंह धोकर बिना नहाये ही इस सदन में आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि जिस आवास में रह रहे हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है और माननीय सदस्य बिना नहाये यहां आये हैं आप यह सुनिश्चित करायें कि उनके कमरे में पानी आये।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 19 जुलाई, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

संख्या-2361/15-10-2001-9 घोषणा/01

प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार गर्ग,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0 प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा अनु0-10 लखनऊ, दिनांक 3 सितम्बर, 2001

विषय :--राजकीय बालिका हाईस्कूल आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ तथा राजकीय कन्या हाईस्कूल पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का नाम बदलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नियोजन/2562-54/2001-02, दिनांक 21-7-2001 तथा पत्र संख्या-नियोजन/2643-45/2001-02, दिनांक 21-7-2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त राजकीय कन्या हाईस्कूलों का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। अतः आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त विद्यालयों का नाम अब निम्नानुसार होगा :--

(1) श्री चन्द्र भूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या हाईस्कूल आसपुर देवसरा, जनपद-प्रतापगढ़।

(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या हाईस्कूल, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़।

(3) कृपया तद्नुसार अभिलेखों में संशोधन करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/
(डा0 अनिल कुमार गर्ग)
अनु सचिव।

संख्या-2361(1)/15-10-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2-जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़।
3-प्रधानाचार्य रा0 क0 हाईस्कूल, आसपुर देवसरा तथा पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4-मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय घोषणा प्रकोष्ठ।
5-पत्रां0 सं0-8 घोषणा 2001 हेतु एक प्रति।

आज्ञा से,
ह0/
(डा0 अनिल कुमार गर्ग)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में रबी 1412 फसली वर्ष 2004-05 में नहरों पर करायी गयी सिल्ट सफाई की सूची

क्रमांक	ब्लाक	नहर का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0 में)	करायी गयी सिल्ट सफाई की लम्बाई (किमी0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़						
1	मान्धाता	मिश्रपुर अल्पिका	1.800	1.800	1.800	
2		भदोही ,,	2.00	1.900	1.900	
3		हरखपुर ,,	2.600	2.5000	2.600	
4		गाजीपुर ,,	3.200	3.200	3.200	
5		कुसाही ,,	2.600	2.600	2.600	
6		जगदीशपुर ,,	2.00	1.600	1.600	
7		धर्नापुर ,,	1.600	1.600	1.600	
8		अर्चात ,,	2.800	2.800	2.800	
9		विश्वनाथगंज राज0	8.230	8.00	8.00	
10		नागापुर राज0	3.500	3.500	3.500	
11		सुजहा अल्पिका	1.800	1.800	1.800	
12		चौबेपुर अल्पिका	3.200	3.200	3.200	
13		लिलोली अल्पिका	4.200	4.200	4.200	
14		बेलखरी अल्पिका	2.800	2.800	2.800	
15		चमरूपुर अल्पिका	2.00	2.00	2.00	
16		राजापुर अल्पिका	5.600	5.600	5.600	
17		उमरी अल्पिका	3.400	3.400	3.400	
	योग	मान्धाता विकास खण्ड	53.41	52.60	52.60	
18	सदर	बेला माइनर	4.400	4.200	4.200	
	योग सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र		57.81	56.80	56.80	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद						
19	मान्धाता	तवन्कलपुर माइनर	4.00	0.500	0.500	
		देवरी माइनर	4.800	3.700	3.700	
		परमानन्दपुर माइनर	1.800	.0.800	0.800	
	योग		10.800	5.00	5.00	
	सम्पूर्ण योग सदर विधान सभा क्षेत्र		68.410	61.800	61.800	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 161 विधान सभा (286)-26-9-2005-813 (कम्प्यूटर)।